गरीबों के अधिकार

एक पुस्तिका
उत्तर प्रदेश के लिए
न० 12 अक्टूबर 2016

<u>नई उपलब्धियाँ इस वर्जन में</u>

सेवा अध्यादेशों के अधिकार 2010 (पृष्ठ 2)
जीवन बीमा (पृष्ठ 19)
टी बी (पृष्ठ 24)
मानसिक स्वास्थ्य (पृष्ठ 27)
बाल विवाह (पृष्ठ 49)
बंधुआ मज़दूरी (पृष्ठ 51)
यौन तस्करी (पृष्ठ 53)

अधिकार सम्बन्धी सफलता की सच्ची घटनाएं

करीन का विधवा पेंशन मिलना

शादी के बाद करीन अपने गॉव से शहर आई। उसका पूरा परिवार अपने पति और 4 बच्चों के साथ अस्थायी झुग्गी जो अवैध तौर से बनायी गयी झुगियों समूह में रहने लगा। 2007 में करीन की 11 महीने की बच्ची की मृत्यु दस्त के कारण से हुयी । कुछ महीनों के बाद उसके पति की भी मृत्यु हो गयी । इस बार शायद टीबी के वजह से हुई। करीन अपने 3 बच्चों के साथ, बिना आमदनी के साथ, एक छोटी सी झुग्गी में रहने लगी और उनकी हालात बहुत बुरे थे।

राज्य सरकार ने विधवाओं के लिए 1000रु की पेंशन रखी है पर वो करीन को नहीं मिल रही थी। कुछ साधारण जानकारियों से पता चला कि समाज कल्याण विभाग द्वारा पेंशन मिलती है। (कृपया इस पुस्तिका का पृष्ठ 12 को देखें) । प्रशासन ने कहा कि करीन इस पेंशन के योग्य नहीं हैं क्योकि उसके पास खाता नहीं हैं । करीन के पास कभी बैंक खाता नहीं था, तो हम पास के बैंक गए उसका खाता खुलाने । बैंक मॅनेजर ने खाता खोलने से मना कर दिया और कहा की पहचान दस्तावेज़ की ज़रूरत होती है (कृपया इस पुस्तिका का पृष्ठ 59 को देखें) । करीन के पास ऐसा कोई पहचान पत्र नहीं था तो हमारा अगला पड़ाव चुनाव विभाग था हमने विभाग से करीन के लिए चुनाव वोटर कार्ड पूछा । काफी दिनों के बाद वह उसकी झुग्गी आये। उन्होनें सर हिलाते हुए कहा माफ़ करिए यह झुग्गी में रहती हैं, हम इन्हें वोटर कार्ड नहीं दे सकते। हमने विरोघ किया और बताया कि यह कानून है हर भारतीय नागरिक का एक पहचान पत्र होना अधिकार है चाहे वो झुग्गी में रहे या राजमहल में रहे (कृपया इस पुस्तिका का पृष्ठ 55 को देखें) । थोड़ी देर के बाद उन्होंनें सर हिलाया और हाथ खुजलाते हुए मान गए ।

एक हफ्ते के बाद, हम पहचान पत्र के साथ फिर बैंक गए, शुक्र है उन्होंने बैंक खाता खोल दिया । हम फिर दुबारा समाज कल्याण विभाग गए, इस भरोसे कि हमें सफलता मिलेगी, परन्तु हम फिर असफल हुए । बैंक खाता हो या न हो, एक सरकारी दस्तावेज होना चाहिए जिससे यह साबित हो कि वो दिल्ली में 5 साल से रह रही है । हताश होकर प्रार्थना पत्र समाज कल्याण विभाग मुख्य अधिकारी को लिखा (कृपया इस पुस्पिका का पृष्ठ 65 को देखें), जिन्होंने आखिर कार हमारे निवेदन को मान लिया । ६ महीने की सरकारी उथल पुथल के बाद, करीन को आखिर में पेंशन मिलने लगी, और ५ महिने का भुगतान भी मिला, अब उसके पास 5,000रु बैंक खातें में हैं।

महिलाओं को नरेगा। रोज़गार मिलती हैं

जागीर गांव, बिजनौर क्षेत्र, उतर प्रदेश की महिलाओं को पता नहीं था कि वो नरेगा। योजना के लागू रोज़गार के योजना के योग्य है या नहीं (कृपया इस पुस्पिका का पृष्ठ 11 को देखें), उनके पतियों के पास रोज़गार कार्ड होता है पर वो रोज़गार की तलाश में बाहर जातें है। शेयर प्रोजेक्ट के कर्मचारी ने सूचित किया कि वास्तव मे महिलाएँ भी इस योजना की हकदार है। यह जानकर महिलाएँ ग्राम प्रधान के पास काम मांगने गयी। अतः उन्हें नरेगा (NREGA) योजना के अंर्तगत सड़क निर्माण में रोज़गार मिला।

गुड्डन के लिए गैस कनेक्शन की मुहीम

गुड्डन करीब 2 साल से पक्का गैस कनेक्शन लेने की कोशिश में लगा हुआ था। गैस कार्यालय के कर्मचारी हर बार किसी भी बहाना बोल के उससे कनेक्शन देने से मना कर देते थे। फिर गुड्डन ने अधिकार सहित बैठक में भाग लेने के बाद सिखा की कैसे गैस कनेक्शन लेना उसका अधिकार है (कृपया इस पुस्तिका का पृष्ठ 36 को देखें) और यह भी सीखा कि किस तरह से आगे बढ़ाना है सूचना के अधिकार द्वारा। इस सीख के साथ वो दुबारा गैस कनेक्शन के ऑफिस गयी । उन्होंने फिर उसे मना कर दिया पर इस बार गुड्डन ने उन्हें धमकाया कि वो बड़ें अफसर जो लखनाऊ में है उनसे शिकायत करेगीए बस इतना बोलना उन सब के लिए काफी था। कर्मचारी उसकी हिम्मत को देख कर सक्पक्का गए और वो तुरंत काम पे लग गए। और फिर गुड्डन को कनेक्शन 01 हफ्ते मे मिल गई।

1. परिचय

1. इस दस्तावेज़ के बारे में

उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए सरकार ने बहुत सारी दी हैं जो आश्चर्यजनक है। उनमें से बहुत सारी सुविधाएं गांवो और शहरों की मलिन बस्तियों के निवासियों के लिए अधिकार के रूप में उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से सरकारी कर्मचारियों में पाऐ जाने वाले भ्रष्टाचार या उनके आलसपन के कारण या स्वयं निवासियों में जागरूकता या उनमें विश्वास की कमी के कारण मलिन बस्तियों के ज़्यादातर निवासी इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

अक्सर जब सरकारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं तो संस्था खुद सुविधाएं जैसे स्कूल, क्लिनिक आदि देते है। उन सुविधाओं के लिए लोग संस्थाओं को पसंद करते हैं लेकिन संस्था सुविधाएं हमेशा तक नहीं चला सकता हैं। कभी न कभी बेहतर हो कि लोगों को सरकारी सुविधाएं मिल सके।

इस दस्तावेज़ की जानकारियाँ एक हिस्सा ही है इस बडे काम में कि उत्तर प्रदेश के निवासी जागरुक्त और सशक्ति बने । सशक्तिकरण के लिए गरीबों को ना सिर्फ़ उपलब्ध सुविधाएँ का **जानकारी** होने चाहिए (पृष्ठ 7-60)। उसके अलावा अचछी आवेदन और RTI लिखने के **कुशलता** होने चाहिए (पृष्ठ 65–70) और सब से ज़रूरी है कि उनके **दिल** का बदलाव हो ताकि उनके आत्म विशवास और हिम्मत हो और कि वे एक दूसरे की मदद करें।
अतिरिक्त 1 पृष्ठ 61 में कुल दस कदम दिए गए है जिस से निवासी जानकारी, कुशल और दिल से सशक्त हो सकते हैं।

पृष्ठ 5 पर तालिका में दी गई हर एक सेवां की सूची के लिए हमने सामान्य आकार दिया है;

1. सम्बंधित **सरकार के विभाग,** (केन्द्र या राज्य) जो ये सेवा प्रदान करते हैं (उसके वेबसाइट के साथ);
2. उस़ विभाग की नीति के अनुसार निवासियों के **अधिकार**। हम इसके लिये वेबसाइट भी देते हैं जहां पर ये हक और अधिकार स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। कुछ केन्द्र सरकार के अधिकार यहाँ और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकार यहाँ भी देख सकते हैं। कई हकों भी एक नागरिक चार्टर में हैं, जो कई सरकारी विभागों के वेबसाइटों पर हैं यहां।अतिरिक्त 2 पृष्ठ 63 में सब सेवाएँ और उनके सम्बंधित नीयम सरांश में दी गई हैं।
3. **ग. आवेदन प्रकिया** योग्यतनुसार आवेदन करने हेतु; आवेदन की बहुत सारी प्रक्रियाएं यहाँ और यहाँ और कुछ आवेदन पत्र पृष्ठ 72 से मिल सकती हैं। अच्छा आवेदन लिखने पर टिप्पणी और एक नमूना अतिरिक्त 3 पृष्ठ 65 में दिया गया है जिसे आपको सहायता मिलेगी। हम सब जानतें हैं कि शुरु में अकसर हमारी आवेदन को सफ़लता नहीं मिलती क्योंकि जिस अफ़सर के पास हम अपना अवेदन पत्र जमा कराते है वो :
   - छुटटी पर हो या चुनाव कार्य में लगा होता है।
   - बोले कि आप गलत कार्यालय में आ गए हैं और दूसरी जगह जाने को बोलें।
   - बोले कि उसका कोई अधिकार नहीं है आपके दिए गए आवेदन पर और जो अधिकारी कुछ कर सकते है, वो छुटटी पर है या बीमार है।
   - बोले कि उसके पास इस साल के लिए बजट नहीं है या दफ़्तर में कर्मचारी नहीं है इसलिए काम नहीं हो पाएगा।
   - कुछ चाय पानी मिल जाता तो (यानी घूस मांगना)। अतिरिक्त 5 पृष्ठ 67 में विस्तार से सुझाव दिए गए है जिस से भ्रष्टाचार से निपटा जा सकता है।

     हम आवेदन की सफलता की आशा एवं उसमें लगने वाले समय के बारे में भी हमने इसमे बताया है।

   आवेदन पेश करने और सरकारी अधिकारियों के साथ बात करने के सिए सुझाव, अतिरिक्त 4 पृष्ठ 66 में दिया गया है

4. **सहायता** सुझाव, अगर आवेदन में सफ़लता न मिले। उन सलाह में शामिल हैं: कठिनाई के क्रम में .....
   - एक बार और मूल अधिकारी को शिकायत करें,
- सेवा अध्यादेशों के अधिकार के तहत आवेदन करें, जो बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं की गारंटी देता है, जैसे नागरिकों को एक निर्धारित समय सीमा के अन्दर जाति और जन्म प्रमाण देना। यह चालू है इन प्रदेशों में, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड़, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड़, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल, (वैबसाइट देखें यहां और कानून यहां)
  - सरकारी ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करते हुये ....
    - केंद्रीय सरकारी विभाग के लिये यहां को देखें (इस शिकायत निवारण यंत्रावली के लिये मोबाइल एप यहां है। बांई ओर नीचे)। आपको 60 दिनों के अन्दर जवाब मिलना चाहिये (FAQ #13 यहां)
  - उस विभाग में **सूचना के अधिकार अधिनियम** के अन्तर्गत आवेदन दायर करना जहां आपने आवेदन किया है। प्रभावशाली सूचना का अधिकार के प्रयोग पर टिप्पणी और आरटीआइ का नमूना अतिरिक्त 6 पृष्ठ 68 में दिया गया है जिसे आपको सहायता मिलेगी: या
  - **मीडिया** को संपार्क करना। मीडिया के प्रयोग पर टिप्पणी अतिरिक्त 7 पृष्ठ 70 में दिया गया है या
  - एक **धरना** का आयोजन ।

5- **सफलता की कहानी** दिखाती है कि क्या उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों में सचमुच में ये आवेदन/सहायता कार्य करती है

अगर आप इस पुस्तिका को अपने सहायता के कार्य में उपयोगी समझते हैं, तो कृपया इसे अन्य सही संस्थाओं/व्यक्तियों को जो उत्तर प्रदेश के गरीबों के लिए काम कर रहें हैं, के साथ भी बांटे। जानबूझ कर इसे कॉपी राइट के अन्तर्गत नहीं रखा गया है। अगर आप इसकी लिखित प्रति पढ़ रहे हैं, तो आप हिन्दी और अंग्रेज़ी में इसकी कमप्यूटर–कॉपी EHA के वेबसाइट यहां पर मिल जायेगी; या JVI के वेबसाइट यहां पर निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।

हमने कई उत्तर भारतीय राज्यों के लिये ऐसी ही हिमायती नियम–पुस्तिकायें बनाई हैं, इनमें दिल्ली, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, झारखंड़, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड़, आसाम, महाराष्ट्र, राजस्थान, और उड़ीसा शामिल हैं। वे दस्तावेज़ भी EHA के वेबसाइट पर है। इसके साथ ही हमने महिलाओं के अधिकारों और विकलांगों के लिये विशेष नियम–पुस्तिकायें भी बनाई हैं। ये सभी पुस्तिकायें ई एच ए की वैबसाइटस यहां पर या जे वी आई की वैबसाइटस यहां या आर टी एफ़ की वैबसाइटस यहां निशुल्क उपलब्ध हैं। हम हर साल इन्हें संशोधित करने की कोशिश करेगें ताकि ये सामयिक रहें। हम आशा करते हैं कि 2016 में इनमें से कई पुस्तिकाओं का हिन्दी संस्करण बन सके।

ध्यान दें: यह पुस्तिका एक गाइड ही है। हमने काफ़ी कोशिश किया है कि यह जानकारी सहीं है, लेखिन योग्यता और शिकायत प्रकिया में अक्सर परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए हम पुस्तिका का जानकारी की सटीकता की गारंटी नहीं दे सकते । इसलिए अगर आपको किसी भी कठिनाइयां होता है जानकारी सहीं नहीं होने की वजह से, तो हम जिम्मेदार नहीं हैं।
अगर आप इस पुस्तिका में कोई गलती/भूल पाते हैं तो और अगर इस में शामिल करने के लिए आपके पास कोई सुझाव है तो कृपया हमें जानकारी दें और हम इसे इसमें शामिल करेंगे।

Justice Ventures International
www.justiceventures.org
info@justiceventures.org

Emmanuel Hospital Association
www.eha-health.org

2. पहला क़दम – अपनी बस्ती के सरकारी दफ्तरों को जानें

आरम्भ में यह जानना आपके लिए लाभदायक होगा कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्तर के सरकारी के संरचना में आपका गांव कहां आता है। अगर अपने क्षेत्र की सूचनाएं आपको मिल जाती हैं तो नीचे दिए गए टेबल में उसे लिखें।

- उत्तर प्रदेश 80 लोक सभा क्षेत्र में विभाजित हैं। हर क्षेत्र का एक अपना चुना हुआ लोकसभा सदस्य जो लगभग 23 लाख अपने मतदाताओं के लिए जिम्मेदार है। आपके लोकसभा सदस्य सीखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए और फ़िर पर फ़िर उत्तर प्रदेश पर फ़िर अपने लोकसभा क्षेत्र पर क्लिक करें । लोकसभा सदस्य के जानकारी के लिए (मोबाइल नम्बर आदि) उसके नाम पर क्लिक करें ।
- उत्तर प्रदेश **राज्य सरकार** 403 विधान सभा क्षेत्रों में विभाजित है। हर एक विधान सभा क्षेत्र से एक विधायक विधान सभा के लिए चुना जाता है जो अपने लगभग 3.2 लाख मतदाताओं के लिए ज़िम्मेदार होता है। विधान सभा के सदस्य सीखने के लिए यहाँ क्लिक करें । अपने चुनावी क्षेत्र, स्थानीय मतदान केन्द्र और मतदाताओं की सूचि के लिये यहां देखें।
- उत्तर प्रदेश की स्थानीय सरकार ग्राम पंचायतों में विभाजित है। एक ग्राम पंचायत में औसतन 2,500 लोगों के घर होते हैं। हर एक ग्राम पंचायत का एक चुना हुआ प्रधान होता है। हर एक पंचायत में औसतन 2 गांव होते हैं।
- प्रशासकीस उद्देश्य से, उत्तर प्रदेश 18 मण्डल में विभाजित है जो एक डिविजनल कमिशनर के तहत है। मानचित्र और प्रत्येक डिवीजन की सूची के लिए यहाँ क्लिक करें।
- फिर प्रत्येक डिवीजन कई जिलों में विभाजित होती है। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। मानचित्र, मुख्यालय कुल 75 जिलों की जनसंख्या को जानने हेतु यहाँ क्लि करें (नीचे की ओर स्क्रॉल करें)। प्रत्येक जिला का मुखिया जिला मैजिस्ट्रट होता है। जिला कलक्टरों और मैजिस्ट्रट की सूची के लिए यहाँ क्लिक करें।
- फिर प्रत्येक जिला कई तालुक/तहसील या सब–जिले में विभाजित होता है। हर एक तहसील/तालुक एक सबडिवीजनल मैजिस्ट्रट के अधीन होता है। प्रत्येक जिला फिर कई प्रखण्ड विकास या शहरी क्षेत्र में विभाजित होता है। तहसील, प्रखण्ड विकास और शहरी क्षेत्र के नाम जानने के लिए http://districts.nic.in/ इंटरनेट पर चलो।
- अन्य अधिकारियों जैसे मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी आदि की जानकारी हेतु वेबसाइट इस पुस्तिका के उपयुक्त पृष्ठ पर दी गई है। जब आप ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो वह जानकारी इस टेबल में डालें।

मंडल/सेवा	पृष्ठ	क्षेत्र का नाम	अधिकारी का नाम/पता/फोन न.
राजनीतिक मंडल			
राष्ट्रीय लोकसभा, संसद सदस्य (एम पी)	4		
विधानसभा, क्षेत्र विधान सभ सदस्य (एमएलए)	4,55		
पंचायत, पार्षद	37		
प्रशासनिक विभाग			
मंडल आयुक्त (डी सी)	4		
जिला मैजिस्ट्रट	57,58		
खंड विकास अधिकारी	39		
इस पुस्तिका में दी गई सेवायें			
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, (सी एम ओ)	20		
नज़दीकी सरकारी अस्पताल	20		
बेसिक शिक्षा अधिकारी	31		
गैस एजेंसी	36		
स्थानीय पुलिस स्टेशन हाउस ऑफिसर (एस एच ओ)	45,47		
पुलिस मुख्यालय, पुलिस अधीक्षक (एस पी)	45,47		

Table of Contents (Click to go directly to page)

1.परिचय 2
- 1.इस दस्तावेज़ के बारे में 2
- 2.पहला कदम – अपनी बस्ती के सरकारी दफ्तरों को जानें 4

2.भोजन और जल 7
- 1.भोजन और जल – पीने का पानी 7
- 2.भोजन और जल – राशन कार्ड 8
- 3.भोजन और जल – आंगनवाड़ी 9
- 4.भोजन और जल – मध्यान्तर भोजन योजना 10

3. आय (आमदनी) 11
- 1.आय – नरेगा 11
- 2.आय – पेंशन 12
- 3.आय – लड़की के जन्म पर वित्तीय प्रोत्साहन 14
- 4.आय – व्यावसायिक प्रशिक्षण 15
- 5.आय – ड्राइवर लाइसैंस 16
- 6.आय – स्वयं सहायता समूह 17
- 7.आय – सूक्ष्म उद्योगों के लिये वित्त 18
- 8.आय – जीवन बीमा 19

4.स्वास्थ्य 20
- 1.स्वास्थ्य – सरकारी अस्पताल 20
- 2.स्वास्थ्य – प्रतिरक्षण (बचाव) (टीकाकरण) 21
- 3.स्वास्थ्य – गर्भावस्था और प्रसव 22
- 4.स्वास्थ्य – टी बी 24
- 5.स्वास्थ्य – विकलांगों के लिये सेवायें 25
- 6.स्वास्थ्य – मानसिक स्वास्थ्य 27
- 7.स्वास्थ्य – बहाली (नशा पुर्नवासन) 29
- 8.स्वास्थ्य – एच आई वी 30

5.शिक्षा 31
- 1.शिक्षा – सरकारी स्कूल 31
- 2.शिक्षा – छात्रवृत्ति (वजीफा) और लाभ 33
- 3.शिक्षा – मुक्त शिक्षा 34

6.बिजली और गैस 35
- 1.बिजली और गैस – बिजली 35
- 2.बिजली और गैस – गैस 36

7.गाँव की सुविधायें 37
- 1.गाँव की सुविधायें – शौचालय 37
- 2.गाँव की सुविधायें – पक्की गलियां और नालियां 38
- 3.गाँव की सुविधायें – आवास 39
- 4.गाँव की सुविधायें – भूमिहीनों के लिये भूमि 40
- 5.गाँव की सुविधायें –सडकें 41

8.खेती 42
1.खेती – सिंचाई 42
2.खेती – फसलों का बीमा 43
3.खेती – सब्सिडी (आर्थिक सहायता, अनुमोदन) 44
9.मावन अधिकारों का दुरुपयोग 45
1.मावन अधिकारों का दुरुपयोग– घरेलू हिंसा 45
2.मावन अधिकारों का दुरुपयोग– बाल श्रम (बाल मजदूरी) 47
3.मावन अधिकारों का दुरुपयोग– बाल विवाह 49
4.मावन अधिकारों का दुरुपयोग– तस्करी 50
4.1 तस्करी – बंधुआ मजदूरी 51
4.2 तस्करी – यौन तस्करी 53
10.पहचान के दस्तावेज़ 55
1.पहचान के दस्तावेज़ – मतदाता पहचान पत्र 55
2.पहचान के दस्तावेज़ – विशिष्ट पहचान पत्र 56
3.पहचान के दस्तावेज़ – जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र 57
4.पहचान के दस्तावेज़ – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडे वर्ग के प्रमाण पत्र 58
5.पहचान के दस्तावेज़ – बैंक खाता 59
6.पहचान के दस्तावेज़ – पैन कार्ड 60
11.अतिरिक्त 61
1.अतिरिक्त – सामुदायिक समस्या के सुलझाने के दस कदम 61
2.अतिरक्ति – सरकार के सुविधाओं की योजनाओं और कानून 63
3.अतिरक्ति – अधिकार मिलने के लिए आवेदन पत्र 65
4.अतिरक्ति – सही सरकारी दफ्तर के कर्मचारी को आवेदन पत्र दे 66
5.अतिरिक्त – भ्रष्टाचार का सामना कैसे कर सकते है? 67
6.अतिरिक्त – सूचना के अधिकार के प्रभावी प्रयोग पर टिप्पणी 68
7.अतिरिक्त – मीडिया को इसतेमाल करना 70
8.अतिरिक्त – प्रयोग किए गए संक्षिप्त रूप 71
12.आवेदन पत्र 72
1.आवेदन पत्र – पेंशन (कृपया पृष्ठ 12 देखें) 72
2.आवेदन पत्र – राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (कृपया पृष्ठ 12 देखें) 75
3.आवेदन पत्र – ड्राइवर लाइसैंस (कृपया पृष्ठ 16 देखें) 77
4.आवेदन पत्र – सूक्ष्म उद्योगों के लिये वित्त (कृपया पृष्ठ 18 देखें) 79
5.आवेदन पत्र – रेलवे छुट आवेदन फार्म (कृपया पृष्ठ 25 देखें) 80
6.आवेदन पत्र – मतदाता पहचान पत्र (कृपया पृष्ठ 55 देखें) 81
7.आवेदन पत्र – आधार कार्ड (कृपया पृष्ठ 56 देखें) 85
8.आवेदन पत्र – पैन कार्ड (कृपया पृष्ठ 60 देखें) 86

2. भोजन और जल

1. भोजन और जल – पीने का पानी

पीने का पानी हर व्यक्ति के जीवन और स्वास्थ्य का मूल अधिकार हैं। भारत सरकार द्वारा चलाई गयी योजनाएँ निश्चित रूप से हर भारतीय के लिये प्रदान की गयी हैं।

1. संबंधित विभाग

केन्द्र सरकार

- ग्रामीण विकास मंत्रालय – पेय जल एंव सफाई विभाग (वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें)

उत्तर प्रदेश सरकार

- यू.पी जल निगम (वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करे)
- 10 क्षेत्रों में विभाजित है यहाँ: आगरा, अलाहाबाद, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, मुरादाबाद, फैज़ाबाद, कानपुर, वाराणसी

स्थानीय

- कस्बाओं और शहरों में नगर पालिका से संबंधित ज़िले

2. अधिकार *(वेबसाइट ग्रामीण स्वच्छता और पेयजल पर ई बुक यहां)*

- राषरीय ग्रमीण पेयजल कार्यक्रम के तहत लक्ष्य है कि प्रति व्यक्ति को उपलब्ध होना चाहिए 55 लीटर पीने का पानी (पीने के लिए 3 लीटर, खाना पकाने के लिए 5 लीटर, स्नान के लिए 15 लीटर, बर्तन धोने के लिए 10 लीटर, शौपच के लिए 10 लीटर, कपड़े धोने के लिए 12 लीटर) (ई बुक यहां)
- 500 मीटर और 30 मिनट से अधिक दूरी नहीं होना चाहिए (पृष्ठ 7 राषरीय ग्रमीण पेयजल कार्यक्रम का दस्तावेज़ यहाँ)
- 2022 तक 90% ग्रामीण परिवारों नल जल का उपयोग और (80% घर के कनेक्शन के साथ) होने चाहिए । (पृष्ठ 27 ई बुक यहां)

3. आवेदन का तरीका (सफलता की संभावना आशा 20 प्रतिशत, समय सीमा 6 माह)

- यहाँ केन्द्र सरकार की वेब साइट परं कि क्या आपके गांव में पानी की उपलब्धता की सरकारी सूचना सही है (एक विशेष गांव को ढूंढें)। (सभी जिलों को देखने के लिए 'एच.पी. स्टेटस' तक स्क्राल करें, उपयुक्त क्षेत्र में अपने जिले को देखें)
- यहाँ केन्द्र सरकार के वेब साइट पर देखें कि क्या सरकार ने आपके प्रखण्ड के जल के स्रोतों की जांच की है या नहीं।
- ऊपर दिए गए मानक के अनुसार अगर गुणवत्ता और मात्रा सही नहीं है तो जांच या नए स्रोतों के लिए आवेदन करें सही क्षेत्रों में विभाजित को यहाँ: आगरा, अलाहाबाद, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, मुरादाबाद, फैज़ाबाद, कानपुर, वाराणसी

4. दबाव (अगर आवेदन के बाद सफलता नहीं मिलती)

- जहाँ शिकायत की वहाँ फ़िर दोबारा शिकायत करें। फिर
- फोन उ प जल निगम सहायता लाइन 18001800525; 0522 2620172, 2620272; फिर
- उप क्षेत्रीय कार्यालय में जहां आपने आवेदन किया था वहां सूचना के अधिकार के तहत आवेदन करें। जनसूचना अधिकारी के पते के लिए यहाँ और यहाँ क्लिक करें।
- भारतीय स्वचछता पोर्टल से संपर्क करे यहां फिर
- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें यहाँ
-

5. सफलता की कहानी

पारवा गांव हैन्डपम्प खराब हो गया था। गांव में ग्रामीण एवम स्वास्थ्य समिती द्वारा आवेदन लोक स्वास्थ्य और यंत्री विभाग को दिया गया। 3 दिन के बाद हैन्डपम्प चालू हालात में हो गया।

2. भोजन और जल – राशन कार्ड

राशन कार्ड व्यवस्था, का उद्देश्य हर परिवार के लिये बाजार से कम कीमत पर बुनियादी खाने की चीजें उपलब्ध कराना है। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के कानून में खाद्य सुरक्षा का अधिकार स्थापित किया है, जो 75: ग्रामीण परिवारों और 50: शहरी परिवारों के लिये कम कीमतों पर 5 किलो खाद्यान्न की गारंटी देता है।

1. संबंधित विभाग

केंदीय सरकार

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एन एफ एस ए, यहां।
- खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय – खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (वेब साइट के लिये यहां क्लिक करें)
- महिला और बाल विकास मंत्रालय पोषण संसाधन प्लेटफार्म www.poshan.nic.in

उत्तर प्रदेश सरकार

- खाद्य और सिविल सप्लाई राज्य विभाग (वेब साइट के लिये यहां क्लिक करें)

2. अधिकार *(वेबसाइट: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एन एफ एस ए, यहां। राइट टू फूड कैम्पैन यहां और यहां। उच्च न्यायालय आयुक्त 2011 यहां।*

- गरीब निवासी – 'प्रधान्य परिवार' के हर व्यक्ति को (जिसका नाम हर राज्य सरकार द्वारा दी गई प्राथमिकता सूची में है), 5 किलो खाद्यान्न कम कीमतों पर दिया जायेगा। (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम खंड़ 3(1)।
- बेसहारा निवासी – (जैसे कि विकलांग या विधवा) जिनका कोई सहारा नहीं है, उन्हें अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड दिया जा सकता है, चाहे वे गरीबी रेखा के नीचे है या नहीं, वे 35 किलो खाद्यान्न कम कीमतों पर लेने के हकदार हैं।(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम खंड़ 3(1) और उच्चतम न्यायालय के आदेशों के लिये यहां देखें)
- दरें और मासिक मात्रा–राइट टू फूड यहां, या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची 1 यहां देखें।

एन एफ एस ए के तहत	गेंहू	चावल	मेटा अनाज
बी पी एल को प्राथमिकता (5 किलो प्रति व्यक्ति)	2 रुपये	3 रुपये	1 रुपये
अंत्योदय (35 किलो प्रति परिवार)	2 रुपये	3 रुपये	1 रुपये

3. आवेदन करने की विधि

बी पी एल आवेदन की विधि

हर राज्य सरकार को उपयुक्त परिवारों की सूची प्रकाशित करनी चाहिये (एन एफ एस ए सैक्शन 10, और उसे प्रमुख रूप से प्रदर्शित करना चाहिये सैक्शन 11) उत्तर प्रदेश के लिये सूची में नाम शामिल किये जाने और निकाले जाने जरने वाले नामों का मानदण्ड यहां दिया है। जाँच करें कि आपका नाम इस सूची में है या नहीं। जिन परिवारों के नाम सूची में हैं वे राशन/(एन एफ एस ए कार्ड के लिये यहां दी गई विधि के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।

अपने सर्किल कार्यालय में यहां और यहां से डाउनलोड करें ..... 33/–; पहचान का प्रमाण; निवास का प्रमाण (बिजली के बिल की कॉपी या दो पडौसियों की गवाही) ; आयु का प्रमाण; आय का प्रमाण और 1 पासपोर्ट साइज की फोटो के साथ।

अंत्योदय अन्न योजना के लिये आवेदन करने की विधि

जैसा ऊपर दिया गया है, पर फार्म में अपने बेसहारा होने की घोषण के साथ।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- अपने मंडल के कार्यालय में सीधे शिकायत करें, जहां आपने आवेदन किया है; फिर
- टॉल फ्री हैल्प लाइन .... 1800 1800150 पर कॉल करके देखें ; फिर
- उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के फूड और सिविल सप्लाई विभाग और कनसूमर प्रोटैक्शन विभाग को आर टी आई ड़ालें (यहां); फिर
- उच्चतम न्यायालय आयुक्त के उत्तर प्रदेश के सलाहकार को सम्पर्क करें, यहां
  - Arundhati Dhuru 09415 022772, e-mail: arundhatidhuru@gmail.com
- सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें यहां फिर

3. भोजन और जल – आंगनवाड़ी

भारत में लाखों बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। आंगनवाड़ी योजना का उद्देश्य 6 महीने से 6 साल (स्कूल जाने से पहले) तक के हर बच्चे को एक पोषक भोजन, विटामिन्स और टीकाकरण प्रदान करने का है। एक बार जब वे स्कूल जाने लगते हैं तो बच्चे मध्यान्ह भोजन योजना के हकदार होते हैं (फूड–मिडडे मील पेज 10 देखें)। केंन्द्र सरकार ने हाल ही में बच्चों के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के कानून में राइट टू फूड़ सिक्योरिटी स्थापित किया है, जो आंगनवाड़ी भोजन देने की गारन्टी देता है।

1. संबंधित विभाग

केंदीय सरकार

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एन एफ एस ए, सैक्शन 5,1 यहां।
- महिला और बाल विकास मंत्रालय (वेबसाइट के लिये यहां पर क्लिक करें)

उत्तर प्रदेश

- महिला एवं बाल विकास विभाग (वेबसाइट हेतु यहाँ क्लिक करें)।

2. *अधिकार (वेबसाइटः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एन एफ एस ए, यहां। राइट टू फूड कैम्पैन यहां। उच्च न्यायालय आयुक्त 2011 यहां।*

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एन एफ एस ए सैक्शन 5 ए के तहत, 6 महीने से 6 साल तक के हर बच्चे को आंगनवाड़ी में हर दिन पके–पकाये भोजन खाने का अधिकार है।

- 6 साल से कम आयु के हर 40 बच्चों के लिये एक आंगनवाडी केंन्द्र (ए डब्लयु सी) होना चाहिये (सुप्रीम कोर्ट के आदेश **यहां** पृष्ठ 3 पर दूसरा पाइन्ट)
- बच्चों को 500 कैलोरी का पोषक स्नैक (अल्पाहार) जैसे दलिया, चना आदि दिया जाता है (एन एफ एस ए, अनुसूची 2)
- कुपोषित बच्चों को घर ले जाने के लिये 800 कैलोरी का स्नैक दिया जाता है।(एन एफ एस ए, अनुसूची 2)
- गर्भवती और बच्चों को अपना दूध पिलाने वाली माताओं के लिये 600कैलोरी का स्नैक दिया जाता है।(एन एफ एस ए, अनुसूची 2)
- बच्चों को निगरानी में, शैक्षिक खिलौनों के साथ शैक्षिक खेल उपलब्ध कराना (डब्लयुसीड़ी **यहां**)
- बच्चों को बुनियादी टीकाकरण, दवा (कीड़ों की दवा), विटामिन्स (आयरन) उपलब्ध कराना, और उनके शरीर के वजन/लम्बाई की जाँच करना जो उनके चार्ट में दर्ज है (राइट टू फूड ब्रोशर देखें, यहां)

3. आवेदन की विधि

- अपने इलाके में 3 से 6 साल तक के 40 बच्चों की सूची प्राप्त करें जिसमें उनके नाम, पता, लिंग, जन्म तिथि, और उनके माता–पिता की स्वीकृति शामिल हो। (सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहां पाइन्ट 9 या आंगनवाड़ी ऑन डिमान्ड़ **यहां** पृष्ठ 3 पर दूसरा पाइन्ट)
- महिला और बाल विकास विभाग के मुख्यालय में में आई सी डी एस के कार्यालय में इस सूची को जमा करें, **यहां** ।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- आपने जहां आवेदन किया है वहां आई सी डी एस के कार्यालय में सीधे शिकायत करें; फिर
- यू.पी.आई.सी.डी.एस प्रोग्राम के लिए जनसूचना अधिकारी के पास आर.टी.आई दें (पता हेतु यहाँ);
  - Shri Shambhu Nath (Director, ICDS), 3rd floor Indira Bhawan, Lucknow, Phone: 0522-2287249 Fax:0522-2287032; then फिर
- उच्चतम न्यायालय आयुक्त के उत्तर प्रदेश के सलाहकार को सम्पर्क करें, यहां
  - Arundhati Dhuru 09415 022772, e-mail: arundhatidhuru@gmail.com ; फिर
- राइट टू फूड कैम्पैन को सम्पर्क करें, यहां; फिर
- केंन्द्र सरकार की आन लाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें, यहां

5. सफलता की कहानी

अपनी कहानी लिखें

4. भोजन और जल – मध्यान्तर भोजन योजना

मध्यान्ह भोजन योजना (एम डी एम एस) का उद्देश्य आठवीं कक्षा तक के सभी बच्चों को प्रतिदिन एक पोषक आहार देना है। 100 लाख बच्चों को सेवा प्रदान करने वाली यह योजना संसार का सबसे बड़ा पोषक कार्यक्रम है।केंन्द्र सरकार ने हाल ही में बच्चों के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के कानून में राइट टू फूड़ सिक्योरिटी स्थापित किया है, जो मध्यान्ह भोजन देने की गारन्टी देता है।

1. संबंधित विभाग

केंदीय सरकार

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एन एफ एस ए, सैक्शन 5,1 यहां।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (वैबसाइट यहां)

उत्तर प्रदेश सरकार

- मिड डे मील ऑथोरिटी (वेबसाइट के लिए *here* क्लिक करें)।

2. *अधिकार (वेबसाइटः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एन एफ एस ए, यहां / राइट टू फूड कैम्पैन यहां । उच्च न्यायालय आयुक्त 2011 यहां)*

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एन एफ एस ए, सैक्शन 5,1 बी के अनुसार .....

- आठवीं कक्षा तक के हर बच्चे को, या 6 से 14 साल की आयु तक के हर बच्चे को स्कूल के हर दिन एक मध्यान्ह भोजन का अधिकार है।
- कक्षा 1 से 5 तक के लिये भोजन 450 कैलोरी और कक्षा 6 से 8 तक के लिये भोजन 750 कैलोरी होना चाहिये।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, **यहां**, ...

- सूखा प्रभावित इलाकों में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान भी भोजन दिया जाना चाहिये।

(अधिक जानकारी के लिये राइट टू फूड, वैबसाइट में **यहां** देखें)

3. आवेदन की विधि

- सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक में पहले से ही मध्यान्ह भोजन योजना होनी चाहिये,
- अगर नहीं है तो माता–पिता सीधे संबंधित स्कूलों से आवेदन करना सकते हैं।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

प्रति दिन दो माताओं–पिताओं को भोजन का निरीक्षण करने का अधिकार है। अगर भोजन की गुणवत्ता और मात्रा में कोई समस्या है तो .

- सीधे स्कूल को शिकायत करें; फिर
- 1800 233 9988 पर फोन कर के शिकायत करें यहां, फिर
- उच्चतम न्यायालय आयुक्त के उत्तर प्रदेश के सलाहकार को सम्पर्क करें, यहां
  - Arundhati Dhuru 09415 022772, e-mail: arundhatidhuru@gmail.com ; फिर
- राइट टू फूड कैम्पैन को सम्पर्क करें, यहां; फिर
- केंन्द्र सरकार की आन लाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें, यहां

5. सफलता की कहानी

यह कहानी गुड़पारा गांव की है। स्कूल में मध्यान भोजन के बारे में अध्यापक और बच्चों से पूछा तो पता चला की राशन कम मिलता है जिसके कारण बच्चों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। इस पर जौर्ज वेसली , समूह के अध्यक्ष राजेश राजन व सरपंच रतिराम प्रजापति के साथ बैठक करके इसका समाधान किया गया और समूह को निर्देश दिया गया कि पूरा राशन बच्चो के लिए बनवाया जाये इस प्रकार गुड़पारा गांव की समस्या का समाधान हो गया।

3. आय (आमदनी)

1. आय – नरेगा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम शायद संसार के इतिहास में सबसे बड़ी सरकारी रोजगार योजना है। लाखों लोगों ने इस योजना से लाभ उठाया है। यह योजना एक साल में 100 दिनों के लिये ग्रामीण परिवारों को, चाहे वे गरीबी रेखा के नीचे हैं या नहीं, सरकारी कार्यक्रमों में काम करने की अनुमति देती है (सड़कें बनाना, सिचाई आदि)।आशा की जाती है कि इस योजना से मिलने वाली आय, और इसके तहत बनाई बेहतर बुनियादी सुविधायें, परिवारों का शहरों में जाने के बजाय, ग्रामीण इलाकों में रहने में मदद करने के लिये काफी होगी।

1. संबन्धित विभाग

केंद्र सरकार

- ग्रामीण विकास मंत्रालय (वेबसाइट के लिये यहाँ पर क्लिक करें)

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार

- ग्रामीण विकास विभाग (वेबसाइट के लिये यहां क्लिक करें)

2. अधिकार *(वेबसाइटः सुप्रीम कोर्ट आयुक्त **यहाँ** तथा राइट टू फूड यहाँ)*

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) –

अवलोकन के लिये, राइट टू फूड वेबसाइट यहाँ; मनरेगा के लिये वेबसाइट यहाँ; और 2012 के निर्देशों के लिये यहाँ क्लिक करें।

- हर साल हर ग्रामीण परिवारों के लिये 100 दिनों का रोजगार (18 साल से अधिक आयु के किसी भी युवा के लिये)
- आवेदन करने के 15 दिनों के अन्दर काम मिलना चाहिये।
- काम उसी जगह में होना चाहिये जहां आवेदक रहता है, और अगर काम की जगह घर से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है तो यात्रा का भत्ता देना चाहिये।
- तय की हुई न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिये, पर कम से कम 168/– प्रतिदिन के हिसाब से बैंक या पोस्ट ऑफिस के खाते में जमा करना चाहिये, या जहां स्थानीय बैंक या पोस्ट ऑफिस नहीं है वहां नकद भुगतान करना चाहिये। (सरकारी दस्तावेज यहाँ)
- काम करने के 14 दिनों के अन्दर भुगतान किया जाना चाहिये।
- अगर कोई काम नहीं हैं तो 15 दिनों के अन्दर बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिये; 30 दिनों के लिये 33: और उसके बाद 50: ।
- काम करने के स्थान पर पीने के साफ पानी की सुविधा, आपात चिकित्सीय देखरेख, बच्चों की देखरेख, और विश्राम करने के लिये शेड़ की सुविधा होना चाहिये।
- बुजुर्गो और अक्षम लोगों को उचित काम देना चाहिये।
- मनरेगा में काम करने वालों को नीचे लिखी बीमे की सुरक्षा मिलती है
  - *जनश्री बीमा योजना* – जो ग्रामीणों को लाइफ कवरऐज और डिसएबिलिटी लाभ प्रदान करती है,
  - *राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना*–उन सब मनरेगा कर्मचारियों/उत्तराधिकारियों के लिये है जिन्होने पिछले वित्तीय वर्ष में 15 दिनों से अधिक काम किया है।

3. आवेदन करने की विधि

मनरेगा (सफलता की सम्भावना 50; समय सीमा 6 महीने)

- अपनी स्थानीय पंचायत में नौकरी के कार्ड के लिये आवेदन करें।
- पंचायत में काम के लिये आवेदन करें।
- 15 दिनों के अन्दर काम मिल जायेगा। 15 दिनों के अन्दर भुगतान हो जायेगा।

4. हिमायत करना

- मनरेगा शिकायत निवारण यंत्रावली (एमजीएनआरईजीए ग्रीवन्स रिड्रैसल) में सीधे शिकायत करें, यहाँ; फिर
- ग्रामीण विकास विभाग में आर टी आई डालें (सम्पर्क करने के लिये नम्बर यहाँ से लें); फिर
- उच्चतम न्यायालय आयुक्त के उत्तर प्रदेश के सलाहकार को सम्पर्क करें, यहां
  - Arundhati Dhuru 09415 022772, e-mail: arundhatidhuru@gmail.com ; फिर
- राइट टू फूड कैम्पेन से सम्पर्क करें (वेबसाइट यहाँ)

2. आय – पेंशन

जब बीपीएल परिवार रोजगार से एक नियमित आय प्राप्त नहीं कर सकते, पर अपनी किसी गलती के द्वारा नहीं, तो ऐसे में उन्हें सरकार द्वारा दिया जाने वाला नकद भुगतान पेंशन कहलाता है ।

1. संबंधित विभाग

केंदीय सरकार

- ग्रामीण विकास मंत्रालय (वैबसाइट के लिये **यहां** पर क्लिक करे)

उत्तर प्रदेश सरकार

- समाज कल्याण विभाग (फेसबुकसाइट यहां)

2. अधिकार *(वेबसाइटः राइट टू फूड यहां और एन एस ए पी के निर्देश यहां।)*

- **मुख्या मंत्री गरीब आर्थिक मददयोजना** ' रु 300 प्रत्येक माह सब गरीब परिवारों के लिए जिसको 16 अंक से अधिक मिलता है सर्वे पर चाहे ठच्स् हो या ना हो। अगर दूसरे सरकारी पेंशन मिल रहा है तो नहीं मिलेगा ।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना – 60 से 79 साल के विधवाओं के लिये 200 हर महीने की पेंशन। 80 साल और उससे अधिक आयु के विधवाओं के लिये 500 हर महीने की पेंशन (अनुच्छेद 2.3)। राज्यों को ऐसी ही धनराशि का योगदान करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है (ऊपर दी गई 2014 के निर्देर्शों का अनुच्छेद 2.4.1) उत्तर प्रदेश सरकार की 400 रूपये हर महीने का श्रावण बाल राज्यसभा सेवा निवरूति वेतन योजना .... 65 साल से अधिक आयु, बी पी एल, और 15 सालों से अधिक उत्तर प्रदेश का रहने वाला होना चाहिये
- **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना** – 40 से 79 साल की आयु तक की विधवाओं को 300 स्पये हर महीने की पेंशन। 80 साल और उससे अधिक आयु की महिलाओं को 500 रूपये हर महीने की पेंशन (अनुच्छेद 2.3)। राज्यों को ऐसी ही धनराशि का योगदान करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है (ऊपर दी गई 2014 के निर्देर्शों का अनुच्छेद 2.4.1)
- **विकलांगता पेंशन** – 18 साल से 79 साल की आयु तक के उन व्यक्तियों को जिन्हें 80 प्रतिशत से अधिक विकलांगता है, 300 हर महीने की पेंशन। 80 साल और उससे अधिक आयु के विकलांगों के लिये 500 रुपये हर महीने की पेंशन (अनुच्छेद 2.3)। पृष्ठ 25 पर विकलांगता खंड़ भी देखें।
- **राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना** – हर महीने 20,000 (10,000 सैन्ट्रल बैंक से और 10,000 राज्य से) रूपये की सहायता उन परिवारों को देती है जिनका प्रमुख कमानेवाला (18 से 65 साल की आयु तक का) मर जाता है; 20,000 रूपये की सहायता, आकस्मिक या महामारी के कारण होनी वाली मृत्यु के लिये या 5000 रूपये की सहायता प्राकृतिक मृत्यु के लिये है। परिवार की शेष सलाना आय 15,000 स्पये से अधिक नहीं होनी चाहिये। उच्च न्यायालय आयुक्त 2011 यहां। समाज कल्याण विभाग यहां

ध्यान दें ..... ' से चिन्हित पेंशन योजनाओं का एक निश्चित सलाना बजट है। इसलिये, पात्रता के मानदंड़ को पास करने का मतलब यह नहीं है कि आपको उस वर्तमान वित्तीय वर्ष में सफलता मिल जायेगी।

न्यूनतम पेंशन की दरें **यहां** दी गई हैं (अनुच्छेद 2.3), 300 हर महीने या 80 साल से अधिक के लिये 500 हर महीने। राज्यों को ऐसी ही धनराशि का योगदान करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है (अनुच्छेद 2.4.1) ताकि कुछ राज्यों में पेंशन को उच्च दरों पर लाया जाये।

3. आवेदन की विधि

सभी पेंशनों के लिये..... आवेदक को कोई अन्य पेंशन नहीं मिलनी चाहिये। अन्य योजनाओं के लिये .....

- दस्तावेज पंचायत में जमा करें (नीचे सूचीबद्ध है)।
- पंचायत उन दस्तावेजों की जाँच करेगी, फिर दस्तावेजों को समाज कल्याण विभाग में जमा करें।
- समाज कल्याण विभाग आवेदन पत्र को मंजूर कर लेगा (आशा की जाती है)।
- पेंशन पोस्ट आफिस में या बैंक के खाते में जमा होनी चाहिये और स्वीकृत तारीख पर उसका भुगतान होना चाहिये।

हर योजना के लिये दस्तावेज़

महामाया गरीब आर्थिक मददयोजना के लिए अलग सरकारी सर्वे होता है लेखपाल से इस के बाद सीधा SDM को आवेदन दे।

दूसरे योजनाओं के लिए.

- नीचे दिए गए दस्तावेज पंचायत में जमा करें।
- पंचायत जांच करेगी, उसके बाद दस्तावेज समाज कल्याण विभाग में जमा करें।
- समाज कल्याण विभाग आवेदन को स्वीकार (संभावित) करेगा।
- पेंशन बैंक/डाक घर के खाते में जमा की जाएगी और फिर व्यक्ति को भुगतान की जाएगी।

वृद्धावस्था पेंशन के लिये –

- फार्म डाउनलोड़ करें यहां; या हार्ड कॉपी पृष्ठ 72 देखें
- बी पी एल प्रमाण पत्र,
- 14 सालों का आवासीय प्रमाण (वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड, या दो की गवाही),
- बैंक खाते– 9 अंकों का एम आई सी आर और 7 अंकों का आई एफ सी एस नम्बर,
- एक फोटो,
- नाम, पता, आयु, बी पी एल, कोई अन्य पेंशन नहीं मिल रही हैं, इन सब को प्रमाणित करने के लिये शपथ–पत्र

विधवा पेंशन

- फार्म डाउनलोड़ करें यहां; या हार्ड कॉपी पृष्ठ 72 देखें
- 15 सालों का आवासीय प्रमाण (वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड, या दो पडौसियों...एम एस ए...स्थानीय दुकानदार की गवाही उनके कार्ड की फोटाकॉपी),
- बैंक खाते– 9 अंकों का एम आई सी आर और 7 अंकों का आई एफ सी एस नम्बर,
- एक फोटो,
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र,
- नाम, पता, आयु, बी पी एल, परिवार के सारे सदस्य, कोई अन्य पेंशन नहीं मिल रही हैं, पति की मृत्यं के बाद अब तक विवाह नहीं किया है, और अगर करेगीं तो सरकार को सूचित करने की वादा .... इन सब को प्रमाणित करने के लिये शपथ–पत्र

विकलांग पेंशन

- फार्म डाउनलोड़ करें यहां; या हार्ड कॉपी पृष्ठ 72 देखें
- बी पी एल प्रमाण पत्र,
- 5 सालों का आवासीय प्रमाण (वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड, या दो पडौसियों की गवाही),
- बैंक खाते– 9 अंकों का एम आई सी आर और 7 अंकों का आई एफ सी एस नम्बर,
- एक फोटो,
- 80 प्रतिशत से अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र,
- नाम, पता, आयु, बीपीएल, परिवार के सारे सदस्य, कोई अन्य पेंशन नहीं मिल रही हैं, इन सब को प्रमाणित करने के लिये शपथ–पत्र

कमाने वाले की मृत्यु

- फार्म डाउनलोड़ करें यहां; या हार्ड कॉपी पृष्ठ 75 देखें
- मृत्यु के समय आयु 18 से 64 साल की थी,
- 5 सालों का आवासीय प्रमाण (वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड, या दो पडौसियों...एम एल ए...स्थानीय दुकानदार की गवाही),
- बैंक खाते– 9 अंकों का एम आई सी आर और 7 अंकों का आई एफ सी एस नम्बर,
- एक फोटो,
- कमाने वाले की मृत्यृ का प्रमाण पत्र,
- नाम, पता, आयु, बी पी एल, कोई अन्य पेंशन नहीं मिल रही हैं, इन सब को प्रमाणित करने के लिये शपथ–पत्र (एफीडेविट)

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- पंचायत से जाँच करें; फिर
- ज़िला प्रोबेशन अधिकारी को अपील करें, जिसके पास पेंशन के माामलों के लियु कुछ अधिकार हैं; फिर
- उच्चतम न्यायालय आयुक्त के उत्तर प्रदेश के सलाहकार को सम्पर्क करें, यहां
  - Arundhati Dhuru 09415 022772, e-mail: arundhatidhuru@gmail.com ; फिर
- राइट टू फूड कैम्पैन को सम्पर्क करें, यहां; फिर
- केंन्द्र सरकार की आन लाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें, यहां

3. आय – लड़की के जन्म पर वित्तीय प्रोत्साहन

संसार में सबसे खराब लिंग अनुपात भारत में है। हर साल हजारों कन्यस–भ्रूण हत्याऐं होती है। विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य, लड़कियों के जन्म, उनके प्रतिरक्षण, और स्कूली शिक्षा के उच्च स्तर को उत्तरोत्तर पूरा करने पर, उनके लिये धन जमा करके भारतीय परिवारों को लड़कियों और उनकी शिक्षा की कीमत को समझने में मदद करना है।

1. संबंधित विभाग

केंदीय सरकार

- महिला और बाल मंत्रालय (वेबसाइट के लिये यहां पर क्लिक करें)

उत्तर प्रदेश

- महिला एवं बाल विकास विभाग (वेबसाइट हेतु यहाँ क्लिक करें)।

2. अधिकार *(वेबसाइटः यू एन एफ पी ए यहां)*

बालिका समृद्धि योजना

महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत यह एक केंद्रीय योजना है। यह योजना सभी लड़कियों की माताओं के लिये 500 रुपये नकद देती हैं, और उसके बाद शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिये आगे इस प्रकार से भुगतान करती हैं ..... 1 से 3 कक्षाओं के लिये 500 रुपये हर साल; कक्षा 4 के लिये 500 रुपये; कक्षा 5 के लिये 600 रुपये; कक्षा 6 से 7 तक के लिये 700 रुपये; कक्षा 8 के लिये 800 रुपये; कक्षा 9 और 10 के लिये 1000 रुपये। चाइल्ड लाइन का वैबसाइट दंखें **यहां**)

धनलक्ष्मी (वैब साइट यहां है पृष्ठ 10)

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बालिकाओं के कल्याण और विकास के लिए कई योजनाएं लागू कर रहा है। धनलक्ष्मी योजना के अनुसार बाल के लिए सर्शत नकत हस्तांतरण के लिए एक योजना 2008-09 से सात राज्यों में 11 ब्लांक (आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पंजाब) में पायलट आधार पर लागू किया जा रहा है । इस योजना के संबंध में शर्त (जन्म पत्र , टीकाकरण, नामांकन और प्रतिधारण स्कूल में कक्षा 8 तक के तंजीकरण, एक बीमा कवरेज अगर बालिका 18 आयु तक अविवाहित रहती है) को पूरा करने पर एक बालिका के परिवार को नकद हस्तांतरण (रू 5,000) के लिए प्रदान करता है।

टीकाकरणः 6 सप्ताह रु200, 14 सप्ताह रु200, 9 महीने रु200, 16 महीने रु200, 24 महीने रु200, पूरा करना रु250

शिक्षाः प्राथमिक विद्यालय में नामांकन रु1,000, कक्षा 1 में रु500, कक्षा 2 में रु500, कक्षा 3 में रु500, कक्षा 4 में रु500, कक्षा 5 में रु500, माध्यामिक विद्यालय में नामांकन रु1,500, कक्षा 6 में रु750, कक्षा 7 में रु750, कक्षा 8 में रु750

3. आवेदन की विधि

- **बालिका समृद्धि योजना** यहां पर उपलब्ध फार्म का उपयोग करते हुये, बाल विकास परियोजना अधिकारी या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को आवेदन करें।
- **धनलक्ष्मी:** जॉच करें कि क्या आपके ब्लॉक धनलक्ष्मी के अंदर हैं (वैबसाइट यहां है पृष्ठ 12)। यदि हां, तो पंचायत में लड़की के जन्म का पंजीकरण करें । फिर मदर डाकघर में शून्य शेष बैंक खाता खोलती है। टीकाकरण आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा दर्ज करवाना। नामांकन प्रधानाध्यापक द्वारा दर्ज करवाना ।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ जाँच करें; फिर
- महिला और बाल विकास विभाग को आर टी आई डालें (वैब साइट **यहां** है); फिर
- यू. पी. आई. सी. डी. एस, प्रोग्राम के लिए जनसूचना अधिकारी के पास आर.टी.आई दें
  - श्री शम्भू नाथ
  - बाल चिकास सेवा एवं पुष्टाहार, आई. सी. डी. एस,
  - तीसरा तल इन्दिरा भवन, लखनऊ
  - फोन 0522 2287249, 0522 228 7034
- केंन्द्र सरकार की आन लाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें, **यहां**

4. आय – व्यावसायिक प्रशिक्षण

देश भर में जन शिक्षा संस्थान के प्रशिक्षण केंद्र हैं जो पूर्व शिक्षा योग्यता पर जोर दिये बिना बहुत कम कीमतों में उचित गुणवत्ता के व्यावसायिक कौशल और तकनीकी ज्ञान प्रदान करते हैं। ये केंद्र बस्तियों में रहने वाले और दूर दराज़ के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिये बनाये गये हैं।

1. संबंधित विभाग

केंदीय सरकार

- जन शिक्षा संस्थान **यहां** राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय।
- कौशल विकास मंत्रालय और प्रशिक्षण उद्यम महानिदेशालय (डी जी ई टी) **यहां**,
- कौशल विकास पहल योजना, **यहां**

2. अधिकार *(वेबसाइटः जन शिक्षा संस्थान संदर्भः यहां)*

जे एस एस

- जे एस एस, पूर्व शिक्षा योग्यता पर जोर दिये बिना बहुत कम कीमतों में उचित गुणवत्ता के व्यावसायिक कौशल और तकनीकी ज्ञान प्रदान करते हैं।
- ये केंद्र बस्तियों में रहने वाले और दूर दराज़ के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिये बनाये गये हैं।
- जे एस एस, विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रम, (लगभग 371) मोमबत्ती बनाने से लेकर सिलाई और कम्प्युटर कोर्सस तक प्रदान करते हैं।
- उत्तर प्रदेश में जे एस एस के 53 केंद्र हैं (वेबसाइट **यहां** – इनकी स्थिति जानने के लिये **यहां** पर क्लिक करें)
  - जे एस एस धारवी मुम्बई जी2 जी5 जी8 न. एसएच–3, एस पी पी एल, हैरीटेज बिल्ड़िग, ट्रांजिट कैम्प म्यूनिसपिल स्कूल के पास, नये पुलिस स्टेशन के पीछे, ट्रांजिट कैम्प, एम जी रोड़, मुम्बई –400017; फोनः 022–24098804; ईमेलः *jssdharavi@gmail.com*
  - जे एस एस वर्ली मुम्बई, आदर्श नगर, वर्ली मुम्बई –400030, फोन 022– 24224433; ईमेलः *jss-worli@hotmail.com*

प्रशिक्षण महानिदेशालय

- कौशल विकास पहल योजना – मॉड्यूलर रोजगार कौशल, (विवरण **यहां**) 14 साल से बड़े बच्चों को प्राथमिकता देती है जिन्होंने 5वीं कक्षा पास कर ली है, पर उसके बाद से वे बाल मजदूर रहे हैं और अब काम करना चाहते हैं।
- शिल्पकार प्रशिक्षण योजना – (विवरण **यहां**), प्रशिक्षण सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में बहुत कम फीस में होता है। इसमें 127 विभिन्न ट्रेड़ हैं, प्रशिक्षण की अवधि 6 से 12 महीने है, शिक्षा 18वीं कक्षा और उससे ऊपर।
- महिलाओं के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण – (विवरण **यहां**), ड्रैस बनाने, कम्प्युटर चलाने, बालों तथा त्वचा की देखरेख करने के कोर्सस, प्रशिक्षण की अवधि 1 से 2 साल है, न्यूनतम योग्यता 10वीं कक्षा पास।

3. आवेदन करने की विधि

जे एस एस

- 6 महीने के हर कोर्स के लिये अप्रैल और अक्तूबर में दाखले होते हैं। फीस 100 है।
- सीधे दाखले के लिये प्रशिक्षण केंद्र को सम्पर्क करें (यहां पर क्लिक करें और फिर अपने इलाके पर क्लिक करें)।
- दाखले के लिये जरूरी दस्तावेज़ ..... राशन कार्ड़, 2 पहचान प्रमाण पत्र, 4 या 5 पासपोर्ट साइज की फोटो।

प्रशिक्षण महानिदेशालय

- डी जी ई टी, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली, फोनः 011– 23708071 पर सीधे दाखले के लिये आवेदन करें।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- केंन्द्र सरकार की आन लाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें, (*यहां*); फिर
- संबंधित जे एस एस को आर टी आई ड़ालें (यहां सम्पर्क करें)

5. सफलता की कहानी

अपनी कहानी लिखें

5. आय – ड्राइवर लाइसैंस

किसी उसे व्यक्ति केलिये जो अधिक पढ़ा लिखा नहीं है, ड्राइविंग (गाडी चलाना) एक अच्छी आय हो सकती है। गाडीचलाने के लिये केवल एक ड्राइविंग लाइसैन्स की आवश्यकता, लाइसैंस परिवहन विभाग से दिया जाता है। कहा जाता है कि परिवहन विभाग बहुत भ्रष्ट है जो लाइसैन्स देने के लिये अधिकतर लोगों से रिश्वत की मांग करना है।

1. संबंधित विभाग

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार

- परिवहन विभाग (आर टी ओ), (वैबसाइट **यहां**)

2. अधिकार *(वेबसाइटः अभिवक्ता या वकील की खोज यहां करें परिवहन विभाग यहां)*

परिवहन विभाग (आर टी ओ), (वैबसाइट यहां)

- 16 साल की आयु में 500 सी सी, बिना गियर वाली दो पहिया वाहनों के लिये लाइसैंस मिल सकता है।
- 18 साल का कोई भी व्यक्ति जिसने गाडी चलाना सीखा हो, वह नॉन–कर्मिशयल गाडियों का लाइसैंस मिलने का हकदार है।
- कर्मिशयल गाडियों का लाइसैंस लेने के लिये 20 साल को हाना आवश्यक है।

3. आवेदन करने की विधि

- लरनर्स पर्मिट के लिये आवेदन करें (फॉर्म 2 यहां), या पृष्ठ 77 पर अपने निकटतम स्थानीय सड़क परिवहन कार्यालय को खोजें। आपको नीचे दी गई चीजों के बारे में एक टैस्ट पास करना पड़ेगा (पृष्ठ 5 पर यहां)...
  - यातायात चिन्ह, यातायात संकेत, और खंड़ 118 के तहत बनाये गये सड़क अधिनियम के नियम।
  - दुर्घटना में फंसने पर, जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाये या शारीरिक चोट लगी हो; या तीसरे पक्ष की संपति को नुकसान पहुंचा हो, ड्राइवर के कर्तव्य।
  - मानव रहित रेलवे क्रासिंग को पार करते समय ली लाने वाली सावधानियां।
  - गाडी चलाते समय ड्राइवर के पास होने वाले दस्तावेज।
- गाडी चलाना सीखें।
- पक्का लाइसैंस के लिये आवेदन करें। आर टी ओ को इन चीजों के साथ आवेदन पत्र जमा करें (फॉर्म 4 **यहां या यहां**)...
  - ड्राइविंग टैस्ट पास करने का प्रमाण,
  - लरनर्स लाइसैंस,
  - मैडीकल सर्टीफिकेट, (फॉर्म 1 ए **यहां**)
  - पासपोर्ट साइज की 3 फोटो,
  - फीस, (रु40)
  - आयु का प्रमाण,
  - आवासीय पते का प्रमाण,
  - अगर आयु 18 साल से कम है तो माता–पिता की मंजूरी।
- और जानकारी के लिए यहां देखें

4. हिमायत करना

- स्थानीय परिवहन विभाग से सम्पर्क करें (सम्पर्क करने के लिये अधिक जानकारी यहां) फिर
- परिवहन आयुक्त को शिकायज करें
  - Transport Commissioner, UP
  - Tehri Kothi, MG Marg, Lucknow-226001(UP)
  - Phone: (0522) 2613978, Fax: (0522) 2629235
- परिवहन विभाग को आर टी आई ड़ालें
  - **Sri Sanjay Kumar Upadhyaya**, Dy Secretary, Transport Deptt: Public Information Officer
  - 209, Second Floor, Bapu Bhawan Sachivalaya, Lucknow Phone: 9454412410 OR
  - **Smt Sheela Kanaujia**, Under Secretary, Transport Deptt: Public Information Officer
  - 827, Bapu Bhawan, 8th Floor, Bapu Bhawan Sachivalaya, Lucknow Phone: 2214772 (O)

6. आय – स्वयं सहायता समूह

जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी का उद्देश्य लोगों के सेविंग समूह बनाना है, जो छोटे कारोबार शुरू करने के लिये अपने आप फंड तक पहुंच सकते हैं।

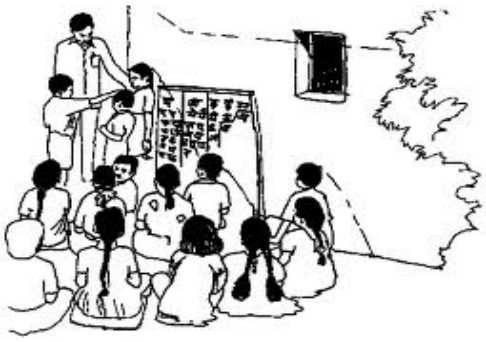

1. केंद्र सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय (वेबसाइट के लिये यहाँ पर क्लिक करें)

2. अधिकार *(वेबसाइटः यहाँ)*

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (जिसे पहले स्वर्ण जयंती ग्राम स्वारोजगार योजना के नाम से जाना जाता था; एस जी एस वाइ)। अवलोकन के लिये यहाँ; और 2011 के निर्देशों के लिये यहाँ क्लिक करें।

- हर ब्लाक के परिवारों (अक्सर गरीबी रेखा से नीचे) के 10 से 20 लोगों के स्वयं सहायता समूह बनाने के लिये आमंत्रित किया जाता है।
- कुछ समय तक बचत करने के बाद यह समूह बैंक या सरकार से कर्जा (लोन) ले सकता है।
- इसके बाद यह समूह एक कारोबार शुरू कर देता है।

3. आवेदन करने की विधि **(सफलता की सम्भावना 50ः ; समय सीमा 6 महीने)**

- जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी को

4. हिमायत करना

- जहां आपने आवेदन किया है वहां आर टी आइ डालें – जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी या ब्लाक डिवैलपमैंन्ट ऑफिस में। फिर
- केंद्र सरकार के आनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली (ग्रीवन्स रिड्रैसल) का उपयोग करें।

5. सफलता की कहानी

जिला छत्तरपुर के खैरों गांव में एक स्वय सहायता समूह बना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वारोजगार योजना के तहत इस समूह को ग्रामीण बैंक से 1,00,000 का लोन मिला जिससे उन्होंने 48 मादा और 2 नर बकरियां खरीदीं। अब उनके पास 103 बकरियां हैं जिन्हें वह 2000 रुपये प्रति बकरी के हिसाब से बेच सकते हैं। अब महिलायें खुश हैं।

7. आय – सूक्ष्म उद्योगों के लिये वित्त

नई भारतीय सरकार लाखों अनौपचारिक उद्योगों की अपने व्यापार को सुधारने के लिये ऋण का उपयोग करने में सक्षम बनाने में मदद करने का प्रयास कर रही है।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- माइक्रो युनिटस डिवेलपमैन्ट एंड रिफाइनैन्स एजेन्सी एम यू डी आर ए www.mudra.org.in

2. अधिकार *(वेबसाइटः एम यू डी आर ए यहां)*

- छोटे व्यवसाय छोटी युनिटों (शिशु) के लिये 50,000 तक का ऋण, और मध्यम युनिटस (किशोर) के लिये 50,000 से 5 लाख तक का ऋण
- कोई जमानती (समर्थन) नहीं
- काम की कोई फीस नहीं
- 5 सालों तक ऋण अदायगी

3. आवेदन करने की विधि

किसी भी बैंक में आवेदन करें। नीचे लिखे दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है .....

- भरा हुआ फार्म (सैंट्रल बैंक के लिये यहां या हार्ड कॉपी के लिये पृष्ठ 79 देखें)
- पहचान का प्रमाण
- निवास का प्रमाण
- 2 फोटो
- जिन मशीनों को ऋण के साथ खरीदना है उनकी कोटेशन (संविदा दर)
- मशीन देने वाले का नाम
- अपनी पहचान/व्यापार के निवास का प्रमाण
- आवेदक की श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक आदि) का प्रमाण।

4. हिमायत करना

- आपने जहां आवेदन किया है वहां के बैंक के मैनेजर को शिकायत करें; फिर
- help@mudra.org.in पर ई मेल करें।; फिर
- एम एस एम ई विकास केंद्र को आर टी आई डालें...
    - सी–11 जी ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलैक्स, बान्द्रा ईस्ट, मुम्बई – 400051; फिर
- केंन्द्र सरकार की आन लाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें, यहां

5. सफलता की कहानी

अपनी कहानी लिखें

8. आय – जीवन बीमा

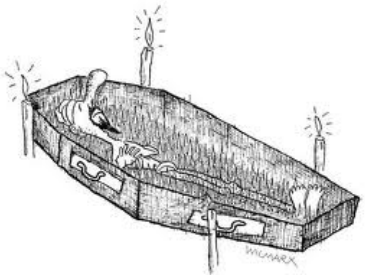

जब किसी परिवार का मत्रकमाने वाला मर जाता है, तो वह परिवार गरीबी की चपेट में आ सकता है। जीवन बीमा मृत्यु के तनाव को कुछ हद तक कम कर सकता है।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- भारतीय जीवन बीमा निगम (वैबसाइट यहां)

2. अधिकार *(वेबसाइटः भारतीय जीवन बीमा निगम, वैबसाइट यहां)*

आम आदमी बीमा योजना (जानकारी के लिये यहां देखें)

- परिवार ग्रामीण और भूमिहीन होना चाहिये।
- आवेदक की आयु 18 से 59 साल के बीच होनी चाहिये।
- आवेदक परिवार का प्रमुख या परिवार में एक कमाने वाला सदस्य होना चाहिये।
- बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु पर परिवार के दो बच्चों को 9 से 12 कक्षा तक की पढ़ाई के लिये वज़ीफा मिलता है।
- हर माह 200 रुपये की प्रीमियम का भुगतान किया जाता है – 50 प्रतिशत राज्य और 50 प्रतिशत केंद्र से।

3. आवेदन करने की विधि

- सीधे एस आई सी को आवेदन करें।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- एल आई सी कार्यालय को शिकायत करें (आम आदमी); फिर
- एल आई सी कार्यालय को आर टी आई ड़ालें; फिर
- केंन्द्र सरकार की आन लाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें, यहां;

5. सफलता की कहानी

अपनी कहानी लिखें

4. स्वास्थ्य

1. स्वास्थ्य – सरकारी अस्पताल

सरकारी अस्पतालों को सब के लिये परामर्श, उपचार, जाँच, और दवायें निशुल्क उपलब्ध करानी चाहिये। दुख की बात है कि, सार्वजनिक अस्पताल प्रणाली की वित्तीय हालत बहुत खराब है, और यह अस्पतालों, डाक्टरों, और दवाओं की कमी का कारण है। इस कारण अस्पतालों में बहुत भीड़ होती है। इसलिये मध्यम वर्ग के अधिकतर लोग निजी अस्पतालों में जाते हैं। सरकार ने हाल ही में बी पी एल परिवारों को आर एस बी वाई योजना में निजी अस्पतालों के द्वारा चिकित्सीय देखरेख का उपयोग करने में मदद करने की कोशिश की है।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (वैबसाइट के लिये **यहां** पर क्लिक करें)
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर एस बी वाई) – गरीबों के लिये स्वास्थ्य बीमा योजना (वैब साइट **यहां** और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न **यहां**)

उत्तर प्रदेश

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें)।
- उत्तर प्रदेश स्वस्थ के उद्देश्य से 4 क्षेत्रों में विभाजित है (4 क्षेत्रों के मानचित्र देखने हेतु वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें)।
- उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें)।

2. अधिकार *(वेबसाइटः मरीजों के अधिकार* **यहां***)*

सभी उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिये उच्च गुणवत्ता का सस्ता इलाज सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर उपलब्ध है

- **जिला अस्पताल** (प्रति जिला–1, आबादी 20 लाख, बहुउद्देश्य डाक्टर एवं जांच) पुरुष जिला अस्पताल की सूची हेतु यहाँ क्लिक करें; महिला जिला अस्पताल हेतु यहाँ क्लिक करें।
- **सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र** (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रति सब–जिला–1; आबादी 1 लाख, 4 डाक्टरों का स्ऑफ) यहाँ पर प्रष्ट 6 देखें
- **प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र** (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रति प्रखण्ड–1; आबादी 30000, 1 डाक्टर का स्ऑफ)
- सब–सेंटर (1 सब–सेंटर आबादी 5,000 के लिए, 1 ए एन एम का स्ऑफ)
- उ.प्र. के समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के मानचित्र हेतु यहाँ क्लिक करें और प्राथमिक/सब–सेंटर के मानचित्र और दूरी जानने हेतु यहाँ क्लिक करें।

आर एस बी वाई योजना के तहत, स्मार्ट कार्ड (बी पी एल) वालों और उन के परिवारों के लिये,पंजीकृत अस्पतालों में 30,000 रुपये तक उपचार (पंजीकृत अस्पतालों के बारे में जानकारी के लिये **यहां** देखें फिर उ.प्र. पर फ़िर जिला पर)।

3. आवेदन करने की विधि

बिना स्मार्ट कार्ड लागों के लिये–किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर कतार में खड़े होकर इन्तजार करें (सारे अस्पतालों के लिये **यहां**) स्मार्ट कार्ड धारकों के लिये (आर एस बी वाई) – पूरी प्रक्रिया जानने के लिये **यहां** क्लिक करें

- बी पी एल सूची तैयार करके बीमा करने वाले को दी जाती है। बीमा करने वाले सूची और नामांकन की तारीखों की सूचना देते हैं,
- उन तारीखों पर, बी पी एल परिवार वहां पहुच कर अपनी फोटो खिंचवातें हैं और अपना फिंगरप्रिन्ट देते हैं, और उन्हें 10 मिनट के अन्दर कार्ड दे दिया जाता है (परिवार के 5 सदस्यों के लिये)। कीमत 30 रुपये। हर साल 30,000 रुपये तक का उपचार का दावा कर सकते हैं।
- धारकों को उन अस्पतालों की सूची दी जाती है, जहां वे जा सकते हैं। अस्पतालों की सूची के लिये **यहां** क्लिक करें।
- बीमार होने पर, धारक सूची में दिये गये किसी अस्पताल में आर एस बी वाई के हैल्प डैस्क पर जाता है, जहां उसके कार्ड का जाँचा जाता है। अगर धारक को अस्पताल में दाखिले की जरूरत पड़ती है तो निर्धारित फीस 30,000 में से काट ली जाती है और 100 रुपये परिवहन का खर्चा दिया जाता है
- कवरड़ और अनकवरड़ प्रक्रियाओं के लिये **यहां** देखें।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- संदिग्ध अस्पताल के चिकित्सीय अधीक्षक को लिखित शिकायत करें; फिर
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आर टी आई ड़ालें ; फिर
- उ.प्र. के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को आर टी आई ड़ालें (पी आई ओस के लिये यहां)
- उ.प्र. सहायता लाईन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (0)9198004444 या 1800 209 8888- uprsby@yahoo.co.in

2. स्वास्थ्य – प्रतिरक्षण (बचाव) (टीकाकरण)

भारत में अभी भी शिशु दर अधिक है। प्रतिरक्षण में कवरेज (बीमा से मिलने वालह आर्थिक मदद)की कमी इसका एक महत्वपूर्ण कारक है, जिससे हर साल हजारों बच्चे राके जानी वाली बीमारियों से मर जाते हैं। नीचे दी गई योजना का उद्देश्य प्रतिरक्षण कवरेज को बढ़ाना है।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (वैबसाइट के लिये यहां पर क्लिक करें)
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (वैब साइट **यहां**)

उत्तर प्रदेश सरकार

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें)।

2. अधिकार *(वेबसाइटः केंद्र सरकार अनुसूची यहां)*

उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य **यहां** दिये केंद्र सरकार की अनुसूची के तहत सर्वव्यापी प्रतिरक्षण देने का है।

आयु	प्रतिरक्षण
जन्म के 48 घन्टों के अन्दर	ओ पी वी (पोलियो का पहला टीका), हिपैटाइटिस बी पहला
जन्म (पहले साल तक)	बी सी जी (टी बी)
1.5 महीने (6 सप्ताह)	डी पी टी पहला, ओ पी वी (पोलियो का दूसरा टीका), हिपैटाइटिस बी दूसरा
2.5 महीने (10 सप्ताह)	डी पी टी दूसरा, ओ पी वी (पोलियो का तीसरा टीका), हिपैटाइटिस बी तीसरा
3.5 महीने (14 सप्ताह)	डी पी टी तीसरा, ओ पी वी (पोलियो का चौथा टीका), हिपैटाइटिस बी चौथा
9–12 महीने	मीसल्ज़स (खसरा)
16–24 महीने	डी पी टी पहला बूस्टर, ओ पी वी पोलियो बूस्टर, मीसल्ज़स का दूसरा
5 साल	डी पी टी दूसरा बूस्टर
10 साल	टी टी का पहला
16 साल	टी टी का दूसरा

टीकाकरण इन स्थानों पर किया जाता हैः–

- आशा और ए.एन.एम गांव के स्वास्थ्य दिवसों पर; या
- उप केंद्र; या
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (उ.प्र. में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के मानचित्र हेतु यहाँ क्लिक करें और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से गांवों की दूरी/मानचित्र हेतु यहाँ क्लिक करें)
- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

3. आवेदन करने की विधि

केवल अपने बच्चे को लेकर जाएं:

- ग्राम स्वास्थ्य दिवस; या
- उप केन्द्र; या
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र; या
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रः 1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक, 1 अक्टूबर से 30 मार्च प्रातः 10 बजे से संध्या 4 बजे तक (बेवसाइट से समय हेतु यहाँ क्लिक करें)

मेरा निकटतम सामु स्वास्थ्य केंद्र है.....और प्रा0 स्वास्थ्य केंद्र है.....एवं उप केंद्र है.....पृ. 5 के टेबल पर लिखें।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- संदिग्ध अस्पताल के चिकित्सीय अधीक्षक को लिखित शिकायत करें; फिर
- उ.प्र. सहायता लाईन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (0)9198004444 या 1800 209 8888- uprsby@yahoo.co.in
- जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आर टी आई ड़ालें (यहां); फिर
- केन्द्र सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का प्रयोग करें (**यहां**)

3. स्वास्थ्य – गर्भावस्था और प्रसव

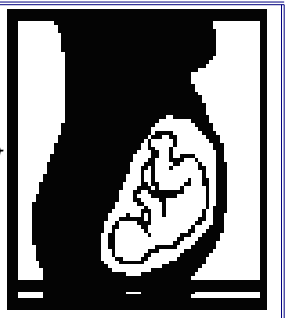

भारत में अब भी मातृ मृत्यु दर बहुत अधिक है। जेएसवाई/एएसएचए और दूसरी योजनायें महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान बराबर चैकअप (जाँच) करवाने और सी एच सी या किसी अस्पताल में प्रसव करवाने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये बनाई गई हैं।

1. संबन्धित विभाग

केंद्र सरकार :

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (वेब यहाँ)
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (यहा)
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (नेशनल फूड़ सिक्योरिटी एक्ट) के तहत यहा)

उत्तर प्रदेश सरकार

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (वेबसाइट के लिए **यहाँ** क्लिक करें)।

2. *अधिकार (वेबसाइटः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यहाँ)*

ए एस एच ए (मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता)

आशा गांव के स्तर पर चुनी हुई स्थानीय महिलायें हैं, जो गर्भवती महिलाओं और सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के बीच एक कड़ी हैं। आशा की पूरी जानकारी यहाँ पूरे निर्देशों के साथ जानने के लिये यहाँ देखें

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत (यहाँ)

हर गर्भवती महिला आंगनवाड़ी भोजन और 6000 रुपयों की किशतों में भुगतान की हकदार है।(एन एफ एस ए खंड 4)

जननी –शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, नई पहल के तहत (यहाँ)

जननी–शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत हर गर्भवती महिला के लिये मुफ्त अधिकारों में ये सब शामिल हैं .....

- निशुल्क और कैशलैस प्रसव और सीज़ैरीयन (आप्रेशन द्वारा प्रसव)
- निशुल्क दवाईयां, उपयोग करके खत्म होने वाली चीज़ें, और परीक्षण (टैस्ट)
- अस्पताल/सी एच सी के रहने के दौरान निशुल्क भोजन – सामान्य प्रसव में 3 दिनों तक और आप्रेशन से प्रसव में 7 दिनों तक।
- जरूरत पड़ने पर निशुल्क रक्त
- सरकारी अस्पताल/सी एच सी में आने...जाने....और अस्पताल में घूमने के के लिये निशुल्क परिवहन

बीमार नवजात शिशुओं के लिये निशुल्क अधिकार जन्म के 30 दिनों के बाद तक (अब बढ़ा दी गई हैं) .....

- निशुल्क इलाज, निशुल्क दवाईयां, उपयोग करके खत्म होने वाली चीज़ें, और परीक्षण
- निशुल्क रक्त की सुविधा
- सरकारी अस्पताल/सी एच सी में आने...जाने.... के लिये निशुल्क परिवहन

जननी –शिशु सुरक्षा योजना के तहत अस्पताल में प्रसव के लिये भुगतान यहां

10 एल पी एस राज्यों में, (जहां संस्थागत प्रसव 25 प्रतिशत से कम होता है) सारी महिलाओं के सारे जन्म के लिये भुगतान मिलता है। यह सब महिलाओ के लिए या गरीबी रेखा से नीचे हो या नहीं। (एल पी एस राज्यों की सूची यहां दी गई है। उतर प्रदेश उस सूची पर है) भुगतान नीचे दी गई दरों पर हैं, (यहां भी देखें पृष्ठ 1,2 पर) पर अब राज्यों की इच्छा पर हैं –

राज्य	ग्रामीण		शहरी	
	माँ	आशा	माँ	आशा
एल पी एस	1,400	600	1,000	200

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (विस्तार से यहां देखें) (अब एन एफ एस ए के तहत है, यहां)

1,500 रुपये का पहला भुगतान दूसरे प्रसव/गर्भावस्था के तीसरे महीने के अन्त तक किया जाता है, अगर .....

- गर्भ धारण करने के चार महीनों के अन्दर, गर्भावस्था को आंगनवाड़ी में पंजीकृत कराया हो,
- प्रसव से पहले की देखरेख के लिये कम से कम एक सत्र में भाग लिया हो और *आई एफ ए* की गोलियां और *टी टी* का इंजैक्शन लिये हों, और
- आंगनवाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र में कम से कम एक बार सलाह सत्र में भाग लिया हो।

1,500 रुपये का दूसरा भुगतान प्रसव के तीन महीने के बाद किया जाता है, अगर .....

- बच्चे के जन्म का पंजीकरण किया गया हो,
- जन्म के समय *बी सी जी* और *ओ पी वी*, जन्म के 6 सप्ताह के बाद, और 6 सप्ताह के बाद, बच्चे को *डी पी टी* और *ओ पी वी* के टीकें लगें हो, और
- प्रसव के 3 महीने के अन्दर माँ ने बच्चे के विकास की निगरानी करने के कम से कम दो सत्रों में भाग लिया हो।

1,000 रुपये का तीसरा भुगतान प्रसव के 6 महीनों के बाद किया जाता है, अगर .....

- 6 महीनों के लिये केवल स्तनपान करवाया गया हो और माँ द्वारा प्रमाणित अतिरिक्त भोजन खिलाया गया हो,
- बच्चे को *ओ पी वी* और *डी पी टी* की तीसरी खुराक मिली हो,
- माँ ने विकास की निगरानी करने और नवजात बच्चे और शिशु के पोषण और प्रसव के तीसरे और छठे महीनों के बीच भोजन खिलाने के लिये कम से कम दो सत्रों में भाग लिया हो ।

3. आवेदन करने की विधि

- यहां पर क्लिक करें और फिर अपने राज्य और जिले में अपने करीबी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा के बारे में पता करें।
- निशुल्क प्रसव के लिये, आशा के साथ पी एच सी/सी एच सी/अस्पताल में जायें।
- अस्पताल से छुट्टी मिलने के समय जे एस वाई का भुगतान ऊपर लिखे तरीके के अनुसार प्राप्त करें।
- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के लिये अपने करीबी आशा या आंगनवाड़ी को सम्पर्क करें।

4. हिमायत करना

- चिकित्सा अधिकारी/पी एच सी या सी एच सी के प्रभारी को लिखित शिकायत, फिर
- जहां पी एच सी या सी एच सी हैं वहां जिले के सी एम ओ (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) को शिकायत करें, फिर
- जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आर टी आई ड़ालें (यहां)।

5. सफलता की कहानी

अपनी कहानी लिखें

4. स्वास्थ्य – टी बी

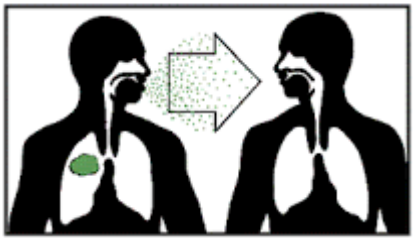

टी बी एक ऐसा रोग है जिसका इलाज हो सकता है और जो ठीक हो सकता है, फिर भी हर साल 300,000 भारतीय इस रोग से मरते हैं।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (वैबसाइट के लिये **यहां** देखें)

उत्तर प्रदेश सरकार

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (वेबसाइट के लिए **यहाँ** क्लिक करें)।

2. अधिकार *(वेबसाइटः टी बी तथ्य* **यहां***)*

- सरकारी डॉटस केंद्रों में निशुल्क निदान और इलाज। अधिक जानकारी के लिये **यहां** देखें।

3. आवेदन करने की विधि

अगर आपको या आप के किसी जानकार को ये लक्षण हैं,.....(अधिक जानकारी के लिये **यहां** देखें)

- तीन सप्ताहों या उससे अधिक समय से खांसी हैं,
- बुखार आता है, खासकर रात के समय,
- भूख में कमी,
- शरीर के वजन में कमी,

तो, जांच के लिये अपने निकटतम डॉटस केंद्रों में जायें।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूरे मानकों को **यहां** देखें।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- अपने जिले के जिला टी बी अधिकारी को शिकायत करें; (सारे जिला टीबी अधिकारियों की डायरेक्टरी यहां देखें) ;फिर
- अपने जिले के राज्य टी बी अधिकारी को शिकायत करें; (सारे राज्य टीबी अधिकारियों की डायरेक्टरी यहां देखें); फिर
- केंन्द्र सरकार की आन लाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें, यहां

5. सफलता की कहानी

अपनी कहानी लिखें

5. स्वास्थ्य – विकलांगों के लिये सेवायें

*हमारे देश में विकलांगों को अभी भी द्वितीय श्रेणी के नागरिक समझा जाता है। नीचे दी गई योजनायें विकलांगता का बोझ कम करने के लिये तैयार की गई हैं। विकलांगों को योजनाओं तक पहुचने के लिये ई एच ए ने अब एक सम्पूर्ण नियम–पुस्तिका बनाई है। इसके लिये एडवोकेसी मैन्यूअल के तहत ऑल इंड़िया एड़वोकेटिंग विथ दि डिसएबल्ड में ई एच ए की वैब साइट देखें – **www.eha-health.org** ।*

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- ग्रामीण विकास मंत्रालय (वैबसाइट **यहां**)
- सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय (वैबसाइट **यहां**)
- विकलांगों के लिये आयुक्त के कार्यालय (वैबसाइट **यहां**)

उत्तर प्रदेश सरकार

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें)।
- विकलांगों के लिये उत्तर प्रदेश आयुक्त (वैबसाइट यहां)
- विकलांग जन विकास विभाग उत्तर प्रदेश (वैबसाइट यहां)

2. अधिकार *(वेबसाइटः पुर्नभाव* **यहां***)*

विकलांगता प्रमाण पत्र –(निर्देशों के लिये **यहां** देखें, रु 1 पर क्लिक करें और फिर पृष्ठ 11 देखें)

- सरकारी डाक्टरों की जांच के अनुसार 40% से अधिक विकलांगता होनी जरूरी है।
- पेंशन और यात्रा में छूट सहित अन्य अधिकतर लाभों के लिये विकलांगता प्रमाण पत्र जरूरी है।

विकलांगता पेंशन (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना... आईजीएनडीपीएस) –
(इसकी अधिक जानकारी के लिये **यहां** देखें .....1 पर क्लिक करें और फिर पृष्ठ 6 देखें या हिन्दी में **यहां** देखें)

- 18 से 79 की आयु
- गम्भीर या बहु विकलांगता (विकलांगता प्रमाण पत्र की आवश्यकता के लिये 80: से अधिक विकलांगता होनी जरूरी है।)
- केवल बी पी एल परिवार (रु 1 पर क्लिक करें और फिर पृष्ठ 5 देखें)
- निजी आय 2,400/– प्रति माह से कम है
- पेंशन 300/– प्रति माह है (80 साल से अधिक आयु वालों के लिये 500/– प्रति माह)

बस या ट्रेन में यात्रा करने के लिये छूट –

- बस – विकलांगों के लिये सरकारी बसों में यात्रा करने के लिये 100: छूट है (अपना पी डब्लयु डी प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी है ..... वैबसाइट **यहां**)। 80% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के साथ चलने वाले सहायकों/अनुरक्षियों के लिये निशुल्क बस यात्रा)
- ट्रेन – अस्थि विकलांग, नेत्रहीन, और मानसिक मंदता: 2 एसी और 1 एसी में 50% ; राजधानी/शताब्दी में 25% को छोडकर सभी वर्गों के लिये 75% छूट (नियम **यहां** देखें)
- सुनने और बोलने में अक्षम – केवल विकलांगों और उनकी देखरेख करने वालों के लिये 50% छूट।

सहायक साधनों और यंत्रों के लगाने/खरीदने में विकलांगों की सहायता (ए डी आई पी) –

- अधिक जानकारी के लिये **यहां** देखें

सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय के तहत अन्य विभिन्न योजनायें –

- व्हील चेयर जैसे साधनों वाले विभिन्न योजनाओं की अधिक जानकारी के लिये **यहां** और **यहां** देखें।

3. आवेदन करने की विधि

विकलांगता प्रमाण पत्र –

- पूरी प्रक्रिया **यहां** देखें
- सरकारी अस्पताल में उपलब्ध फॉर्म भरें
- पासपोर्ट साइज़ की 2 फोटो
- आवासीय प्रमाण (राशन कार्ड या आई कार्ड)
- अगर विकलांगता 40% और उससे अधिक है तो सरकारी डाक्टरों द्वारा प्रमाणित होना चाहिये, फिर उसी दिन विकलांगता प्रमाण पत्र मिल जाता है (पृष्ठ 11 **यहां**)
- एक महीने में मिल जाना चाहिये।

विकलांगता पेंशन

- फॉर्म (**यहां** डाउनलोड करें)
- 80% से अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र;
- 5 सालों का आवासीय प्रमाण पत्र (वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड, या दो पडौसियों की गवाही);
- बैंक खाते– 9 अंकों का एम आई सी आर और 7 अंकों का आई एफ सी एस नम्बर;
- आयु के प्रमाण की फोटाकॉपी (वोटर आई कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड);
- एक फोटो;
- नाम, पता, आयु, कोई अन्य पेंशन नहीं मिल रही हैं, इन सब को प्रमाणित करने के लिये शपथ–पत्र (एफीडेविट);
- सांसद/पार्षद द्वारा प्रमाणित पूरी तरह से भरे गये फार्म। आगे की कारवाई के लिये प्रमाणित फॉर्म तहसील में जमा करने चाहिये

यात्रा में छूट (प्रमाण पत्र की जरूरत होती है)–

- फॉर्म (**यहां** देखें या आर्थोपैडिक की हार्ड कॉपी के लिये पृष्ठ 80 देखें);
- पासपोर्ट साइज़ की 1 फोटो और विकलांगता प्रमाण पत्र
- फॉर्म को संबंधित सरकारी अस्पताल में जमा करें, जो डाक्टर से प्रमाणित होना चाहिये .रेलवे रियायत फॉर्म मिल जाता है।
- रेलवे रियायत फॉर्म के साथ विकलांगता प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी लगायें।

सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय के तहत अन्य विभिन्न योजनायें –

- **यहां** दी गई विभिन्न योजनाओं के अनुसार

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- विकलांगता प्रमाण पत्र के लिये आपने जहां आवेदन किया है वहां आरटीआई डालें/अपील करें **यहां**; फिर
- विकलांगों के लिये मुख्य आयुक्त को शिकायत करें, हर राज्य और यू टी की सूची **यहां** दी गई है।
    - o Shri Anil Kumar Sagar, Commissioner, Disabilities, Govt.of Uttar Pradesh,
    - o Rajkiya Drishtibadhit Chhatron ka Chhatrawas, Basic Siksha Nideshalaya Campus,
    - o Nishatganj, Lucknow.
    - O (0522) 2236392, 2288196(O), फिर
- सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय को आरटीआई डालें/अपील करें; (सम्पर्क के लिये **यहां** देखें); फिर
- केंन्द्र सरकार की आन लाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें, **यहां**

5. सफलता की कहानी

अपनी कहानी लिखें

6. स्वास्थ्य – मानसिक स्वास्थ्य

कई भारतीयों के मानसिक स्वास्थ्य के बहुत से महत्वपूर्ण मामले हैं। अधिकतर मामलों का निदान और इलाज नहीं हो पाता। इसलिये वे अलग थलग रहते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है और वे बहुत कठिन जीवन व्यतीत करते हैं, हालांकि हर भारतीय के कुछ अधिकार है, जिनमें मानसिक स्वास्थ्य के मामले भी शामिल हैं।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय (वैबसाइट **यहां**)
- विकलांगों के लिये आयुक्त के कार्यालय (वैबसाइट **यहां**)

उत्तर प्रदेश सरकार

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें)।
- विकलांगों के लिये उत्तर प्रदेश आयुक्त (वैबसाइट यहां)

2. अधिकार *(वेबसाइटः मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987* **यहां***)*

विकलांगता प्रमाण पत्र –

कुछ मामलों में, मानसिक विकार या मनोसामाजिक अक्षम व्यक्ति विकलांगता प्रमाण पत्र के लिये आवेदन कर सकता है और विकलांगता पेंशन और अन्य उन अधिकारों का लाभ प्राप्त कर सकता है, जो विकलांगों के लिये सेवाओं में सूचीबद्ध हैं (पृष्ठ 25)।

विकलांगता प्रमाण पत्र भारतीय विकलांगता मूल्यांकन और आकलन के मानक (इंडियन डिसएबिलिटी इवैल्युएशन एंड अस्समैंन्ट स्केल –आई डी ई ए एस) की स्कोरिंग के अनुसार **यहां** दिया जाता हैं, जिसमें नीचे दी गई चीजें शामिल हैं .....

- स्वयं की देखभालः इसमें शरीर की सफाई का ध्यान रखना, संवारना, नहाना, शौच, कपडे पहनना, भोजन करना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना शामिल हैं।
- पारस्परिक गतिविधियां (सामाजिक संबंध): इसमें दूसरों के साथ उचित सामाजिक और प्रासंगिक तरीके से पारस्परिक बातचीत शुरू करना और बनाये रखना शामिल हैं।
- बातचीत करना और समझनाः इसमें दूसरों के साथ लिखित/मौखिक/सांकेतिक संदेशों को बनाने और समझने के द्वारा संचार और बातचीत करना शामिल हैं।
- कार्यः किसी भी पहलू से कार्य के तीन क्षेत्र हैं..... रोजगार/घरेलू काम/शैक्षिक
    - काम/नौकरी प्रदर्शन –पूरी तरह और कुशलता से उचित समय में रोजगार में कार्य करने की क्षमता। इसमें रोजगार की मांग भी शामिल है।
    - घरेलू काम – घर परिवार को बनाये रखना, इसमें भोजन पकाना, घर के लोगों की देखभाल करना, सामान की देखरेख करना शामिल हैं। पूरी तरह और कुशलता से उचित समय में घर के कामों की जिम्मेदारी लेना और उन्हें करना।
    - स्कूल/कॉलेज में प्रदर्शन

बुरा व्यवहार नहीं –

- कोई भी पड़ौसी या दोस्त अगर देखता है कि किसी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के साथ उसके परिवार वाले या अभिभावक बुरा व्यवहार कर रहें हैं और ठीक से उसकी देखभाल नहीं कर रहें हैं तो वे मैजिस्ट्रेट (न्यायाधीश) से इसकी शिकायत कर सकते हैं।
- अगर मैजिस्ट्रेट देखता है कि किसी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार हुआ है या उसकी अवहेलना की गई है तो वह उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति या रिश्तेदार को बुला कर उसे बीमार व्यक्ति की उचित देखभाल करने को आदेश दे सकता है।
- यदि परिवार जानबूझ कर आदेश का पालन नहीं करता, तो उसे जुरमाने के साथ दंड़ित किया जा सकता है।

मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों का अस्पताल में दाखिला और छुट्टी –

- 18 साल से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति अगर मनोरोग अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत समझता है तो वह जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी (एम ओ आई सी) को आवेदन करके अस्पताल में भर्ती हो सकता है। एम ओ आई सी 24 घंटे के अन्दर ज़रूरी जाँच करेगा, और अगर ज़रूरी है तो रोगी को अस्पताल में भर्ती कर लेगा।
- 18 साल से कम आयु के व्यक्तियों के लिये, अभिभावक के द्वारा आवेदन किया जाना चाहिये।
- अगर मानसिक रूप से कोई अस्वस्थ व्यक्ति अस्पताल में भर्ती होने में दिलचस्पी दिखाने में असमर्थ है तो उसका कोई दोस्त, रिशतेदार उसकी तरफ से अनुरोध कर सकते हैं।
- किसी भी व्यक्ति को, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, 90 दिनों से अधिक के लिये भर्ती नहीं किया जा सकता।
- मानसिक रूप से अस्वस्थ किसी भी व्यक्ति के साथ इलाज के दौरान किसी भी प्रकार का अपमानजनक या क्रूरतापूर्वक व्यवहार नहीं किया जा सकता।
- आवेदक के द्वारा छुट्टी का अनुरोध (बालिग), या अभिभावक द्वारा छुट्टी का अनुरोध (नाबालिग), के बारे में तुरन्त ही कार्रवाई की जानी चाहिये और 24 घन्टों के अन्दर रोगी को छुट्टी दी जानी चाहिये।

विशेष अधिकार

- मानसिक रूप से अस्वस्थ हर व्यक्ति को अदालत में कानूनी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है।

3. आवेदन करने की विधि

विकलांगता प्रमाण पत्र के लिये –

- ज़रूरी दस्तावेज – आवासीय प्रमाण; हाल में उतारी गई पासपोर्ट साइज की 2 फोटो
- जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सी एम ओ) के पास आवेदन पत्र जमा करें।
- अगर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सी एम ओ) संतुष्ट हो जाता है कि आवेदन करने वाला विकलांग हैं, तो वह उसे विकलांगता प्रमाण पत्र दे देता है।
- जहां तक सम्भव हो सके, आवेदन पत्र जमा करने के एक सप्ताह के अन्दर विकलांगता प्रमाण पत्र देना चाहिये; पर किसी भी हालत में, एक महीने से पहले पहले प्रमाण पत्र देना चाहिये।
- अगर आवेदक विकलांगता प्रमाण पत्र के लिये अयोग्य समझा जाता है, तो सी एम ओ उसके आवेदन पत्र को अस्वीकार करने के कारण उसे समझायेगा, और इन कारणों को लिखित में देगा।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- विकलांगता प्रमाण पत्र देना अस्वीकार करने के बारे में फिर से जांच के लिये .....
  - जिस आवेदक को प्रमाण पत्र देना अस्वीकार किया जाता है वह इस फैसले की फिर से जांच करने का अनुरोध कर सकता है।
  - फिर से जांच करने के आवेदन पत्र के साथ अस्वीकृति के पत्र या प्रमाण पत्र की एक कॉपी लगी होनी चाहिये, जिसके खिलाफ आवेदन किया जा रहा है।
  - फिर से जांच करने के आवेदन पत्र की प्राप्ति पर, चिकित्सा प्राधिकारी, अपील करने वाले को सुनवाई का एक मौका देगी और उसके बाद, जैसा उचित होगा वैसा आदेश दिये जायेगें।
  - फिर से जांच करने के आवेदन पत्र, पर जहां तक सम्भव हो सके, प्राप्ति की तारीख से एक महीने के अन्दर फैसला लिया जायेगा; पर किसी भी हालत में एक महीने से पहले।
- विकलांगों के लिये मुख्य आयुक्त को शिकायत करें, हर राज्य और यू टी की सूची **यहां** दी गई है;
- सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय को आरटीआई डालें/अपील करें; (सम्पर्क के लिये **यहां** देखें); फिर
- केंन्द्र सरकार की आन लाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें, **यहां**

5. सफलता की कहानी

अपनी कहानी लिखें

7. स्वास्थ्य – बहाली (नशा पुर्नवासन)

हताशा में या आशाहीनता में अनेक गरीब शराब या नशीले पदार्थों का सेवन करना शुरू कर देते हैं। नशीले पदार्थों की लत न केवल अनेक नशेड़ियों का जीवन नष्ट करती है, परन्तु उनके परिवारों और पड़ौसियों का जीवन भी कठिन बना देती है। शराब या नशीले पदार्थों के आदी लोगों को बहाल करने के लिये सरकार निशुल्क सेवायें प्रदान करने का प्रयास कर रही है।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय (वैबसाइट के लिये **यहां** पर क्लिक करें)

उत्तर प्रदेश सरकार

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें)।

2. अधिकार *(वेबसाइटः यू एन ऑफिस ऑन ड्रग्स एण्ड़ क्राइम* **यहां***)*

- सरकारी अस्पतालों में निशुल्क नशा–मुक्ति इलाज। महाराष्ट्र में जिला अस्पतालों की सूची के लिये **यहां** क्लिक करें, और महिलाओं के लिये **यहां**।
- कई एन जी ओस सरकार के साथ मिलकर नशा–मुक्ति कार्यक्रम चलाती हैं। महाराष्ट्र में 47 नशा–मुक्ति केन्द्रों की सूची के लिये इस आलेख के पृष्ठ 23 से 26 देखें **यहां**।
- निशुल्क 24 घंटे मानसिक स्वास्थ्य हैल्पलाइन – 1800 266 2345

3. आवेदन करने की विधि

- सबसे अधिक मशहूर (अच्छी प्रतिष्ठा वाले) अस्पताल या एन जी ओस में उस दिन जायें जब उनका ओ पी डी होता है।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- जिस अस्पताल में सुविधा उपलब्ध है उसके मुख्य चिकित्सा अधीकारी को शिकायत करें, सूची के लिये **यहां** क्लिक करें, और महिलाओं के लिये अस्पतालों के लिये **यहां**; फिर
- जिस जिले में सुविधा उपलब्ध है उस जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आर टी आई ड़ालें सूची के लिये **यहां** क्लिक करें, फिर
- केंन्द्र सरकार की आन लाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें, **यहां**

5. सफलता की कहानी

अपनी कहानी लिखें

8. स्वास्थ्य – एच आई वी

हमारे देश में एच आई वी ग्रसित लोग सबसे अधिक उपेक्षित हैं। पर अब सरकार इन लोगों की देखभाल और सहायता करने के लिये व्यवस्था (प्रणाली) बनाने की कोशिश कर रही है।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय–राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन (एन ए सी ओ –वैबसाइट, **यहां**)

उत्तर प्रदेश सरकार

- राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी – यू पी एस ए सी एस (वैबसाइट **यहां**)

2. अधिकार *(वेबसाइटः राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण –यहां)*

- **एच आई वी परिक्षणः** गोपनीय, इनटिग्रेटेड़ काउन्सिलग केंद्रों और परीक्षण केंद्रों में निशुल्क परीक्षण किया जाता है – आई सी टी सी (वैबसाइट यहां)।
- **इलाजः** एडस का निदान होने पर, वह व्यक्ति ए आर टी केंद्रों में निशुल्क इलाज करा सकता है। ए आर टी केंद्रों की सूची के लिये यहां देखें।
- **देखभाल और सहायताः** सामुदायिक देखरेख केंद्रो में एडस और एचआईवी ग्रसित व्यक्तियों को यह सेवा प्रदान की जाती है। सामुदायिक देखरेख केंद्रो की सूची और वैबसाइट यहां है।
- **अधिकारों का संरक्षणः** सूचित सहमति, गोपनीयता, और कोई भेदभाव नहीं (वैबसाइट यहां)।
  - ➢ व्यस्कों और बच्चों को सरकारी संस्थानों में बिना किसी भेद भाव के चिकित्सीय देखरेख और शिक्षा का अधिकार।
  - ➢ एक सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र का मालिक किसी एचआईवी ग्रसित कर्मचारी को केवल यह बीमारी होने के कारण नौकरी से इनकार नहीं कर सकता, या उसे नौकरी से निकाल नहीं सकता। किसी व्यक्ति में एचआईवी की निश्चितता के आधार पर उसके प्रति भेदभाव करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

3. आवेदन करने की विधि

परीक्षण, इलाज, या देखभाल सेवायें नीचे दी गई किसी भी जगह जाने पर उपल्ब्ध हो सकती हैं ...

- उत्तर प्रदेश आई सी टी सी केंद्र (स्थानों के लिए **यहां** देखें);
- उत्तर प्रदेश ए आर टी केंद्र (स्थानों के लिए **यहां** देखें);
- उत्तर प्रदेश सामुदायिक देखरेख केंद्र (स्थानों के लिए **यहां** देखें);

ए आर टी केंद्र में पंजीकरण परवाने से पहले जरूरी दस्तावेज़ .....

- एक आई सी टी सी केंद्र से एचआईवी होने की जांच का परिणाम
- एक फोटो आइ डी कार्ड़।

4. हिमायत करने के सुझाव

- यू पी एस ए सी एस हैल्पलाइन 1800 180 2500; फिर
- यू पी एड्स नियन्त्रण सोसाइटी को शिकायत करें **यहां**
  - o Sh. S.P. Goyal IAS
  - o Tel: 0522 2721871, 0522 2720360,
  - O Email: uttarpradeshsacs@gmail.com ; फिर
- जिस जिले में सुविधा उपलब्ध है उस जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आर टी आई ड़ालें, सूची के लिये **यहां** देखें फिर
- लॉयरस कलैकटिव एचआईवी/एड्स युनिट वैबसाइट – www.lawyerscollective.org; मुम्बई, 022 22875482/3; ई मेल – aidslaw@lawyerscollective.org; फिर
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत रजिस्टर करें; वैबसाइट **यहां**; फिर
- केंन्द्र सरकार की आन लाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें, **यहां**;

5. शिक्षा

1. शिक्षा – सरकारी स्कूल

भारत में गरीब और अमीर के बीच के अन्तर को बढ़ाने के कई प्रमुख तरीकों में से स्कूली शिक्षा–प्रणाली एक तरीका है। गरीब वर्ग के लोगों की पहुंच आमतौर पर केवल सरकारी स्कूलों तक ही होती है, जिनमें शिक्षा का माध्यम हिन्दी होता है, छात्रों की संख्या बहुत अधिक होती और संसाधन बहुत कम होते हैं। मध्यम वर्ग के लोग अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेज सकते हैं जिनमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होता है, छात्रों की संख्या कम होती और और पढ़ाई–लिखाई बेहतर होती है। यहां से, छात्र अक्सर कॉलेजों में जाते हैं, जबकि सरकारी स्कूलों से कॉलेजों में जाने वाले छात्रों की संख्या बहुत कम होती है। नीचे दिये गये उपायों का उद्देश्य गरीबों के लिये शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (वैबसाइट **यहां**)
- सर्व शिक्षा अभियान, **यहां** ।
- निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिये बच्चों का अधिकार अधिनियम 2009 (**यहां** देखें)

उत्तर प्रदेश सरकार

- उत्तर प्रदेश सर्व शिक्षा (वर्ल्ड बैंक/उ.प्र. सरकार प्रोजेक्ट)। (वेबसाइट हेतु यहाँ क्लिक करें)।

2. अधिकार *(वेबसाइटः उत्तर प्रदेश सर्व शिक्षा यहाँ राइट टू एजूकेशन, वैबसाइट* **यहां***)*

राइट टू एजूकेशन एक्ट के तहत .....

- 6 साल से 14 साल तक के सभी बच्चों (विकलांग भी शामिल हैं) को स्थानीय स्कूल में निशुल्क प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 8 तक) का अधिकार है (खंड़ 3)
- सभी माता–पिता/अभिभावक को अपने बच्चों को किसी स्थानीय स्कूल में भर्ती कराना होगा (खंड़ 10)
- सभी सरकारी तथा निजी स्कूल नीचे दी गई बातों का पालन करेगें .....
  - कोई बच्चा एक कक्षा को नहीं दोहरायेगा, निकाला नहीं जायेगा, कक्षा 8 तक की पढ़ाई पूरी किये बिना बोर्ड की परीक्षा पास नहीं करेगा (खंड़ 16)।
  - बच्चों को कोई शारीरिक दंड़ या मानसिक परेशानी नहीं दी जायेगी (खंड़ 17)।
  - न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध करायेगें – हर प्रकार के मौसम के योग्य इमारत, हर शिक्षक के लिये अलग अलग कक्षायें, खेल का मैदान, पुस्तकालय, लड़कों और लडकियों के लिये अलग अलग शौचालय, पीने का पानी, मनोरंजन और खेलने के उपकरण (खंड़ 19 देखें और अधिनियम की अनुसूची देखें)
  - सभी शिक्षकों को नियमित रूप से और समय पर स्कूल आने के लिये और और समय पर पाठ्यक्रम पूरा करने के लिये बाध्य करेंगें (खंड़ 24) ।
  - कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक और छात्र का अनुपात 1:30,और कक्षा 6 से 8 तक 1:35 रखें(खंड़ 25 और अनुसूची देखें)
  - ध्यान रखें कि कोई भी शिक्षक निजी ट्युशन नहीं कर सकता है (खंड़ 28) ।
- सभी निजी स्कूलों को यह करना हैं .....
  - कक्षा 1 में 25 प्रतिशत सीटें सुविधाहीन (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग) बच्चों के लिये सुरक्षित रखें (खंड़ 12 (1 बी) देखें)

3. प्रवेश के लिये आवेदन प्रक्रिया

- 31 अगस्त से पहले बच्चे को नजदीकी स्कूल में लेजाकर दाखिले के लिये कोशिश करें।
- आमतौर पर, आप को केवल बच्चे के जन्म के प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है; अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो एफीडैविट (शपथ पत्र) ले सकते हैं, पर आर टी ई अधिनियम के तहत किसी भी बच्चे को किसी भी कारण से स्कूल में प्रवेश करने से मना नहीं किया जा सकता, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, ट्रांसफर (हस्तान्तरण) प्रमाण पत्र, आयु का प्रमाण का न होना; तथा शैक्षिक साल के दौरान स्कूल में देर से प्रवेश लेना।
- अगर बच्चे की आयु 7 साल से अधिक है तो उसे असकी आयु के अनुसार उचित कक्षा में दाखिला मिलना चाहिये, और दूसरे छात्रों के स्तर तक पहुंचने के लिये विशेष शिक्षा दी जानी चाहिये। (अधिनियम का खंड 4 देखें)

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- सबसे पहले स्कूल के प्रधानाचार्य के पास जायें; फिर
- बेसिक शिक्षा अधिकारी को शिकायत करें (जो जिले के प्राइमरी स्कूलों के जिम्मेदार होते हैं); फिर
- अपनी शिकायत को राइट टू एजुकेशन पर ड़ालें, वैबसाइट **यहां** ; फिर
- उत्तर प्रदेश सर्व शिक्षा को आर टी आई ड़ालें (**यहां** देखे)

5. सफलता की कहानी

अपनी कहानी लिखें

2. शिक्षा – छात्रवृत्ति (वज़ीफा) और लाभ

गरीब बच्चों को स्कूल में भर्ती होने और स्कूल आने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये महाराष्ट्र सरकार ने कई छात्रवृत्ति और लाभ शुरू किये हैं।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (वैबसाइट **यहां**)
- निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिये बच्चों का अधिकार अधिनियम 2009 (**यहां** देखें)
- सर्व शिक्षा अभियान, **यहां** ।

उत्तर प्रदेश सरकार

- उत्तर प्रदेश सर्व शिक्षा (वर्ल्ड बैंक/उ.प्र. सरकार प्रोजेक्ट)। (वेबसाइट हेतु यहाँ क्लिक करें)।
- मिड डे मील ऑथोरिटी (वेबसाइट के लिए *here* क्लिक करें)।
- आर टी ई नियम उत्तर प्रदेश के लिए (**यहां** देखें)

2. अधिकार *(वेबसाइटः आर टी ई नियम यहां)*

- कक्षा 8 तक मध्याह्न भोजन (ऊपर पृष्ठ 10 पर मध्याह्न भोजन देखें)
- प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिये निशुल्क यूनिफार्म और पाठ्यपुस्तकों के लिये (खंड़ 5 देखें, आर टी ई नियमों के लिये **यहां** क्लिक करें)
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों और विकलांग छात्रों के लिये मैट्रिक से पहले और बाद की छात्रवृत्ति योजनायें (**यहां** देखें)
- छात्रा सहायता कार्यक्रम (एन ए एस पी) – कक्षा 8 पास करने के बाद और कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर योग्य लड़कियों के नाम पर 3000/– फिक्सड़ ड़िपौसिट में जमा कर दिये जाते हैं। कक्षा 10 वास करने पर और 18 साल की आयु में लड़कियां इस राशि को ब्याज के साथ निकालने की हकदार होती हैं।(अधिक जानकारी के लिये **यहां** किल्क करें)
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (के जी बी वी) –लड़कियों के लिये प्राथमिक स्तर पर बोर्डिग (भाजन और रहने की) सुविधाओं के सहित निवासीय स्कूल। 75 प्रतिशत लड़कियां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों से या अल्पसंख्यक समुदायों से होनी चाहियें; और केवल इसके बाद 25 प्रतिशत लड़कियां बी पी एल परिवारों से होनी चाहियें। (के जी बी वी की सूची **यहां** देखें)

3. लाभ के लिये आवेदन करने की प्रक्रिया

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, के लिये निशुल्क यूनीफॉर्म के लिये स्कूलों के प्रधानाचार्यों को आवेदन करें।
- अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों और विकलांग छात्रों के लिये मैट्रिक से पहले और बाद की छात्रवृत्ति योजनायें (**यहां**)
- छात्रा सहायता कार्यक्रम के लिये प्रधानाचार्य/स्कूल के प्रमुख को आवेअन करें, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जन्म के प्रमाण पत्रों के साथ।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय निवासीय स्कूलों के लिये सीधे स्कुल का आवेदन करें।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- सबसे पहले स्कूल के प्रधानाचार्य के पास जायें; फिर
- बेससिक शिक्षा अधिकारी को शिकायत करें ; फिर
- अपनी शिकायत को राइट टू एजुकेशन पर ड़ालें, वैबसाइट यहां ; फिर
- उत्तर प्रदेश सर्व शिक्षा को आर टी आई ड़ालें (**यहां** देखे) फिर
- केंन्द्र सरकार की आन लाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें, यहां; फिर
- सामाजिक न्याय मंत्रालय को आर टी आई ड़ालें, यहां

  श्री जे पी दत्त, उप सचिव (सी डी एन), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कमरा संख्या 740, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, ड़ा. राजेन्द्र प्रसाद रोड़ नई दिल्ली –110001 (भारत); ई मेल jashap.dutt@nic.in

3. शिक्षा – मुक्त शिक्षा

कई लोग पढ़ना चाहते हैं पर कई कारणों से वे विधिवत स्कूल नहीं जा सकते हैं। हो सकता है कि उन्हें बहुत शुरू में ही स्कूल छोड़ना पड़ा हो, पर अब व्यस्क हो जाने पर वे फिर से पढ़ना चाहते हैं। हो सकता हैं कि वे कहीं काम कर रहें हों या अपने परिवार की देखरेख करतें हों, इसलिये वे स्कूल नहीं जा सकते। ऐसे लाखों लोगों के लिये भारतीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थानों ने उन्हें घरों से पढ़ने की अनुमति देकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस समय इनमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों पर लगभग 1.5 लाख छात्रों का नामांकन है, जो इसे संसार में सबसे बड़ा मुक्त विद्यालयी शिक्षा प्रणाली का दर्जा देता है।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (यहां)

2. अधिकार *(वेबसाइटः एन आई ओ एस यहां)*

- विधिवत स्कूल प्रणाली के कक्षा 3, 5, और 7 के बराबर ओपन बेसिक एजुकेशन (ओ बी ई) कार्यक्रम
- सेकेन्डरी एजुकेशन कोर्स (कक्षा 10)
- सीनियर सेकेन्डरी एजुकेशन कोर्स (कक्षा 12)

3. प्रवेश के लिये आवेदन करने की प्रक्रिया

कक्षा 3, 5, और 7 के लिये.....

- यहां पर दी गई वैबसाइट पर अपने नजदीकी केन्द्रों को खोजें,
- केन्द्र में जाकर आवेदन की प्रक्रिया शुरू करें।

सेकेन्डरी (कक्षा 10) सीनियर सेकेन्डरी (कक्षा 12) के लिये अब सारे आवेदन ऑन–लाइन किये जाते हैं :–

- यहां पर दी गई वैबसाइट पर जाकर ऑन–लाइन आवेदन पत्र भर कर पूरा करें; या
- मान्यता प्राप्त स्थानीय संस्थान (एक्रेडिटिड इंसट्टीट्यूट–ए आई) में जायें जो ऑन–लाइन आवेदन पत्र भरने में आप की मदद करेगी। ए आइस की सूची के लिये यहां क्लिक करें; या
- क्षेत्रीय केंद्र जायें जो ऑन–लाइन आवेदन पत्र भरने में आप की मदद करेगी। क्षेखेय केंद्रों की सूची के लिये यहां क्लिक करें;

फीस यहां नीचे दी गई हैं .....

कक्षा	स्त्री	पुरुष	एस सी/एस टी/अक्षम
सेकेन्डरी (कक्षा 10)	1,100	1,350	900
सीनियर सेकेन्डरी (कक्षा 12)	1,250	1,500	975

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- कक्षा 3, 5, और 7 के आवेदन पत्रों के लिये, आपने जहां आवेदन किया है वहां के केंद्र में जायें; फिर
- कक्षा 10 और 12 के लिये अपने ऑन–लाइन आवेदन पत्र की स्थिति की जांच करें यहां ; फिर
- क्षेत्रीय केंद्र में शिकायत करें। केंद्रीय केंद्रों की सूची के लिये यहां क्लिक करें; फिर
- दिल्ली में एन आई ओ एस के प्रधान कार्यालय में शिकायत करें यहां; फिर
- केन्द्र सरकार की आन लाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें, यहां

5. सफलता की कहानी

अपनी कहानी लिखें

6. बिजली और गैस

1. बिजली और गैस – बिजली

भारत के अधिकतर राज्यों में बिजली की आपूर्ति का अब आंशिक रूप से (आधा) निजीकरण हो गया है। फिर भी, सरकार की इच्छा है कि भारत के सारे गांवों में 2018 तक नीचे दी गई विभिन्न योजनाओं के द्वारा बिजली पहुंचाई जाये।

1. संबन्धित विभाग

केंद्र सरकार :

- पावर (विद्युत) मंत्रालय (वेबसाइट **यहां**)
- दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (वेबसाइट **यहां**)
- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (वेबसाइट **यहां**)

उत्तर प्रदेश सरकार

- राज्य विद्युत बोर्ड (See web here. Click on 'Implementing Agencies'/ CPSU's then see your state and district.)
- राजीव गाँधी ग्रमीण विद्युत याजना के अंदर, उत्तर प्रदेश में 4 वितरण कंपनी है यहाँ
  - पूर्वोचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यहाँ
  - दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यहाँ
  - पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यहाँ
  - मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यहाँ
- उ.प्र. विद्युत निगम लिमिटेड (वेब के लिए क्लिक करें यहाँ)

2. अधिकार *(वेबसाइटः (प्रधान मंत्री मोदी की प्रतिज्ञा ... **यहां** और **यहां**)*

- भारत के सभी गांवों में अगस्त 15, 2015 से 1000 दिनों के अन्दर बिजली होगी। (प्रधान मंत्री मोदी की प्रतिज्ञा ... यहां और यहां)
- सौर प्रतिष्ठान (गैर परंपरागत ऊर्जा विभाग द्वारा) यहाँ

3. कनेक्शन लेने के लिये आवेदन की विधि

जिस गांव या शहर में पहले से ही बिजली है, वहां नया कनेक्शन लेने के लिये .....

- अगर घर खंबे से 40 मीटर की दूरी के अन्दर है, निःशुल्क फॉर्म **यहाँ** से प्राप्त करें और फिर 'उ.प्र.वि.नि.लि. के बारे में' जानने हेतु क्लिक करें और फिर 'फॉर्म' पर क्लिक करें।
- भरे और उसे सब–डिवीजनल ऑफिस में जमा करें। (आगरा, लखनऊ, मेरठ या वाराणसी)
- इन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगीः– मकान मालिक/किराएदार होने का प्रमाण पत्र, सादे कागज पर घोषणा (स्टांप पेपर की आवश्यकता नहीं है, बी एण्ड एल फार्म, जमानत राशि दर रू. 300 प्रति किलो वॉट या उसके बाद के भाग पर, सेवा कनेक्शन चार्जेज़ः
- 30 दिनों के अन्दर बिजली मिल जानी चाहिए।

गाँव जिस में कोई बिजिली नहीं हैं, वहाँ बिजिली मिलने के लिए

- पहले पता सगवाएं की आपके जिले में कौनसी वितरण कंपनी है यहाँ ।
- फिर आवेदन फॉम लिखें और जमा करें
  - पूर्वोचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, और पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यहाँ देखें
  - मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यहाँ
- आवदन के साथ (प्रधान मंत्री मोदी की प्रतिज्ञा ... यहां और यहां) लिखें

4. हिमायत करना (अगर विद्युतीकरण के लिये आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- जिस वितरण कंपनी को आपने आवदन दिया उसकौ आर टी आई ड़ालें, पी आई ओस की सूची **यहाँ**, **यहाँ**, **यहाँ** और **यहाँ**, है
- केन्द्र सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का प्रयोग करें (**यहां**)

2. बिजली और गैस – गैस

मिट्टी के तेल, लकड़ी, या गोबर की तुलना में रसोई गैस अधिक सस्ती है और सफाई से जलती है, इसलिये यह सभी परिवारों के लिये बहुत उपयोगी है। अक्सर वितरक नये कनेक्शन जारी करना नहीं चाहते हैं, पर अधिकांश परिवारों को एक गैस कनेक्शन का अधिकार है।

1. संबंधित विभाग

रसोई गैस का अब आधा निजीकरण हो गया है। अधिकतर कनेक्शन मिल रहें हैं .....

- इंड़ियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड़ (इंड़ेन ... वैबसाइट **यहां**)
- भारत गैस (**यहां** किल्क करें)
- हिन्दुस्तान पेट्रोलियम (एच पी ....**यहां** किल्क करें)

2. अधिकार *(वेबसाइटः इंड़ियन ऑयल कॉर्पोरेशन .... यहां)*

- हर घर को, जिसमें अलग भोजन पकाने की जगह है, एक गैस कनेक्शन मिलने का अधिकार है (अक्सर पूछे जाने वाले प्रशन रु 1 **यहां**)
- कम दामों पर (405–455 रुपये ..... **यहां** देखें), 12 महीनों में 9 भरे हुये सिलिन्ड़र (वैबसाइट **यहां**)

3. आवेदन की विधि

इंड़ेन के नये कनेक्शन के लिये (अक्सर पूछे जाने वाले प्रशनरु 1 **यहां**)

- फार्म भरें और नजदीकी वितरक को जमा करें। अपने स्थानीय वितरक का पता करने के लिये इंडेन की वैबसाइट पर जायें, **यहां**; और उसमें वितरक का नाम लिखें – मेरा नजदीकी स्थानीय गैस वितरक ..... है (पृष्ठ ***5*** पर दी गई तालिका में दर्ज करें)।
- पहचान और निवास का प्रमाण दें (आई कार्ड, या राशन कार्ड, या बिजली का बिल आदि)
- पते की जांच करने के लिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा आपको एक पत्र मिलेगा। उसे वितरक के पास ले जायें।
- कीमत (अक्सर पूछे जाने वाले प्रशन 2 **यहां**)
  - वापस की जाने वाली सिक्योरिटी फीस 1450 रुपये।
  - गैस रिफिल .... लगभग 450 रुपये (महानगरों में सब्सिडी (आर्थिक छूट) यहां देखें)
  - रैग्युलेटर के लिये वापस की जाने वाली जमा राशि 150 रुपये;
  - कनेक्शन लगाने के लिये 50 रुपये;
  - कुल 2100 रुपये (चूल्हे के बिना) रसीद लेना याद रखें

ध्यान दें ..... आप अपना खुद का चूल्हा और पाइप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर उन पर आई एस आई का निशान है और आपके पास खरीद की मूल रसीद है, और अगर 250/– के लिये इंडेन के कर्मचारी के द्वारा इसकी जांच हुई हो (अक्सर पूछे जाने वाले प्रशन 3 **यहां**)

सब्सिडी (आर्थिक छूट) के लिये

अपने बैंक खाते में सब्सिडी के सीधे भुगतान के लिये **यहां** आवेदन करें। बी पी एल उपभोक्ता को एक गैस कनेक्शन मिलने में सक्षम बनाने के लिये मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं को अपनी सब्सिडी 'गिव अप' करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है **यहां**। बिना सब्सिडी का दाम रु559.593 **यहां** ।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

	इंड़ेन यहां	एच पी	भारत गैस
शिकायत करें	वितरक को सम्पर्क करें	वितरक को सम्पर्क करें	वितरक को सम्पर्क करें
टोल फ्री नम्बर	1552333; 1800 2333555 **यहां**	1552333; 1800 2333555	1800 2333555
ऑनलाइन शिकायत करें	https://iocl.com/VigilanceInquiry.aspx	http://myhpgas.in/myHPGas/HPGas/GiveFeedback.aspx	
आर टी आई दायर करें	पी आई ओस यहां	पी आई ओस यहां	क्षेत्रीय कार्यालयों को सम्पर्क करें यहां

7. गाँव की सुविधायें

1. गाँव की सुविधायें – शौचालय

भारत सरकार चाहती है कि 2022 तक हर घर में उनका अपना एक शौचालय हो। कई गाँववासी जो शौच के लिये पीढियों से घर से बाहर जाते रहें हैं, वे इस बात का प्रतिरोध करते हैं; उनका कहना है कि पानी और उचित सफाई ।

1. संबन्धित विभाग

केंद्र सरकार :

- पेयजल (पीने का पानी) और स्वच्छता विभाग (स्वच्छ भारत मिशन) (वेब यहां)
- ग्रामीण विकास मंत्रालय – पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम (यहां)

सीानीय

- पंचायत की ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति (वेब यहां)

2. अधिकार *(वेबसाइटः ग्रामीण स्वच्छता और पेयजल पर ई बुक यहां देखें – पृष्ठ 17–19)*

- गरीबी रेखा के नीचे और ऊपर के परिवारों जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तक सीमित हैं, छोटे और उपेक्षित किसान, भूमिहीन मजदूर, शारीरिक रूप से अक्षम, और परिवारों का नेतृत्व करने वाली महिलायें शौचालयों के निर्माण का काम कर सकती हैं, और अपना उत्साह बढ़ाने वाली नकद धन राशि ले सकते हैं। *ई बुक यहां देखें – पृष्ठ 17–19)*

इनसैन्टिव/हर शौचालय के लिये मदद	*केन्द्र सरकार*	*राज्य सरकार*	*परिवारिक/ समुदाय के साथ साझा*
निजी परिवार	9,000	3,000	0
सामुदायिक सैनिटरी काम्पलैक्स	60%	30%	10%

- ग्रामीण स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति को 10,000/– का वार्षिक मुक्त अनुदान मिलता है (यहां पृष्ठ 3 देखें) जिसे पक्की गलियां और नालियां बनाने के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है। समितियों में 50% महिलायें, 30% एन जी ओस, हर गांव के प्रतिनिधि (जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति शामिल हों), महिला स्वयं सहायक समूह होने जरूरी हैं।

3. आवेदन की विधि

- अपने ग्राम पंचायत, और व्यक्तिगत बी पी एल परिवारों के शौचालयों की सफाई की स्थिति की जाँच करें; (**यहां** क्लिक करके बांयें हाथ पर नीचे दिये अपने राज्य/जिला/ब्लाक/ग्राम पंचायत में क्लिक करके)
- अगर आप का गाँव अभी तक इस में शामिल नहीं हैं, या आपको जांच से पता चलता है कि यह शामिल तो है पर फिर भी सूची में इसका नाम नहीं हैं, और आप चाहते हैं कि आपके गांव में शौचालय हो तो, सीधे ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति में आवेदन करें।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- सीधे ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति में शिकायत करें, फिर
- पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का प्रयोग करें (यहां), फिर
- पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को आर टी आई ड़ालें (यहां), फिर
- केन्द्र सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का प्रयोग करें (**यहां**)

5. सफलता की कहानी

अपनी कहानी लिखें

2. गाँव की सुविधायें – पक्की गलियां और नालियां

मानसून (बारिश) के दौरान गांवों के अन्दर और आसपास गंदी और कीचड़ भरी सड़कों पर घूमना मुश्किल हो जाता है, इसलिये नालियां को पक्का करना बहुत उपयोगी होता है। ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा पोषण (खाद्य) समिति इस के लिये जिम्मेदार है। इसलिये यह समिति की ईमानदारी पर निर्भर करता है कि एक गांव में सड़कें और नालियां पक्की हैं या नहीं।

1. संबन्धित विभाग

केंद्र सरकार :

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) (वेब **यहां**)
- पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय – (**यहां**)

उत्तर प्रदेश सरकार

- समग्रा ग्राम विकास विभाग (वेब **यहां**)

स्थानीय

- पंचायती ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा पोषण (खाद्य) समिति (वी एच एस एन सी –**यहां**)
- शहरी इलाकों में गलियों, नालियों को पक्का करने, और सफाई करने वालों का जिम्मेदार नगर निगम है।

2. अधिकार *(वेबसाइटः ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा पोषण (खाद्य) समिति यहां)*

- ग्रामीण स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति को 10,000/– का वार्षिक मुक्त अनुदान मिलता है (**यहां** पृष्ठ 3 देखें) जिसे पक्की गलियां और नालियां बनाने के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है। समितियों में 50% महिलायें, 30% एन जी ओस, हर गांव के प्रतिनिधि (जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति शामिल हों), महिला स्वयं सहायक समूह होने जरूरी हैं।
- समग्रा ग्राम विकास योजना (वेब **यहां**) के अंदर 2,100 गांवों में बुनियादी सुविधओं पिछड़ेपन के आधार पर प्रत्येक वर्ष (2012 2017) का प्यन किया जाएगा। इन गांवों में, 33 तरह का याजना (यहाँ) हो सकता है जैसे
- आंतरिक लेन और नाली निर्माण (पंचायती राज विभाग)
- स्वच्छ शौचालय का निर्माण (पंचायती राज विभाग)
- रोड कनेक्ट के निर्माण (लोक निर्माण विभाग)
- पेयतल आपूर्ति (ग्रमीण विकास विभाग)
- ग्रमीण विद्युतीकरण (विद्युत विभाग)
- Establishment of Solar (by Non Conventional Energy Dept)
- Indira Awas housing by (Rural Development Dept)
- Reclamation of ponds by (Rural Development Dept)

3. आवेदन की विधि

- सीधे पंचायती ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा पोषण समिति (वी एच एस एन सी) को

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- सीधे ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति में शिकायत करें, फिर
- समग्रा ग्राम विकास विभाग को आर टी आई डालें (**यहां**), फिर
- पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का प्रयोग करें (**यहां**), फिर
- केन्द्र सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का प्रयोग करें (**यहां**)

5. सफलता की कहानी

अपनी कहानी लिखें

3. गाँव की सुविधायें – आवास

इंदिरा आवास योजना का लक्ष्य (गरीबी रेखा से नीचे) बी पी एल परिवारों को एक बुनियादी घर देना है। गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के लक्ष्य के लिये सभी योजनाओं की तरह यह योजना भी बी पी एल की सूची की तरह ही अच्छी है। यह बहुत दुख की बात है कि यह योजना सही मायनों में गरीबों की एक अच्छी झलक नहीं है, क्योंकि अक्सर शक्तिशाली व्यक्ति बी पी एल की सूची में आ जाते हैं, जबकि गरीबों और कमजोरों को छोड़ दिया जाता है।

1. संबन्धित विभाग

केंद्र सरकार :

- ग्रामीण विकास मंत्रालय (वेबसाइट के लिये यहां पर क्लिक करें)

उत्तर प्रदेश सरकार

- ग्रामीण विकास विभाग (वेब यहां)

2. अधिकार *(वेबसाइटः इंदिरा आवास योजना के निर्देशों को यहां देखें)*

इंदिरा आवास योजना – (2013 के निर्देशों का पृष्ठ 5 देखें यहां)

- टूटे, पुराने तथा कच्चे मकानों वाले बी पी एल परिवारों के लिसे आवास उपलब्ध हैं।
- ये मकान पक्के होने चाहिये और कम से कम 30 सालों तक टिकने चाहिये; और कम से कम 20 वर्ग मीटर के क्षेत्र होने चाहिये।
- हर मकान में एक शौचालय, सोक पिट, कम्पोस्ट पिट, और बिना धुंये का चूल्हा होना चाहिये।

इंदिरा आवास योजना सहायता नीचे दी गई प्राथमिकता के अनुसार मकान आवंटित करती है – (2013 के निर्देशों का पृष्ठ 5 यहां देखें)

- मैला ढ़ोने वाले, जिनमें बहाल किये हुये भी शामिल हैं, और।
- बहाल किये गये बंधुआ मजदूर को,
- कठिन हालातों में रहने वाली महिलायें को, जिनमें विधवायें ....तलाकशुदा और छोड़ी हुईं ..... अत्याचार से पीड़ित ...जिनके पति तीन सालों से गुम हैं, और परिवारों का नेतृत्व करने वाली महिलायें शामिल हैं।
- जिन परिवारों में केवल एक ही बालिका है,
- मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति,
- ट्रांसजैन्डर (विपरीतलिंगी) लोग,
- विधवाओं को, और रक्षा/अर्धसैनिक बल/पुलिस बल के ड्युटी में मारे गये सदस्यों के निकटतम संबंधी (चाहे वे बी पी एल न हों)
- जिन परिवारों का कोई सदसय कैन्सर या कुष्ठ रोग से पीड़ित है,
- एस आई वी ग्रस्त लोगों के लिये,
- अन्य आवासहीन बी पी एल परिवारों के लिये।

सहायता की सीमा (2013 के निर्देशों का पृष्ठ 45 देखें यहां)

- नया मकान बनाने के लिये 70,000/– (पहाड़ी इलाके के लिये 75,000/–)
- कच्चे मकान को पक्का करने के लिये 15,000/–

लोहिया आवास योजना (यहां)

अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए जिसके झोपड़ी ही है या कोई घर नहीं

3. आवेदन की विधि

- सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना आधारभूत आंकडों के आधार पर, भागीदारी की प्रक्रिया का उपयोग करके, उन लोगों की 5 सालों की प्राथमिकता सूची तैयार की जाती है जिन्हें मकान देने की आवश्यकता होती है। (2013के निर्देशों पृष्ठ 14, 15 देखें यहां)
- सालाना सूची को मंजूरी देने के लिये ग्राम सभा बैठक करती है (जिला कलेक्टर बैठक में भाग लेते हैं, उसका वीड़ियो बनता है)
- सूची में नये नामों का समावेशन और किसी नाम का निकालना (अगर कोई है) कारण सहित बताये जाते है।
- ग्राम सभा बैठक 30 नवम्बर तक पूरी हो जानी चाहिये।
- पूरी तरह से तैयार सूची 31 दिसम्बर तक जिला परिषद के पास पहुंच जानी चाहिये।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- सीधे ग्राम पंचायत को शिकायत करें।, फिर
- ग्रामीण विकास विभाग को आर टी आई ड़ालें (सम्पर्क यहां) (वेब यहां), फिर
- इंदिरा आवास योजना को आर टी आई ड़ालें (सम्पर्क यहां)

4. गाँव की सुविधायें – भूमिहीनों के लिये भूमि

पीढ़ियों से चले आ रहे जाति आधारित भेदभाव, भ्रष्टाचार, छल और कर्ज ने अनेक परिवारों को भूमिहीन कर दिया है। इस कारण वे किराये के मकानों में रहते हैं और दूसरों की जमीन पर मजदूरी करते हैं। इंदिरा आवास योजना के तहत नीचे दी गई एक अभिलाषी होमस्टेड़ साइट (वास भूमि) योजना का लक्ष्य बेसहारा लोगों को कुछ भूमि देना है, चाहे वह केवल एक मकान बनाने के लिसे ही काफी हो। अन्य बी पी एल आधारित योजनाओं की तरह, यह भी उतनी ही अच्छी है जितनी बी पी एल की सूची।

1. संबन्धित विभाग

केंद्र सरकार :

- ग्रामीण विकास मंत्रालय (वेबसाइट के लिये यहां पर क्लिक करें)
- इंदिरा आवास योजना (वेबसाइट के लिये यहां क्लिक करें)

उत्तर प्रदेश सरकार

- ग्रामीण विकास विभाग (वेब यहां)

2. अधिकार *(वेबसाइटः इंदिरा आवास योजना यहां)*

- ग्रामीण बी पी एल परिवार जिनके पास न तो खेती के लिये जमीन है और न मकान बनाने के लिये,
- लाभार्थियों को केवल स्थायी इंदिरा आवास योजना की वेटलिस्ट सूची में उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार चुना जायेगा।
- अगर कोई भूमि कुछ समय से एक बी पी एल परिवार के पास है तो राज्य सरकार उस भूमि को वास भूमि के रूप में नियमित (वैध) कर देगी, अगर यह नियमितीकरण मौजूदा अधिनियम और नियमों के अनुसार उचित है। अगर ऐसा नहीं है तो, राज्य सरकार योग्य बी पी एल परिवार को उचित सरकारी भूमि वास भूमि के रूप में देगी। सरकारी भूमि में समुदाय भूमि, पंचायती भूमि, या अन्य स्थानीय अधिकारियों की भूमि शामिल हैं। अगर वास भूमि के रूप में आवंटन के लिये सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है तो इस उद्देश्य के लिये निजी भूमि को खरीदा या प्राप्त किया जा सकता है।
- हर लाभार्थी को 20,000/– की आर्थिक सहायता या वास्तविक, जो भी कम हो, लगभग 400 वर्ग मीटर की वास भूमि खरीदने या अर्जित करने के लिये दी जायेगी। भूमि महिला के नाम पर होना या पत्नी और पति दोनों के नाम पर होना आवश्यक है (इसी क्रम में) – (2013 के निर्देशों का पृष्ठ 7 और 45 देखें यहां)

3. आवेदन की विधि

- इंदिरा आवास योजना के तहत पंचायत को

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- सीधे ग्राम पंचायत को शिकायत करें।
- ग्रामीण विकास विभाग को आर टी आई ड़ालें (सम्पर्क यहां) (वेब यहां), फिर
- ग्रामीण विकास मंत्रालय इंदिरा आवास योजना को आर टी आई ड़ालें (सम्पर्क यहां)
- केन्द्र सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का प्रयोग करें (यहां)

5. सफलता की कहानी

अपनी कहानी लिखें

5. गाँव की सुविधायें –सड़कें

भारत के अनेक गांवों तक जाने के लिये पक्की सड़कें नहीं हैं। इससे सामान लाने लेजाने के लिये, बच्चों को स्कूल आने जाने में, मरीज़ों को अस्पताल जाने में परेशानी होती हैं, खासकर बारिश के मौसम में। भारत सरकार ने कहा है कि वह चाहती है कि 1000 या उससे अधिक जनसंख्या वाले हर गांव में पक्की सड़क हो।

1. संबन्धित विभाग

केंद्र सरकार :

- ग्रामीण विकास प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना मंत्रालय (**यहां**)

उत्तर प्रदेश सरकार

- उत्तर प्रदेश लोक निर्माण कार्य विभाग (वेब **यहां**)
- समग्रा ग्राम विकास विभाग (वेब **यहां**)

2. अधिकार *(वेबसाइटः ग्रामीण विकास प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना मंत्रालय (यहां)*

- 1000 या उससे अधिक जनसंख्या वाले हर गांव में 2003 तक सभी मौसम के लिये मुनासिब पक्की सड़कें हो।
- 500 या उससे अधिक जनसंख्या वाले हर गांव में 2007 तक सभी मौसम के लिये मुनासिब पक्की सड़कें हो। (**यहां**)

3. आवेदन की विधि

- सीधे ग्राम पंचायत को आवेदन करें, या
- सीधे जिला डी आर डी ए को आवेदन करें, या
- उत्तर प्रदेश लोक निर्माण कार्य विभाग को आवेदन करें (**यहां**)।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- सीधे ग्राम पंचायत या जिला पंचायत (जहां आपने आवेदन किया) को शिकायत करें, या
- उत्तर प्रदेश लोक निर्माण कार्य विभाग को शिकायत करें, या
- ग्रामीण विकास प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना को आर टी आई ड़ालें, (**यहां** क्लिक कर, फिर बाई तरफ ऊपर राइट टू इनफारमेशन पर) या
- उत्तर प्रदेश लोक निर्माण कार्य विभाग को आर टी आई ड़ालें, (**यहां**)
- केन्द्र सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का प्रयोग करें (**यहां**)

5. 5.सफलता की कहानी

अपनी कहानी लिखें

8. खेती

1. खेती – सिंचाई

भारत की अधिकतर जनसंख्य अभी भी जीने के लिये खेती पर निर्भर करती है, जिसके लिये सबसे महत्वपूर्ण वस्तुओं में से पानी एक है। मौसम के बदलाव के साथ बारिश का अनुमान लगाना कम हो रहा है, इससे खेती करना और अधिक कठिन हो गया है। नीचे दी गई योजनाओं का लक्ष्य मौसम की अनिश्चितताओं को कुछ हद तक दूर करने के लिये किसानों को उनकी भूमि सींचने की अनुमति देना है।

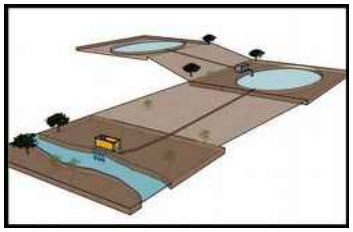

1. संबन्धित विभाग

केंद्र सरकार :

- जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय। (वेब यहां)
- केंद्रीय जल आयोग। (वेब यहां)
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (वेब यहां)
    - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान (वेब यहां) या
    - राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन अभियान (वेब यहां)

2. अधिकार *(वेबसाइट:* राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन अभियान (वेब यहां)

राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन अभियान –यहां–पृष्ठ 1

- 5 हैक्टेअर तक के लिये ड्रिप/स्प्रिकलर सिंचाई प्रणाली की लागत के लिये आर्थिक सहायता ... छोटे और गैर मामूली किसानों के लिये 60% सहायता (इसमें से 50% केन्द्र सरकार देगी और 10% राज्य सरकार देगी) और बाकी का 40% किसान को वहन करना होगा।
- सामान्य श्रेणी के किसानों के लिये आर्थिक सहायता प्रणाली की लागत का 50: होगी जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और लाभार्थी के द्वारा 40:10:50 के अनुपात में होगी। जिला ग्रामीण विकास संस्थायें (डी आर डी ए) और पंचायत लाभार्थियों के चयन में शामिल होगीं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान –यहां–पृष्ठ 38

- पम्प सेटस के लिये प्रोत्साहन (गेहूं, चावल या दालों के लिये): लागत का 50% या हर मशीन के लिये 10,000–तक सीमित, जो भी कम हो।
- छिड़काव करने के सैट का वितरण (केवल गेहूं या चावल के लिये) लागत का 50: या 7,500 प्रति हैक्टेयर, जो भी कम हो।

स्थानीया

80 रुपये में प्रति एकड़ 6 महीना के लिए कृषि सरकार नहरों से पानी प्रयोग कर सकते है ।

3. आवेदन की विधि

राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन अभियान के लिये आवेदन करें .....

- ग्राम पंचायत कार्यालय को या
- जिला ग्रामीण विकास संस्था को।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के लिये आवेदन करें .....

- ग्राम पंचायत कार्यालय को या
- जिला कलेक्टर को।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- पंचायत को शिकायत करें .....
- एन एफ एस एम के लिये एन एफ एस एम सैल को सम्पर्क करें 011–23389831
    - ड़ॉ. एम एन सिंग, जॉयंट डायरैक्टर (एनएफएसएम); ईमेल – mnsingh1959@rediffmail.com
    - श्री सी वाई बारापाटरे, असिस्टैंट कमिशनर (एनएफएसएम); ईमेल – cyb_20007@yahoo.co.in
- एन एम एम आई के लिये
    - नैशनल कमिटी ऑन प्लास्टीकलचर एपलीकेशनस इन हॉर्टिकल्चर (एन सी पी ए एच), 10वीं मंजिल, इंटरनेशनल ट्रेड़ टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली –110019, दूरभाष – 011–46511275
- कृषि विभाग को आर टी आई ड़ालें (वेब यहां)

2. खेती – फसलों का बीमा

बाढ़, सूखा, चक्रवात तूफान, जैसी प्राकृतिक आपदाओं का तेज़ी से बार बार होना मौसम के बदलाव का एक पहलू है, ये सब खेती को अधिक जोखिम भरा बनाते हैं। नीचे दी गई बीमा योजनाओं का लक्ष्य किसानों को इन सब के विरूद्ध अपनी फसलों का बीमा करवाने की अनुमति देना है ताकि खेती कुछ कम जोखिम भरी हो।

1. संबन्धित विभाग

केंद्र सरकार :

- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (वेब **यहां**)
- भारत की कृषि बीमा कंपनी (वेब **यहां**)

उत्तर प्रदेश सरकार

- कृषि विभाग (वेब **यहां**)

2. अधिकार *(वेबसाइटः राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना – यहां)*

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (विस्तृत जानकारी के लिये **यहां** देखें)

- 500 ज़िलों और 20 लाख किसानों को कवरेज देती है।
- प्राकृतिक आपदाओं, कीड़ों, और रोगों के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के न होने पर किसानों को बीमा और आर्थिक सहायता देती है।
- कर्जा लेने वाले (वित्तीय संस्थाओं से सीज़नल एग्रीकलचर आपरेशनस ...एस ए ओ सामयिक कर्जा) किसानों के लिये अनिवार्य है; कर्जा न लेने वाले किसानों के लिये वैकल्पिक है।
- सभी खाद्य फसलों (बाजरा, दालें, अनाज), तिलहन की कवरेज।
- गन्ना, कपास, और आलू समेत कुछ बागवानी फसलों के लिये भी कवरेज है **यहां**।
- बीमा दर इस प्रकार **यहां** हैं .....
  - खरीफ (मॉनसूनः जुलाई से अक्तुबर) बाजरा और तिलहन के लिये 3.5%; मोटा अनाज जौ, और दालों के लिये 2.5%
  - राबी (सर्दीः अक्तुबर से मार्च) गेहूं के लिये 1.5%; अन्य राबी फसलों के लिये 2%
  - ऊपर दी गई दरें अधिकतम हैं। अगर बीमांकिक दर ऊपर दी गई दरों से कम है तब ही केवल यह शुल्क लिया जायेगा।
- छोटे और गैर मामूली किसानों को प्रीमियम का 10% सहायता दी जाती है।

3. आवेदन की विधि

- हर फसल के मौसम के आरम्भ में राज्य सरकार फसलों को दर्ज करती है और उन क्षेत्रों को निर्धारित करती है जिन्हें इस योजना के तहत मौसम के दौरान कवरेज मिलेगा।
- कर्जा न लेने वाले किसान जो इस योजना में शामिल होना चाहते हैं वे एनएआईएस के प्रस्ताव फॉर्म को भरकर उसे गांव के व्यापारिक बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या सहकारी बैंक के पीएसीएस में प्रीमियम के साथ जमा करें।
- प्रस्ताव को मंजूर करते समय बीमाकृत राशि और अधिकतम सीमा आदि के ब्यौरे की जाँच करना शाखा/ पीएसीएस की जिम्मेदारी है।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- गांव के व्यापारिक बैंक की शाखा या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या सहकारी बैंक के पीएसीएस में सीधे शिकायत करें जहां आपने आवेदन किया है, फिर
- कृषि बीमा कंपनी के टोल फ्री नम्बर 1800–103–0061 पर फोन करें।
- भारत के कृषि बीमा कंपनी के यू पी के लिये शिकायत निवारण अधिकारी को सम्पर्क करें, **यहां**
  - श्री अनुपम दास, मुख्य प्रबंधक, 5वीं मंजिल, जीवन भवन, द्वितीय चरण, नवल किशोर रोड, हज़रतगंज, लखनऊ यूपी, 226001
- कृषि और सहकारिता विभाग पीआईओस को आर टी आई ड़ालें (सम्पर्क के लिये **यहां** देखें)
- केन्द्र सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का प्रयोग करें (**यहां**)

3. खेती – सब्सिडी (आर्थिक सहायता, अनुमोदन)

एक अरब से अधिक की आबादी वाले भारत देश को आवश्यकता है कि उसके किसान भोजन की एक नियमित आपूर्ति पैदा करते रहें। परन्तु, संसार भर में उन्नित के साथ साथ खेती करने की बुनियादी चीजें जैसे बीज और उपकरणों की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। नीचे दी गई योजनाओं का उद्देश्य इन बुनियादी चीजों के लिये आर्थिक सहायता देकर खेती को कुछ अधिक लाभकारी बनाना और किसानों को खेती करते रहने के लिये प्रोत्साहित करना है।

1. संबन्धित विभाग

केंद्र सरकार :

- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय – कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (वेब **यहां**)
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान (वेब **यहां**)

उत्तर प्रदेश सरकार

- कृषि विभाग (वेब **यहां**)

2. अधिकार *(वेबसाइट: यहां पृष्ठ 37,38)*

आर्थिक सहायता (वेब यहां)

- बीज – बहुत अधिक (उत्तम) उपज देने वाले गेहूं और चावल के बीज के लिये 500 रुपये प्रति 100 किलो; और दालों के लिये 1,200 रुपये प्रति 100 किलो के हिसाब से सहायता दी जायेगी।
- बीज के मिनीकिट – 19 किलो गेहूं की पूरी कीमत (50 हैक्टेयर के लिये); 5 किलो बहुत अधिक (उत्तम) उपज देने वाले चावल के बीज (50 हैक्टेयर के लिये) और 6 किलो हाइब्रिड़ चावल के लिये (50 हैक्टेयर के लिये)
- उपकरण – वीड़र के लिये 3,000/–; नैपसैक स्प्रेयर के लिये 3,000/; सीड ड्रिल के लिये 15,000/–; रोटर वैटर के लिये 30,000। अन्य चीजों की सूचि **यहां** है

3. आवेदन की विधि

एन एफ एस एम के निर्देशों का पृष्ठ 3 देखें .....

- जिला खाद्य सुरक्षा अभियोग को आवेदन करें, या
- जिला कलेक्टर अथवा मुख्य को, या
- जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी को।

कृषि विभाग, महाराष्ट्र सरकार (**यहां** देखें)

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- किसान कॉल सैन्टर को टोल फ्री फोन करें 1800–180–1551
- एनएफएसएम को **यहां** सम्पर्क करें 011–2338 9831
    - श्री संजय लोहिया (आइ ए एस), संयुक्त सचिव (फसल) एनएफएसएम, कृषि तथा सहकारिता विभाग कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कमरा नम्बर 297 डी, कृषि भवन, नई दिल्ली –110001, फोन नम्बर :011–23381176 (कार्यालय); ईमेलः sanjay.lohiya@gov.in, lohiya30@gmail.com
- कृषि विभाग को आर टी आई ड़ालें (वेब **यहां**)
- केन्द्र सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का प्रयोग करें (**यहां**)

5. सफलता की कहानी

अपनी कहानी लिखें

9. मावन अधिकारों का दुरुपयोग

1. मावन अधिकारों का दुरुपयोग– घरेलू हिंसा

सुधार करने पर भी, भारत में महिलाओं की स्थिति अभी भी खराब है .... यहां तक कि उनके अपने घरों में भी कई महिलाओं को उनके पतियों द्वारा मारा पीटा जाता है। इस प्रकार का व्यवहार समाज और सरकार द्वारा अस्वीकार्य है। 2005 के नये घरेलू हिंसा अधिनियम में दर्शाया गया है।

1. संबंधित विभाग

केंन्द्र सरकार

- महिला राष्ट्रीय आयोग (वेब साइट **यहां**)
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम 2005 (**यहां**)

उत्तर प्रदेश सरकार

- यू पी राज्य महिला आयोग (वेब साइट **यहां** या **यहां** और यू पी देखं।
- यू पी पुलिस (वेब साइट **यहां**)। स्थानीय पुलिस स्टेशन के लिए यहां क्लिक करें और नीचे बाईं तरफ "Find your police station" पर क्लिक करें ..... पृष्ठ 4 पर दिये गये विवरणों को भरें।)

2. अधिकार *(संबंधित कानून के लिये : घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 देखें* **यहां** *)*

घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 यहां, घरेलू हिंसा पर रोक लगाता है, जिनमें ये शामिल हैं.....

- शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक, या आर्थिक (दहेज़ सहित) दुर्व्यवहार (धारा 3 ए)
- ऊपर दिये गये दुर्व्यवहारों की धमकी (धारा 3 सी)
- किसी एन जी ओ या विधिक सेवा प्राधिकरण (लीगल सर्विसस ऑथारिटी) के माध्यम से महिलाओं को निशुल्क कानूनी सलाह का अधिकार है (धारा 5 ड़ी)

भारतीय दण्ड़ संहिता (इंडियन पीनल कोड़)

- धारा 498 ए, स्त्री के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा स्त्री पर क्रूरता पर निषेध।

निवारण (सहायता)

डी वी एक्ट के तहत, प्रताडित स्त्री संरक्षित जगह में रहने (धारा 6), सुरक्षा के लिये इंतजाम (धारा 18), अपने बच्चों को अपने साथ रखने (धारा 21), और /या आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिये (धारा 22) आवेदन कर सकती है।

ध्यान दें ––ई एच ने अब महिलाओं के लिये योजनायें तक पहुंचने के लिये एक सम्पूर्ण मैनुएल बनाया है। इसके लिये ई एच की वैबसाइट www.eha-health.org 'Resources/Advocacy manuals/All India/ Women"s Rights Manual' देखें

3. आवेदन करने की प्रक्रिया (सहायता मिलने में सफल होने का अनुमानित समय : 2 महीने)

आवेदन पत्र देने के समय यह जरूरी है कि प्रताडित स्त्री के साथ काई अन्य स्त्री हो (रिश्तेदार सा समुदाय से कोई या किसी एन जी ओ से)। आवेदक .....

- ग्राम पंचायत से बात कर सकती हैं (अच्छा हो कि महिला सदस्यों से) जिससे स्थानीय स्तर पर समस्या का हल हो सकता है, या
- जिला प्रोबेशन अधिकारी (डी पी ओ) को सूचित करें जिसके घरेलू हिंसा में कुछ अधिकार हैं; या
- स्थानीय प्रोटेक्शन अधिकारी को सतर्क करें (डी वी ए धारा 8); या
- यू पी में किसी गैर सरकारी महिला समर्थन संगठन से सम्पर्क करें (**यहां** देखें); या
- यू पी महिला आयोग से बात करें (पता नीचे दिया है)। महिला अपना बयान देती। प्रताडित करने वाले को आयोग बुलाता है, अगर वह आयोग के सामने नहीं आता है तो आयोग अदालत में शिकायत दर्ज करता है।

फिर प्रताड़ित स्त्री या प्रोटैक्शन अधिकारी या महिला आयोग .....

- स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफ आई आर दर्ज कर सकते हैं स्थानीय पुलिस स्टेशन के लिए यहां क्लिक करें और नीचे बाईं तरफ "Find your police station" पर क्लिक करें (जिसके बाद पुलिस, मैडीकल जांच/ प्रमाण पत्र के लिये व्यवस्था करेगी और दुरुपयोगों की जांच करेगी); या
- अदालत से सुरक्षित आश्रय के लिये, सुरक्षा के लिये इंतजाम, अपने बच्चों को अपने साथ रखने, और/या आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिये आवेदन कर सकती है।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- यू पी महिला आयोग को शिकायत करें टेल 1515 या 0522 2304903
- यू पी महिला आयोग को आर टी आई डालें (**यहां**) – Ms. Zareena urf Fatma Usmani, IIIrd Floor, Rajya Manav Adhikar Bhwan,T.C. - 34, V, Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow - 226010 **up.mahilaayog@yahoo.com** फिर
- अपने जिले के एस पी या एस एस पी को आर टी आई डालें सम्पर्क के लिये यहां क्लिक करें और नीचे बाईं तरफ "Find your police station" पर क्लिक करें ।

5. सफलता की कहानी

अपनी कहानी लिखें

2. मावन अधिकारों का दुरुपयोग– बाल श्रम (बाल मजदूरी)

कई लोग बच्चों के साथ, खासकर लडकियों के साथ वस्तुओं (चीजों) के रूप में व्यवहार करते हैं जिन्हें खरीदा और बेचा जा सकता है। हर दिन हम बच्चों को चाय की दुकानों में, ढ़ाबों में यहां तक कि अपने घरों में नौकरानियों की तरह काम करते देखते हैं। इस तरह की मजदूरी बच्चों से उनका बचपन छीन लेती है। यह अब गैर कानूनी है।

1. संबंधित विभाग

केंन्द्र सरकार

- श्रम और रोजगार मंत्रालय (वेब साइट **यहां**)

उत्तर प्रदेश सरकार

- श्रम विभाग (**यहां**)
- यू पी पुलिस (वेब साइट यहां)। स्थानीय पुलिस स्टेशन के लिए यहां क्लिक करें और नीचे बाईं तरफ "Find your police station" पर क्लिक करें ..... पृष्ठ 4 पर दिये गये विवरणों को भरें।)

2. अधिकार *(संबंधित कानून के लियेः चाइल्ड लाइन पेज देखें यहां)*

भारत का संविधान यहां

- अनुच्छेद 24: 14 साल से कम आयु के बच्चों का कारखानों, खानों, और दूसरे जोखिम भरे काम करने पर निषेध लगाती है।
- अनुच्छेद 39 ईः आर्थिक जरूरत के लिये किसी को भी अपनी आयु के अनुपयुक्त काम करने के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता।

भारतीय दण्ड संहिता (इंडियन पीनल कोड) यहां

- धारा 374: किसी को श्रम करने के लिये मजबूर करने के विरुद्ध निषेध।

बाल मजदूरी (निषेध एंव नियमन अधिनियम 1986 यहां)

- धारा 3 : 14 साल से कम आयु का कोई भी बच्चा जोखिम भरे काम पर नहीं रखा जा सकता ..... इसमें रेलवे, प्लास्टिक के कारखाने, मोटर–गाडियों के गैराज, पटाखें बनाने वाले कारखाने, हथकरघा उद्योग, खानें, घरेलू नौकर, ढाबे, रेस्तंरा, होटल, चाय की दुकानें, बीड़ी बनाने का काम, कार्पेट बनाने का काम, चमड़े का काम, साबुन बनाना, ईटों के भट्टे, छत की टाईलें, भवन निर्माण का काम शामिल हैं।
- जिन उद्योगों के लिये अनुज्ञापत्र है, उनमें भी कोई बच्चा 1 घंटे के अन्तराल से पहले 3 घंटों से अधिक, एक दिन में 6 घंटों से अधिक और शाम के 7 बजे से सुबह 8 बजे तक काम नहीं कर सकता।

किशोर न्याय अधिनियम 2000 (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा)

- धारा 26: बन्धक मजदूरी या खतरनाक कामों के लिये किसी किशोर बच्चे को हासिल करना अपराध है।

कारखाना अधिनियम 1948

- सभी कारखानों में 14 साल से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर मनाही है।
- 14 से 18 साल की आयु के बच्चों को फैक्टरी में काम करने के लिये अधिकृत डाक्टर के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
- अगर किशोर बच्चा कानूनी तौर पर कार्यरत है, फिर भी वह रात में काम नहीं कर सकता, और एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 घंटे ही काम कर सकता है।

निवारण (सहायता) उपलब्ध

- बाल मजदूरी करवाने वाले व्यक्ति को भारतीय दण्ड़ संहिता या बाल श्रम अधिनियम के तहत 2 साल की सजा हो सकती है; और
- बाल मजदूरी करने वाला बच्चे को अपराधी द्वारा 20,000 रुपये तक मुआवजा मिल सकता है।

3. सहायता या राहत तक पहुंच (सहायता मिलने में सफल होने का अनुमानित समय : 1 महीना)

अगर आप कहीं भी बाल मजदूरी होते देखते हैं या आप को शक है, तो .....

- चाइल्ड लाइन को फोन करें (वैबसाइट यहां) टोल फ्री हैल्पलाइन न. 1098 है। यू पी में अभी 1098, 34 शहरों में यहां चालू है: **आगरा, अलीगढ़, बहारैच, बलिया, बांदा, बरेली, शाहजहांपुर, फ़िरोज़ाबाद, गोतब बुद्ध, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, हरदोई, कन्नौज, कानपुर, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, लकनऊ, महाराजगंज, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, सिद्धार्थ नगर, वाराणसी, इलाहाबाद, आज़मगढ़, चंदौली, बाराबंकी, कुशीनगर, चितरकूट, बुलंदशहर, मथुरा, पीलीभीत, फ़ैज़ाबाद व झांसी ।**
- स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफ आई आर दर्ज कर सकते हैं ,जिसके बाद पुलिस दुरुपयोगों की जांच करेगी।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- एक बार फिर 1098 पर फोन करें; फिर
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करें फैक्स न – 011 23382911/23382734 या covdnhrc@nic.in पर ईमेल करें। ऐसी शिकायतों पर कोई शुल्क नहीं लगता; फिर
- अपने जिले के एस पी या एस एस पी को आर टी आई डालें सम्पर्क के लिये यहां क्लिक करें और नीचे बाईं तरफ "Find your police station" पर क्लिक करें ।

5. सफलता की कहानी

अपनी कहानी लिखें

3. मावन अधिकारों का दुरुपयोग– बाल विवाह

यूनिसेफ (संयुक्त राष्ट्र बाल कोष) के अनुसार, 47: लड़कियों का विवाह 18 साल तक की आयु, और 18: लड़कियों का विवाह 15 साल तक की आयु में हो जाता है। 18 साल से पहले विवाह होने वाली कई लड़कियों का जीवन बॉलीवुड़ में दिखाये गये प्रेम और विवाह की उत्तेजना से बहुत दूर होता है, उनका जीवन एक घरेलु गुलाम से कुछ ही बेहतर होता है; और उन्हें असुरक्षित होते हुये भी सन्तान पैदा करने के दवाब का सामना करना पड़ता है। 20 साल की आयु की लड़कियों के मुकाबले में, 15 से 19 साल तक की लड़कियों की गर्भावस्था और प्रसव के समय मृत्यु की सम्भावना दोगुनी अधिक होती है। वास्तव में, बाल–वधु का बचपन विवाह द्वारा बहुत निर्दयता से कम कर दिया जाता है। पर अब कानून लड़कियों की 18 साल की आयु और लड़कों की 21 साल की आयु से पहले विवाह करने पर प्रतिबंध लगाता है।

1. संबंधित विभाग

केंन्द्र सरकार

- बाल विवाह निषेध अधिनियम (यहां)

उत्तर प्रदेश सरकार

- यू पी पुलिस (वेब साइट यहां)। स्थानीय पुलिस स्टेशन के लिए यहां क्लिक करें और नीचे बाईं तरफ "Find your police station" पर क्लिक करें ..... पृष्ठ 4 पर दिये गये विवरणों को भरें।)

2. अधिकार *(संबंधित कानून के लिये : चाइल्ड लाइन पेज देखें यहां; और विवरण पुस्तिका देखें यहां)*

बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत .....

- 18 साल की आयु से कम कोई भी लड़की और 21 साल से कम कोई भी लड़का बच्चा (अव्यस्क) है ..... धारा 2 ए
- विवाह के समय अगर कोई भी पक्ष बच्चा था, तो उस विवाह को बाल विवाह माना जाता है .... धारा 2 बी
- कोई भी पक्ष जो विवाह के समय बच्चा था, अपने विवाह को रद्द करने के लिये आवेदन कर सकता है .... धारा 3 (1)
- कोई भी दहेज लौटाया जायेगा ....धारा 3 (4)
- बाल विवाह में सहायता करने वाले के लिये दण्ड़ है, दूल्हे (अगर 18 साल से अधिक था), माता–पिता, पंड़ित, खान–पान का प्रबंध करने वाले, रिश्तेदार या दोस्त ..... धारा 11

3. सहायता या राहत तक पहुंच (सहायता मिलने में सफल होने का अनुमानित समय : 2 महीने)

बाल विवाह की शिकायत दर्ज करना:

अगर आप कहीं भी 18 साल से कम आयु की लड़की का विवाह होते देखते हैं या आप को शक है, तो .....

- चाइल्ड लाइन को फोन करें (वैबसाइट यहां) टोल फ्री हैल्पलाइन न. 1098 है। यू पी में अभी 1098, 34 शहरों में यहां चालू है: **आगरा, अलीगढ़, बहारैच, बलिया, बांदा, बरेली, शाहजहांपुर, फ़िरोज़ाबाद, गोतब बुद्ध, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, हरदोई, कन्नौज, कानपुर, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, लकनऊ, महाराजगंज, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, सिद्धार्थ नगर, वाराणसी, इलाहाबाद, आज़मगढ़, चंदौली, बाराबंकी, कुशीनगर, चितरकूट, बुलंदशहर, मथुरा, पीलीभीत, फ़ैज़ाबाद व झांसी ।**
- पुलिस को शिकायत करें जो दैनिक डायरी में लिखेगी और शिकायत के आधार पर एफ आई आर दर्ज करेगी।

बाल विवाह को रद्द करना :

- अगर विवाह हो गया है और उसे रद्द करने की इच्छा है तो लड़का या लड़की जो विवाह के समय बच्चा था, 18 साल की आयु के होने के बाद भी, जिला अदालत में आवेदन कर सकते हैं ..... धारा 3 (1)

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- एक बार फिर 1098 पर फोन करें; फिर
- अपने जिले के एस पी या एस एस पी को आर टी आई डालें सम्पर्क के लिये यहां क्लिक करें और नीचे बाईं तरफ "Find your police station" पर क्लिक करें ।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करें फैक्स न – 011 23382911/23382734 या covdnhrc@nic.in पर ईमेल करें। ऐसी शिकायतों पर कोई शुल्क नहीं लगता

4. मावन अधिकारों का दुरुपयोग– तस्करी

*बहुत से लोगों, अधिकतर बच्चों को शहर में नौकरी करने, पढ़ने या विवाह करवाने का भरोसा दिलाकर उन्हें परिवार के किसी सदस्य के द्वारा बेच दिया जाता है, या उनके साथ भेज दिया जाता है।फिर अक्सर इन लोगों को वहां से लौटने नहीं दिया जाता है, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है और 70 प्रतिशत लोग बंधुआ मज़दूर बन जाते हैं (पृष्ठ **51** पर अधिक जानकारी है), और 20 प्रतिशत लोग व्यवसायिक यौन कर्मी बन जाते हैं या देहव्यापार करते हैं (पृष्ठ 53)। अनुमान है कि भारत में 14 लाख लोग तस्करी का शिकार हैं। तस्करी को रोकने का एकमात्र तरीका है .... मेरे और आप जैसे आम लोग कुछ करें। अगर आप ऐसा कुछ देखते हैं जिससे आपको तस्करी का शक होता है या अगर कोई बच्चा लापता है तो तुरन्त पुलिस या चाइल्ड़लाइन को शिकायत करें।*

intentionalworkplace.com

1. संबंधित विभाग

केंन्द्र सरकार

- महिला और बाल विकास मंत्रालय (वैबसाइट **यहां**)

उत्तर प्रदेश सरकार

- यू पी पुलिस (वेब साइट यहां)। स्थानीय पुलिस स्टेशन के लिए यहां क्लिक करें और नीचे बाईं तरफ "Find your police station" पर क्लिक करें ..... पृष्ठ 4 पर दिये गये विवरणों को भरें।)
- सामाज कल्याण विभाग (फेसबुक साइट **यहां**)

2. अधिकार *(संबंधित कानून के लिये : चाइल्ड लाइन पेज देखें* **यहां** *)*

भारत का संविधान (यहां)

- अनुच्छेद 23 ई मानव तस्करी पर प्रतिबन्ध लगाता है

भारतीय दण्ड संहिता (इंडियन पीनल कोड) के तहत (यहां)

भारतीय दण्ड़ संहिता तस्करी को इस प्रकार परिभाषित करता है .....

1. किसी व्यक्ति को भर्ती करना, पहुंचाना, पनाह देना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना तस्करी है।
2. धमकी, बल, बलात्कार, अपहरण, धोखा, छल, ताकत का गलत इस्तेमाल करना या काबू में किये गये व्यक्ति का गलत फायदा उठाना तस्करी है।
3. शोषण के उद्देश्य के लिये जिसमें वेश्यावृति, यौन शोषण, जबरन मजदूरी करवाना, गुलामी या गुलामी के समान व्यवहार शामिल है, तस्करी है।
   - धारा 366ए – नाबालिग लड़कियों की खरीद पर प्रतिबन्ध है; धारा 367–अगुवा करने/अपहरण करने पर प्रतिबन्ध है।
   - धारा 370 (4) – नाबालिग की तस्करी पर कम से कम 10 साल की कैद।

अनैतिक तस्करी निवारण अधिनियम के तहत (यहां) .....

- धारा 5 – सहमति से या सहमित के बिना किसी को वेश्यावृत्ति के लिये खरीदना, कहीं लेकर जाना, या उकसाने पर प्रतिबन्ध है।

निवारण के उपाय .....

- आई पी सी या ऊपर दिये गये अन्य अधिनियमों के तहत तस्करों को आजीवन कारावास का दण्ड दिया जा सकता है
- तस्करी किये गये व्यक्ति को उसके पुनर्वास (बहाली) में मदद और मुआवजा दिया जा सकता है।

3. सहायता या राहत तक पहुंच (सहायता मिलने में सफल होने का अनुमानित समय : 3 महीने)

अगर आप कुछ ऐसा देखते हैं जिससे आप को तस्करी का शक होता है, या कोई बच्चा/लड़की लापता है तो .....

- चाइल्ड लाइन को फोन करें (वैबसाइट **यहां**) टोल फ्री हैल्पलाइन न. 1098 है। यू पी में अभी 1098, 34 शहरों में **यहां** चालू है: आगरा, अलीगढ़, बहारैच, बलिया, बांदा, बरेली, शाहजहांपुर, फ़िरोज़ाबाद, गोतब बुद्ध, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, हरदोई, कन्नौज, कानपुर, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, लकनऊ, महाराजगंज, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, सिद्धार्थ नगर, वाराणसी, इलाहाबाद, आज़मगढ़, चंदौली, बाराबंकी, कुशीनगर, चितरकूट, बुलंदशहर, मथुरा, पीलीभीत, फ़ैज़ाबाद व झांसी ।
- लापता बच्चे की रिपोर्ट अपने इलाके के बाल संरक्षण समिति से करें; या
- लापता बच्चे का नाम उसकी फोटो के साथ www.trackthemissingchild.gov.in या www.khoyapaya.gov.in/mpp/home पर रैजिस्टर करें। इन वैबसाइटों के पास लापता और बरामद बच्चों के बारे में जानकारी होती है।
- स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत करें। शिकायत करते समय बच्चे का हाल में लिया गया फोटो और अपना मोबाईल नम्बर जमा करें, इससे पुलिस जाँच करने के लिये बाध्य होती है।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- अपने जिले के एस पी को आर टी आई डालें सम्पर्क के लिये यहां क्लिक करें फ़िर "Find your police station" पर क्लिक करें

4.1 तस्करी – बंधुआ मज़दूरी

Image: shareyouressays.com

बंधुआ मज़दूर अधिनियम, बंधुआ मज़दूरी को इस प्रकार से परिभाषित करता है – बंधुआ मज़दूरी प्रदान करने के लिये यह एक समझौता है। समझौते का मतलब, वेतन पाने के लिये, अग्रिम पेशगी के लिये एक समझौता हो सकता है; एक सामाजिक या प्रचलित दायित्व को पूरा करना; रिश्तेदार का कर्ज चुकाना; या बस ऐसे ही एक समुदाय में जन्म से होना। अगर ..... रोज़गार में, आने जाने में, बाजार में सुविधाओं और माल बेचने में, न्यूनतम मज़दूरी से कम वेतन में आजादी प्रतिबन्धित हो तो मज़दूरी को जबरन माना जाता है। 90 प्रतिशत बंधुआ मज़दूर अनुसूचित जाति/जनजाति से हैं। इस प्रकार, बच्चों या परिवार के सदस्यों को कर्ज चुकाने के लिये एक शक्तिशाली जमींदार को दे दिया जाता है। उनके काम का कभी भी उचित हिसाब नहीं रखा जाता, अत्याधिक ब्याज लिया जाता है, और मज़दूर कभी मुक्त नहीं होता है। यह आधुनिक गुलामी है।

1. संबंधित विभाग

केंन्द्र सरकार

- महिला और बाल विकास मंत्रालय (वैबसाइट **यहां**)

उत्तर प्रदेश सरकार

- यू पी पुलिस (वेब साइट यहां)। स्थानीय पुलिस स्टेशन के लिए यहां क्लिक करें और नीचे बाईं तरफ "Find your police station" पर क्लिक करें ..... पृष्ठ 4 पर दिये गये विवरणों को भरें।)

2. अधिकार *(संबंधित कानून के लियेः चाइल्ड लाइन पेज देखें **यहां**)*

भारत का संविधान यहां

- अनुच्छेद 23 (1) बंधुआ मज़दूरी पर प्रतिबन्ध लगाता है

भारतीय दण्ड संहिता (इंडियन पीनल कोड) के तहत (यहां)

- धारा 374: किसी व्यक्ति को मज़दूरी करने के लिये मजबूर करने पर प्रतिबन्ध लगाता है।

बंधुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम 1976 (यहां)

- धारा 4: किसी को भी मज़दूरी करने के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता। हर बंधुआ मज़दूर अब मुक्त माना जाता है।
- धारा 5: कोई भी प्रथा, रीति, या समझौता जिसके द्वारा किसी को जबरन काम करने के लिये मज़बूर किया जाता है, निरस्त (शून्य) होगा।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और सरंक्षण) अधिनियम, 2000 (यहां)

- धारा 26: 18 साल से कम आयु के किशोर को बंधुआ मज़दूरी के लिये प्राप्त करना अपराध है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (यहां)

- उपखंड़ 3 (1) (अप) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को बंधुआ मज़दूरी करने के लिये मजबूर करना अत्याचार है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम

- कई प्रकार के रोज़गारों के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मज़दूरी (उत्तर प्रदेश मासिक मिन रु5,750 **यहां**)

उपलब्ध निवारण

- बंधुआ मज़दूर किसी भी कर्ज/दायित्व से मुक्त हो सकता है, और उसे मुआवजा दिया जा सकता है (बी एल एस ए 6);
- मजदूर को बन्धक बनाने वाले पर आई पी सी और ऊपर दिये गये अन्य अधिनियमों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है; और
- बंधुआ मज़दूर को अपने देश लौटने और फिर से सामान्य जीवन जीने में मदद दी जा सकती है।

3. सहायता या राहत तक पहुंच (सहायता मिलने में सफल होने का अनुमानित समय : 6 महीने)

अगर आप कुछ ऐसा देखते हैं जो आपको बंधुआ मज़दूरी जैसा लगता है, तो .....

- चाइल्ड लाइन को फोन करें (वैबसाइट यहां) टोल फ्री हैल्पलाइन न. 1098 है। यू पी में अभी 1098, 34 शहरों में यहां चालू है: **आगरा, अलीगढ़, बहारैच, बलिया, बांदा, बरेली, शाहजहांपुर, फ़िरोज़ाबाद, गोतब बुद्ध, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, हरदोई, कन्नौज, कानपुर, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, लकनऊ, महाराजगंज, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, सिद्धार्थ नगर, वाराणसी, इलाहाबाद, आज़मगढ़, चंदौली, बाराबंकी, कुशीनगर, चितरकूट, बुलंदशहर, मथुरा, पीलीभीत, फ़ैज़ाबाद व झांसी ।**
- जिला सतर्कता समिति को शिकायत करें (जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, 2 सामाजिक कार्यकर्ता, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि शामिल होते हैं)। इस समिति का कार्य दोषी व्यक्तियों को ढूंढना और उस पर मुकदमे की कार्रवाही की निगरानी करना, बंधुआ मज़दूरों का अदालत में बचाव करना और उन्हें बहाली देना है।
- जस्टिस वेंचर्स इंटरनेशनल को सम्पर्क करें, यह एक एन जी ओ है जो बंधुआ मजदूरों को मुक्त करवाने के लिये सरकार के साथ मिलकर काम करने में माहिर है। info@justiceventures.org

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करें फैक्स न – 011 23382911/23382734 या covdnhrc@nic.in पर ईमेल करें। ऐसी शिकायतों पर कोई शुल्क नहीं लगता; फिर
- अपने जिले के एस पी को आर टी आई डालें सम्पर्क के लिये यहां क्लिक करें फ़िर "Find your police station" पर क्लिक करें

5. सफलता की कहानी

अपनी कहानी लिखें

4.2 तस्करी – यौन तस्करी

Image: firstpost.com

कई जवान लड़कियों और स्त्रियों को शहर में नौकरी करने, पढ़ने या विवाह करवाने का भरोसा दिलाकर उन्हें परिवार के किसी सदस्य के द्वारा बेच दिया जाता है, या उनके साथ भेज दिया जाता है। अक्सर इन लड़कियों को कलकता, मुम्बई, दिल्ली, और गुजरात में वेश्यावृति करने के लिये मजबूर होना पड़ता है। अपने परिवार से अलग, वेश्यावृत्ति करने के लिये मजबूर, एक दिन में और फिर कई सालों तक कई बार बलात्कार होना, एक जवान लड़की का जीवन बहुत भयंकर होता है, फिर भी हमारे देश में हर साल ऐसा हजारों लड़कियों के साथ होता है।

1. संबंधित विभाग

केंन्द्र सरकार

- महिला और बाल विकास मंत्रालय (वैबसाइट **यहां**)

उत्तर प्रदेश सरकार

- यू पी पुलिस (वेब साइट यहां)। स्थानीय पुलिस स्टेशन के लिए यहां क्लिक करें और नीचे बाईं तरफ "Find your police station" पर क्लिक करें ..... पृष्ठ 4 पर दिये गये विवरणों को भरें।)

2. अधिकार *(वेबसाइटः इममोरल ट्रैफिक प्रीवैन्शन एक्ट के तहत, यहां क्लिक करें)*

भारतीय दण्ड संहिता (इंडियन पीनल कोड) के तहत (यहां)

- धारा 366 बीः 21 साल से कम आयु की लड़की के यौन शोषण के लिये आयात पर प्रतिबन्ध
- धारा 372, 373ः देहव्यापार के लिये नाबालिगों के खरीदने और बेचने पर प्रतिबन्ध

इममोरल ट्रैफिक प्रीवैन्शन एक्ट के तहत, (यहां क्लिक करें)

- धारा 3ः वेश्यालयों का चलाना अवैध है (वेश्यावृति का कानूनी रूप केवल एक ही है ...अपने घर से एक व्यस्क के द्वारा)
- धारा 5ः लोगों को उनकी सहमति से या सहमति के बिना वेश्यावृति के लिये हासिल करना, प्रेरित करना, या लेकर जाना, निषेध है।

यौन अपराध से बच्चों का सरंक्षण अधिनियम 2012 (यहां)

- धारा 4–12 बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों को गैर कानूनी मानता है।
- धारा 20ः मीड़िया, होटलों, फोटो स्टूड़ियों, अस्पतालों, के लिये बच्चों के यौन शोषण की रिपोर्ट करना अनिवार्य है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 (यहां)

- धारा 3 (1)(गपप)ः अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की किसी स्त्री की इच्छा पर हावी होकर, उस स्त्री की सहमति न होने पर भी उसके यौन शोषण के लिये अपनी पदवी का इस्तेमाल करता है, तो उसे दंड़ित किया जायेगा।

उपलब्ध निवारण

- आई पी सी और ऊपर दिये गये अन्य अधिनियमों के तहत तस्करों को दंडित किया जा सकता है और आजीवन कारावास भी हो सकता है।
- अवैध रूप से तस्कर की गई नाबालिग लड़की को बाल कल्याण समिति की देखरेख में रखा जा सकता है, जो बच्चे को सरकारी या एक पंजीकृत एजेंसी द्वारा संचालित एक सुरक्षित आश्रय में रख सकती है।
- तस्कर की गई स्त्री को अपने देश लौटने और फिर से सामान्य जीवन जीने में मदद दी जा सकती है।

3. आवेदन प्रक्रिया (सहायता प्राप्त करने में सफलता के लिये अनुमानित समय 6 महीने)

अगर आप को कुछ भी देख कर यौन तस्करी का संदेह होता है, तो .....

- चाइल्ड लाइन को फोन करें (वैबसाइट **यहां**) टोल फ्री हैल्पलाइन न. 1098 है। यू पी में अभी 1098, 34 शहरों में **यहां** चालू हैः **आगरा, अलीगढ़, बहारैच, बलिया, बांदा, बरेली, शाहजहांपुर, फ़िरोज़ाबाद, गोतब बुद्ध, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, हरदोई, कन्नौज, कानपुर, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, लकनऊ, महाराजगंज, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, सिद्धार्थ नगर, वाराणसी, इलाहाबाद, आज़मगढ़, चंदौली, बाराबंकी, कुशीनगर, चितरकूट, बुलंदशहर, मथुरा, पीलीभीत, फ़ैज़ाबाद व झांसी ।**
- जस्टिस वेंचर्स इंटरनेशनल को सम्पर्क करें, यह एक एन जी ओ है जो बंधुआ मजदूरों को मुक्त करवाने के लिये सरकार के साथ मिलकर काम करने में माहिर है। info@justiceventures.org

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- एक बार फिर से 1098 पर फोन करें; फिर
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करें फैक्स न – 011 23382911/23382734 या covdnhrc@nic.in पर ईमेल करें। ऐसी शिकायतों पर कोई शुल्क नहीं लगता; फिर
- अपने जिले के एस पी को आर टी आई डालें सम्पर्क के लिये यहां क्लिक करें फ़िर "Find your police station" पर क्लिक करें

5. सफलता की कहानी

अपनी कहानी लिखें

10. पहचान के दस्तावेज़

1. पहचान के दस्तावेज़ – मतदाता पहचान पत्र

ऊपर सूचीबद्ध योजनाओं में से कई योजनाओं तक केवल तब ही पंहुचा जा सकता है अगर आवेदक के पास अपनी पहचान के पर्याप्त प्रमाण हैं। पहचान का सबसे बुनियादी सबूत मतदाता पहचान पत्र है। 18 साल से अधिक आयु के हर भारतीय को इस पत्र का अधिकार है।

1. संबंधित विभाग

केंन्द्र सरकार

- भारत निर्वाचन आयोग (अधिक जानकारी के लिये देखें **यहां**)

उत्तर प्रदेश सरकार

- निर्वाचन मुख्य अधिकारी यू पी (अधिक जानकारी के लिये देखें **यहां**)

2. अधिकार *(वेबसाइटः राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, यहां)*

- मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करें (अगर आवेदन करने के साल की 1 जनवरी को 18 साल पूरे हो गये हों)
- मतदाता फोटा पहचान पत्र –ई पी आई सी (अगर नाम मतदाता सूची में है)

3. आवेदन प्रक्रिया

मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिये (पृष्ठ 81 पर फार्म 6 के अन्तिम पृष्ठ पर निर्देशों को देखें **यहां**);
जांच करें कि आप का नाम पहले से ही सूची में है **यहां** और **यहां**; अगर नहीं है तो .....

- समय समय पर जब हर घर में नवीनीकरण होता है तो उस समय अपना नाम रजिस्टर करें; या
- किसी भी समय अपने निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के साथ फार्म 6 डाउनलोड़ करें **यहां** या पृष्ठ 81 पर हार्ड कॉपी लें। अपने निर्वाचन क्षेत्र, स्थानीय मतदान केंद्रों, और मतदाता सूची के लिये देखें यहां ।

आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :–

- आयु प्रमाणः जन्म प्रमाण पत्र, या पैतृक घोषणा (पृष्ठ 81 पर फार्म 6 के अन्तिम पृष्ठ पर नोट देखें)
- आवासीय प्रमाण : अपने रहने के स्थान का प्रमाण, निवास का कोई कम से कम समय आवश्यक नहीं है, पर आप को यह प्रमाणित करने के लिये कि आप वहां रहते हैं, किसी दस्तावेजी प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे .....
  - बैंक/किसान/पोस्ट ऑफिस की वर्तमान पास बुक; या
  - आवेदक का राशन कार्ड़/पास पोर्ट/ड्राइविंग लाइसैन्स/इन्मक टैक्स असैसमैन्ट ऑर्डर; या
  - पते के लिये हाल का पानी/टैलीफोन/बिजली/गैस कनेक्शन का बिल, आवेदक के नाम पर हो या उसके किसी निकटतम रिश्तेदार को हो जैसे माता पिता आदि; या
  - दिये गये पते पर आवेदक के नाम में ड़ाक विभाग से मिली या भेजी गई ड़ाक।

मतदाता फोटा पहचान पत्र –ई पी आई सी

मतदाता पंजीकरण और मतदाता केंद्रों में आवेदन पत्र जमा करें, इन सब चीजों के साथ .....

- मतदाता सूची में आपका नाम (जाँच करें कि आपका नाम पहले से मतदाता सूची में है या नहीं, **यहां** या यहां);
- पहचान प्रमाण;
- वैध आवासीय प्रमाण।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- आपने जहां आवेदन किया है, अपनी शिकायत सीधे वहां के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से करें; फिर
- यू पी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी को फोन करें 1800 180 1950; फिर
- यू पी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी आई ओ को आर टी आई ड़ालें, विवरण यहां

2. पहचान के दस्तावेज़ – विशिष्ट पहचान पत्र

आधार 12 अंकों वाला एक विशिष्ट संख्या है, जो अन्ततः भारत के सारे निवासियों को दी जायेगी। इसमें हर व्यक्ति की मूल जनसांख्यिकी (ड़ैमोग्राफिक्स) नाम, पता जन्म तिथि आदि; और जीवमितीय (बायोमीट्रिक) जानकारी केंद्रीय डेटाबेस (आंकड़ों का कोष) में होगी (फोटो, उंगलियों के निशान, और आंखों की पुतली की फोटो)। आधार निशुल्क दिया जाता है। हालांकि इस समय आधार कार्ड़ होना अनिवार्य नहीं है, फिर भी आप के पास आधार कार्ड होना अच्छा है, क्योंकि बैंक खाता खोलने के लिये यह आपको अनुमति देता है।

1. संबंधित विभाग

केंन्द्र सरकार

- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू आई डी ए आई – वेबसाइट देखें यहां)

2. अधिकार *(वेबसाइटः आधार साइट – यहां)*

- एक व्यक्ति को, जो भारत का निवासी है, पहचान के दस्तावेजों का विचार किये बिना आधार कार्ड मिल सकता है।
- 3 साल से कम आयु के बच्चों के लिये जीवमितीय (बायोमीट्रिक) विवरण नहीं लिया जायेगा और उनका आधार अभिभावकों/माता–पिता के साथ जोड़ा जायेगा।
- जब बच्चे 5 साल के हो जायेगें, तब उन्हें अपनी जीवमितीय (बायोमीट्रिक) जानकारी देनी होगी। 15 साल के होने पर फिर से उनका पंजीकरण होगा, क्योंकि आयु के साथ जीवमितीय (बायोमीट्रिक) बदल जाते हैं। यहां

3. आवेदन प्रक्रिया

- नामांकन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी यहां है।
- आवेदन पत्र भरें (यहां, या पृष्ठ 84 देखें)
- निकटतम नामांकन शिविर में आवेदन पत्र जमा करें। (निकटतम नामांकन शिविर जानने के लिये क्लिक करें यहां)
- नामांकन के लिये आवश्यक दस्तावेज ..... पहचान प्रमाण (पी ओ आई), पते का प्रमाण (पी ओ ए) (स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची यहां)
- जिन लोगों के पास प्रमाण के लिये दस्तावेज़ नहीं हैं, उनके लिये एक परिचयकर्ता प्रणाली है। नामांकन के लिये रजिस्ट्रार कुछ लोगों को नामित कर सकता है जो एक व्यक्ति के बारे में जानकारी की वैधता का जिम्मा ले सकते हैं। जिम्मा लेने वाले लोग सरकारी एजेंसी, बैंक, शिक्षक, गांव का डाकिया, एन जी ओ के चुने हुये प्रतिनिधि हो सकते हैं।इनका नामांकन पहले किया जाता है और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। उनकी यूआई डी नामांकन किये जाने वाले व्यक्ति के विवरण के साथ उल्लिखित की जायेगी।(विवरण यहां)
- 60 से 90 दिनों के अन्दर आधार कार्ड मिल जाता है।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- टोल फ्री फोन नम्बर 1800 180 1947; फिर
- ई मेल help@uidai.gov.in ; फिर
- अपनी समस्याओं के लिये यू आई डी ए आई के लिये नामित लोक सूचना अधिकारी (सी पी आई ओ) को आर टी आई डालें, (सी पी आई ओ का विवरण देखें यहां); फिर
- केंन्द्र सरकार की आन लाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें, यहां;

5. सफलता की कहानी

अपनी कहानी लिखें

3. पहचान के दस्तावेज़ – जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र

बच्चों की अन्य याजनाओं तक पहुंचन` लिये जन्म प्रमाण पत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे स्कूल में दाखिले के लिये (पृष्ठ 31); विधवा पेंशन और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लिये मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी हैं (एन एफ बी एस पृष्ठ 12)

1. संबंधित विभाग

उत्तर प्रदेश सरकार

- जिला प्रशासन (डी एम जानकारी के लिए **यहां** क्लिक करें और नक्शे पर क्लिक करे); इसके अलावा अपने लिजले के अधिक जानकारी शायद **यहां** मिलें ।

2. अधिकार *(वेबसाइटः आधार साइट – यहां)*

- जन्म प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश में जन्मे किसी भी व्यक्ति के लिये।
- मृत्यु प्रमाण पत्र किसी भी व्यक्ति के लिये जिसके परिवार का सदस्य उत्तर प्रदेश में मरता है।

3. आवेदन प्रक्रिया

जन्म प्रमाण पत्र

आवेदन प्रक्रिया के संक्षिप्त विवरण के लिये **यहां** देखे। यू पी के लिये फार्म लें **यहां**। ऑन लाइन प्रक्रिया **यहां**।
अगर यह बच्चे के जन्म होने के 21 दिनों के अन्दर होता है, और अगर जन्म इम में से किसी एक जगह होता है ....

- अस्पताल में – पर्ची (स्लिप) नगरपालिका अधिकारियों को और बच्चे के माता पिता को दी जायेगी।
- घर में – दाई ने बच्चे के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत में कराया हो; तो,

कुछ शहरों में ऑन लाइन आवेदन कर सकते हैं (जन्म के 21 दिनों के अन्दर करना होगा)। **यहां** साइन इन की कोशिश करें और उस जगह पर जायें जहां बच्चे का जन्म हुआ था। अगर रजिस्ट्रेशन युनिट दिखाई पड़ती है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद, आप को एक ईमेल मिलेगा जिसमें सारी जानकारी होगी और फिर आप **यहां** लॉगइन करेगें, अब आप बच्चे का नाम आदि भर सकते हैं। फिर 24 घन्टों के अन्दर आप अपनी परची का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इस पर हस्ताक्षर करने और मुहर लगाने के लिये नगरपालिका अधिकारियों के पास ले जायें। अगर ऑन लाइन आवेदन सम्भव नहीं है तो नगरपालिका अधिकारी के पास जायें।

अगर समय से बच्चे के जन्म का पंजीकरण नहीं होता और बच्चे की आयु 1 साल से अधिक हो जाती है तो आप को जिला कलेक्टर के पास जाने की जरूरत है। आवेदन प्रक्रिया के संक्षिप्त विवरण के लिये **यहां** देखे।

- अपने डी एम या एस डी एम को अवेदन दें (डी एम जानकारी के लिए **यहां** क्लिक करें और नक्शे पर क्लिक करे) डी एम का विवरणों पृष्ठ 4 पर भरें।)
- आपको एक हलफनामा (शपथपत्र) की भी आवश्यकता होगी जिसमें बच्चे का नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, पता लिखा हो;
- बच्चे के जीवित होने का कोई अन्य दस्तावेज़ी प्रमाण, जैसे कि स्कूल के रिकॉर्डस आदि;
- फिर, बच्चे के जीवित/मौजूद होने के लिये पुलिस जांच करेगी।

मृत्यु प्रमाण पत्र

आवेदन प्रक्रिया के संक्षिप्त विवरण के लिये **यहां** देखे। यू पी के लिये फार्म लें **यहां**।
मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिये बच्चे की मृत्यृ होने के 21 दिनों के अन्दर मृत्यु का पंजीकरण करना चाहिये .....

- अस्पताल में मृत्यु – पर्ची (स्लिप) नगरपालिका अधिकारियों को दी जायेगी।
- घर में मृत्यु – घर के मुखिया को नगरपालिका अधिकारियों को मृत्यु का पंजीकरण करवाना चाहिये।

मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिये प्रक्रिया **यहां**। इन सब चीजों के साथ नगरपालिका अधिकारियों के पास जायें .....

- शमशान/दहन संस्कार की पर्ची, आई कार्ड या राशन कार्ड और अगर मृत्यु को 1 साल से अधिक का समय हो चुका है तो डी एम या उस डी एम का प्रमाण पत्र भी आवश्यक है।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- अपने जिला के डी एम या एस डी एम को आर टी आई डालें (जानकारी के लिए **यहां** क्लिक करें और नक्शे पर क्लिक करे);
- सेवा अध्यादेशों के अधिकार के तहत आवेदन करें, जो बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं की गारंटी देता है, जैसे नागरिकों को एक निर्धारित समय सीमा के अन्दर जाति और जन्म प्रमाण देना, (वैबसाइट देखें यहां और कानून यहां)

4. पहचान के दस्तावेज़ – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र, धारक को कुछ खास पदों के लिये आरक्षण प्रवेश के लिये आवेदन करने का अधिकार देते हैं, जैसे विश्विद्यालयों में प्रवेश और कुछ सरकारी नौकरियों के लिये।

1. संबंधित विभाग

- उत्तर प्रदेश सरकार
- जिला प्रशासन (डी एम जानकारी के लिए यहां क्लिक करें और नक्शे पर क्लिक करे); इसके अलावा अपने लिजले के अधिक जानकारी शायद यहां मिलें ।

2. अधिकार *(वेबसाइटः एडवोकेट खोज यहां)*

अनुसूचित जाति, जनजाति, या अन्य पिछड़े वर्ग का कोई भी सदस्य (अनुसूचित जाति की सूची के लिये देखें यहां; जनजाति यहां, या अन्य पिछड़े वर्ग के लिये यहां) प्रमाण पत्र के अधिकार है, जो उस धारक को कुछ खास पदों के लिये आरक्षण प्रवेश के लिये आवेदन करने का हक देता है, जैसे

- विश्विद्यालयों में प्रवेश
- कुछ सरकारी नौकरियां

फिर भी, व्यवसाय/आय के नवोन्नत वर्ग के किसी भी व्यक्ति को इसें शामिल नहीं किया गया है। (नवोन्नत वर्ग की सूची के लिये देखें यहां)

3. आवेदन प्रक्रिया

आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी के लिये यहां देखे।

- आवेदन पत्र ऑनलाइन, एस डी एम, तहसील, या राजस्व विभाग से प्राप्त किये जा सकते हैं।
- अगर आपके परिवार में किसी को पहले कभी जाति प्रमाण पत्र नहीं मिला है, तो आप को प्रमाण पत्र देने से पहले एक स्थानीय जांच की जाती है।
- यू पी में न्यूनतम निर्धारित अवधि के लिये आवासीय प्रमाण।
- आपको अनुसूचित जाति का प्रमाणित करने के लिये एक हलफनामा।
- आवेदन के समय अदालत की निर्दिष्ट स्टाम्प शुल्क आवश्यक है।
- फिर, निवास, आय, जाति, और नवोन्नत वर्ग की जांच की तहकीकात होगी।
- 21 दिनों के अन्दर तहकीकात होनी चाहिये।

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- जहां आवेदन पत्र दिया है वहां के डी एम/ एस डी एम से पूछताछ करें
- अपने जिला के डी एम या एस डी एम को आर टी आई डालें (जानकारी के लिए यहां क्लिक करें और नक्शे पर क्लिक करे);
- सेवा अध्यादेशों के अधिकार के तहत आवेदन करें, जो बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं की गारंटी देता है, जैसे नागरिकों को एक निर्धारित समय सीमा के अन्दर जाति और जन्म प्रमाण देना, और जो अधिकारी निर्धारित समय सीमा के अन्दर काम नहीं करते उन्हें प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना करता है।(वैबसाइट देखें यहां और कानून यहां)

5. पहचान के दस्तावेज़ – बैंक खाता

विधवा पैंशन (पृष्ठ 12 देखें) और दूसरे सरकारी भुगतानों जैसी अन्य योजनाओं तक पहुंचने के लिये बैंक खाता होना महत्वपूर्ण है।

1. संबंधित विभाग

सरकारी बैंक

- ग्रामीण बैंक (वैबसाइट यहां),
- स्टेट बैंक ऑफ इंड़िया यहां, बैंक ऑफ इंड़िया, सेंट्रल बैंक आदि
- इंड़िया पोस्ट (वैबसाइट यहां)

निजी बैंक

- कॉरपोरेशन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक

स्थानीय पोस्ट ऑफिस

आमतौर पर एच एस बी सी आदि जैसे बड़े बहुराष्ट्रीय निजी बैंक गरीबों के खातों के बारे में नहीं सोचते, इसलिये बेहतर यही है कि साधारण बैंकों में खाता खोलने की कोशिश की जाये, जिनकी शाखायें हर जगह होती हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंड़िया, और कॉरपोरेशन बैंक में हमें सफलता मिली है।

ध्यान दें कि पहचान की आवश्यकताओं के मामलों में सबसे आसान पोस्ट ऑफिस है, हालांकि पोस्ट ऑफिस में खाता अब पेंशन का भुगतान करने के लिये पर्याप्त नहीं है। ग्रामीण बैंकों में भी खाता खोलना आसान है, और पेंशन का भुगतान करने के लिये पर्याप्त भी है।

2. अधिकार *(वेबसाइटः इंडिया पोस्ट वैबसाइट यहां)*

- 18 साल से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति के लिये बैंक खाता खोलने के लिये पर्याप्त दस्तावेज़ और एक परिचयकर्ता

3. आवेदन प्रक्रिया

- आधार कार्ड़ के लिये आवेदन करें (पृष्ठ 56) जो आपको बैंक में खाता खोलने में समर्थ करेगा।
- पोस्टल सेविंग खाते के लिये आपको नीचे लिखी चीजें चाहियें .....
  - एस बी 3 फॉर्म,
  - जमा पर्ची एस बी 103,
  - नमूना हस्ताक्षर,
  - परिचयकर्ता, और
  - खाता खोलने के लिये कम से कम 20 रुपये जमा

अन्य बैंकों के लिये

- भरा हुआ फॉर्म (परिचयकर्ता के हस्ताक्षर सहित,जिसका उस बैंक में 6 महीनों से अधिक समय से खाता हो),
- आवासीय प्रमाण पत्र (राशन कार्ड़ और आई कार्ड़ जिन पर एक ही पता हो), और
- खाता खोलने के लिये कम से कम 500 रुपये जमा

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- सीधे बैंक मैनेजर/पोस्ट ऑफिस मैंनेजर को आवेदन करें;

5. सफलता की कहानी

अपनी कहानी लिखें

6. पहचान के दस्तावेज़ – पैन कार्ड़

हर उस व्यक्ति के लिये पैन कार्ड अनिवार्य है जो आयकर देता है। कोई और भारतीय व्यस्क भी पैन कार्ड़ के लिये आवेदन कर सकता है, और उसे पैन कार्ड़ दिया जा सकता है, भले ही वह आयकर देता हो या नहीं। अन्य सेवायें जैसे बैंक खाता के लिये पैन कार्ड बहुत उपयोगी है।

1. संबंधित विभाग

केंद्र सरकार

- आयकर विभाग (वैबसाइट के लिये यहां क्लिक करें);

2. अधिकार *(वेबसाइटः टैक्स इन्फारमेशन नैटवर्क यहांद्ध*

- हर आयकर देने वाले के लिये पैन कार्ड़ आवश्यक है
- कोई अन्य भारतीय व्यस्क भी पैन कार्ड़ के लिये आवेदन कर सकता है, और उसे पैन कार्ड़ दिया जा सकता है, भले ही वह आयकर देता हो या नहीं। अन्य सेवायें जैसे बैंक खाता के लिये पैन कार्ड बहुत उपयोगी है।

3. आवेदन प्रक्रिया

- आवेदन प्रक्रिया यहां देखें
- फॉर्म 49 ए ऑनलाइन भरें, यहां (हार्ड कॉपी पृष्ठ 86 पर)
- प्राप्ति रसीद का प्रिन्ट लें, उस पर हस्ताक्षर करें; फॉर्म के साथ लगायें .....
  - दो फोटो,
  - पहचान पत्र – स्कूल का प्रमाण पत्र, पानी का बिल, राशन कार्ड, आई कार्ड, लाइसैन्स में से कोई एक (अधिक जानकारी यहां)
  - आवासीय प्रमाण पत्र – बिजली का बिल (हाल का), किराये की रसीद, राशन कार्ड, आई कार्ड, लाइसैन्स में से कोई एक (अधिक जानकारी यहां)
  - 93 रुपये ऑनलाइन भरें या ड्राफ्ट द्वारा भेजें

एन एस डी एल को इस पते पर 15 दिनों के अन्दर भेजें

इंकम टैक्स पैन सर्विस युनिट,
एन एस डी एल ई–गर्वनेंस इंनफरा स्ट्रक्चर लिमिटेड़,
पांचवी मंजिल, मंत्री स्टरलिंग,
प्लाट नम्बर 341, सर्वे नम्बर 997/8, मॉडल कॉलोनी,
दीप बंगलो चौक के पास
पुने –411016

आवेदन पत्र का ऑनलाइन पता करें, यहां

4. हिमायत करना (अगर आवेदन सफल नहीं होता है, तो .....)

- एस एम एस करें .***NSDLPAN <space> रसीद का नम्बर***...57575 पर भेज दें, आवेदन की स्थिति जानने के लिये; फिर
- फोन करें 020 27218080 ; फिर
- ई मेल करें .... tininfo@nsdl.co.in ;फिर
- केंन्द्र सरकार की आन लाइन शिकायत निवारण यंत्रावली का उपयोग करें, यहां;

5. सफलता की कहानी

अपनी कहानी लिखें

11. अतिरिक्त

1. अतिरिक्त – सामुदायिक समस्या के सुलझाने के दस क़दम

1. गहरा सम्बंध बनाएं – समुदाय में निवासियों के साथ

किसी भी निर्धन समुदाय में परिवर्तन के स्थायित्व की कुंजी स्वयं वहां के निवासी होते हैं। लेकिन अक्सर, पीढ़ियों की निर्धनता और सशक्त लोगों द्वारा तिरस्कृत, निवासी इतने अधिक शक्तिहीन हो जाते हैं कि वे अपनी परिस्थिति को अपनी नियति मान लेते हैं। समुदाय के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वह अपनी समस्याओं को पहचानने और उसका निराकरण करने के योग्य बन सके और उसके बाद निवासियों के छोटे समूह के लिए है कि वह अपने समूदाय में परिवर्तन का एजेंट बनने के लिए ज्ञान, कुशलता और 'हृदय' (हिम्मत, आत्म विश्वास और आत्म त्याग) को विकसित करे। हम विश्वास करते हैं कि मुख्य निवासियों में ज्ञान, कुश्लता और हृदय को विकसित करने में सहायता देने के लिए सब से बेहतर रास्ता ये है कि हमारे अपने कार्यकर्ता समुदाय के मुख्य व्यक्तियों के साथ समानान्तर, स्नेहपूर्ण सम्बंध स्थापित करें। हालांकि हमारे कार्यकर्ता समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया के आरम्भ से समुदाय के मुख्य लोगों से साथ घनिष्ट सम्बंध स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। किस के साथ सम्बंध स्थापित किया जाय, इसका चुनाव करने के लिए हम जानबूझ कर नेक हृदय रखने वाले ऐसे मुख्य निवासी को ढूंढ़ते हैं जो समुदाय के विकास के सफर को संस्था के द्वारा छोड़े जाने पर आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हों।

निवासियों के साथ बेहतर सम्बंध स्थापित करने का एक अतिरिक्त लाभ यह होता है कि जब हम अगले क़दम को रिसर्च करेंगे तो हम समुदाय की सच्ची कहानी को प्राप्त कर सकेंगे।

2. सीखो समुदाय के बारे में – देखना एवं पूछताछ

यह महत्वपूर्ण है कि हम समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया को स्वंय को विशषज्ञ की हैसियत से न जा कर सीखने वाले की तरह जाकर आरम्भ करें। समुदाय के बारे में जानने के सबसे उत्तम तरीकों में से एक है कि साधारण रूप से आप स्वयं घूम घूम कर आवास, बिजली, सफाई, जल, सामुदायिक सम्बंध, किनारे पड़े समूह आदि की परिस्थिति का अवलोकन करें। लेकिन समुदाय कुछ चीजों जैसे कॉलोनी का इतिहास, अपनी कॉलोनी के बारे में निवासी किस बात को शाबाशी देते हैं और अपनी किस समस्या को वे वरीयता देते हैं आदि के बारे में हम अवलोकन नहीं कर सकते। इन गुप्त तथ्यों को जानने के लिए हमें प्रश्न करने की आवश्यकता होगी, विशेष रूप से उनके साथ जिनके साथ हम निकट का आपसी सम्बंध बना रहे हैं (कदम 1 से आगे)।

3 सोचो – समुदाय के साथ समस्याओं के बारे में

हमारी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के सम्बंध में यह आवश्यक है कि ज्वलंत समस्याओं के बारे में उनमें स्वयं एक एहसास होना चाहिए, एक टीम की हैसियत से हमने जो कदम 2 से सीखा है उसका मुल्यांकन करना चाहिए। ये मुल्याकन उन समस्यों को प्रकाश में लाएगा जो निवासियों पर अधिक प्रभाव डालते हैं, जो समस्या विपक्ष उत्पन्न करती हैं, इसलिए उन समसयाओं को प्रकाश में लाने से उनका निराकरण सफलता के साथ किया जा सकेगा। ये मुल्यांकन इसलिए नहीं हैं कि उन्हें समुदाय पर थोपा जाए, बल्कि इसका लाभ ये है कि समुदाय की बैठक बुलाने से पहले यह निर्णय लिया जा सके कि किस समस्या पर पहले कार्य आरम्भ किया जाए (कदम 4)।

4. मीटिंग चलाओ – समुदाय के साथ समस्याओं के बारे में

जबकि हमारी संस्था की टीम सितम्बर 3 को अपना मूल्यांकन करती है, अन्तिम निर्णय लेने में ये महत्वपूर्ण है कि पहले किस समस्या का निराकरण किया जाए जिसे हकीकत में निवासियों को स्वयं करना है। इसे एक सामूदायिक बैठक में जिसमें बहुत सारे निवासियों के समूह जैसे महिलाएं, बच्चे, मुसलमान, हिन्दू, वंचित आदि शामिल होंगे किया जाना है। बहुंत सारे विभिन्न समूह और भिन्न विचारधारा रखने वाले समूहों के साथ एक सफल बैठक का आयोजन करना इस पूरी प्रक्रिया में सब से अधिक कठिन कार्य है। संचालक को प्रत्येक पार्टी को सुनना, ऊंची आवाज उठाने वालों को शान्त करना और प्रथम समस्या के निराकरण के लिए निवासियों को एक मत करना होगा।

5. सीखो – संसाधनों के बारे में जिस से समस्याओं का समाधान किया जा सके

समूदाय के द्वारा निर्णय ले लिए जाने के पश्चात कि पहले किस समस्या का समाधान किया जाए, हमारी संस्था इस मैनुअल का प्रयोग कर सकती है, इसका बड़ा नेटवर्क, इंटरनेट रिसर्च, आर.टी.आइ. का प्रयोग और समुदाय से सम्बंधित उपलब्ध संसाधनों के सम्बंध में सूचनाओं को इक्टठा करना आदि समस्या के समाधान में प्रयोग हो सकेगा। हो सकता है कि ये संसाधन सरकार के पास (**इस पुस्तिका में**), स्वयं सेवी संस्थाओं के पास, और स्वयं समुदाय में पाए जाएं। फिर से यह स्पष्ट करते हैं कि इस रिसर्च का उद्देश्य उन संसाधनों को समुदाय पर थोपना नहीं है बल्कि इसे होने वाली अगली सामूदायिक बैठक (6 सितम्बर) को समुदाय के सम्मुख रखना है।

6. योजना बनाओ – समस्याओं के समाधन के लिए

सितम्बर 4 को आयोजित होने वाली अन्य सामूदायिक बैठक में प्रथम समस्या के समाधन हेतु प्लान एक्शन बनाया जाना है। योजना में यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि कौन क्या करेगा, कब ये किया जाएगा और कौन होने वाले किस खर्च के लिए भुगतान करेगा। जबकि संभव है कि हमारी संस्थाओं के कार्यकर्ता एक्शन प्लान के सदस्य होंगे लेकिन ये महत्वपूर्ण होगा कि हमारी संस्थाओं के कार्यकर्ता अधिक जिम्मेदारियों को न लें। अगर निवासी सम्मिलित होने के इच्छुक नहीं हैं तो यह प्रक्रिया के प्रति रूचि की कमी का संदेश देता है और तब हमारी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं को आवश्यकता है कि आगे बढ़ने से पहले उनमें तसल्लीबख़्श हद तक रूचि उत्पन्न होने तक प्रतीक्षा करें। योजना का यह चरण इस बात का भी द्योतक होगा जिसमें परमेश्वर इस समस्या समाधान की प्रक्रिया में एक सहायक के रूप में परिचित होगा। भारत के बहु–विश्वासीय परिक्षेप में सामूदायिक समस्याओं के समाधान के लिए लोग अपनी परम्परा के अनुसार परमेश्वर से सहायता प्राप्त करने के लिए उसे बुलाने हेतु राजी होंगे।

7. काम करो – योजना के अनुसार

निवासी जो एक्शन प्लान (कदम 6 से) के अनुसार कदम बढ़ाने को तैयार हो गए हैं, उसके बाद आगे का कार्य आरंभ करें। अक्सरहां इस कदम में वर्तमान सरकारी सेवाओं को लागू करने के लिए सरकारी अफसरों से बातचीत करना भी शामिल होता है जो निवासियों को उपलब्ध होना चाहिए। प्रयोगिक रूप से इसमें सम्मिलित होगा, उन आवेदन प्रक्रियाओं का प्रयोग करना, जो इस पुस्तिका में दिये गये हैं।

8. सोचो – काम कैसा था ?

अगर प्लान ऑफ एक्शन के अनुसार चलने के बाद, निवासियों को समस्या में समाधान के सफलता मिलती है तो इस सफलता के आनन्द को मनाना महत्वपूर्ण है। अगर हमें सफलता नहीं मिलती है तो हमें आवश्यकता है कि हम नया एक्शन प्लान बनाएं और इस मैनुएल में दिए गये मध्यस्थता के कदम का और अपने सीखे गए कदम 7 का प्रयोग करें।

6–8 करते रहना जब तक सफलता न मिले या लगता है कि सफलता नहीं मिल सकती

9. अगला समस्ये को योजना बनाना – संस्थाओं के निम्न सहयोग के कम और निवासियों के अधिक सहयोग से

प्रथम समस्या पर निर्णय के बाद हम कदम 4 पर आते हैं और दूसरी सामूदायिक समस्या को हल करने के लिए चुनते हैं। ऐसा करने से हमारी संस्थाओं के कार्यकर्ता कम जिम्मेदारी लेते हैं जबकि निवासियों को अधिक जिम्मेदारी लेने का प्रोत्साहन मिलता है। इस तरह, निवासी, मुख्य रूप से 'नेक हृदय लोग' समस्या समाधान की समस्त प्रक्रिया को अच्छी तरह सीखते हैं और बाद में वे बिना संस्था के कार्यकर्ताओं के सहयोग के उसे कर सकते हैं।

10. सी.बी.ओ (समुदाय आधारित संस्था) बनाना

कदम–1 में पहचान किए गए 'नेक हृदय लोग' और समस्या समाधान की प्रक्रिया में सिखाए गए लोग अन्त में एक स्वतंत्र समुदाय आधारित संस्था का निर्माण करेंगे और वे स्वंय सेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं द्वारा उस क्षेत्र से बाहर चले जाने के बाद सामूदायिक विकास के कार्य को दिशा देंगे। कुछ समय बाद वह समूह एक औपचारिक सामूदायिक कल्याणकारी संस्था को पंजीकृत कराएगी ताकि उसे सरकार के साथ मामले को हल करने और अधिक जिम्मेदारी लेने को अधिकार प्राप्त हो सके।

2. अतिरिक्ति – सरकार के सुविधाओं की योजनाओं और कानून

सेवा	पृष्ठ	एपी एल के लिए	बीपीएल के लिए	योजना का नाम	कनून का नाम
पीने का पानी	7	*	*	राषरीय ग्रमीण पेयजल कार्यक्रम	
राशन कार्ड	8	*	*		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013
आंगनवाडी	9	*	*	आई सी डी एस	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013
मध्यान्तर भोजन	10	*	*	मध्यान्तर भोजन योजना	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	11	*	*		महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
विधवा वृध्दा पेंशन	12		*	एन एस ए पी	
बालिका	14		*	बालिका समृद्धि योजना	
प्रशिक्षण	15	*	*	जन शिक्षा संस्थान	
ड्राइविंग लाइसेंस	16	*	*		
स्वयं सहायता समूह	17		*		
सूक्ष्म उद्योग	18	*	*	माइक्रो युनिटस डिवेलपमैन्ट एंड रिफाइनैन्स एजेन्सी	
जीवन बीमा	19	*	*		
स्मार्ट कार्ड	20		*	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	
टीकाकरण	21	*	*	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	
जे एस वाई प्रसव	22	*	*	जननी –शिशु सुरक्षा योजना	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013
टी बी	24	*	*	डॉटस	
विकलांगता सेवाएं	25		*	एन एस ए पी	
मानसिक स्वास्थ्य	27	*	*		मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987
नशा पुनर्वास	29	*	*		
एच आई वी	30	*	*	राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन	
सरकारी विद्यालय	31	*	*	सर्व शिक्षा अभियान	राइट टू एजूकेशन एक्ट
छात्रवृत्ति और लाभ	33		*	सर्व शिक्षा अभियान	राइट टू एजूकेशन एक्ट
राष्ट्रीय मुक्त विध्लालयी	34	*	*		
बिजली	35	*	*		
गैस कनेक्शन	36	*	*		
शौचालय	37		*	स्वच्छ भारत मिशन	
पक्की गलियां और नालियां	38	*	*		
आवास	39		*		

सेवा	पृष्ठ	एपी एल के लिए	बीपीएल के लिए	योजना का नाम	कनून का नाम
भूमिहीनों के लिये भूमि	40		*		
सड़कें	41	*	*		
खेती – सिंचाई	42	*	*		
फसलों का बीमा	43	*	*		
सब्सिडी	44	*	*		
घरेलू हिंसा	45	*	*		घरेलू हिंसा अधिनियम 2005
बाल मजदूरी	47	*	*	चाइल्ड लाइन	बाल मजदूरी (निषेध एंव नियमन अधिनियम 1986
बाल विवाह	49	*	*		बाल विवाह निषेध अधिनियम
तस्करी	50	*	*	चाइल्ड लाइन	इममोरल ट्रैफिक प्रीवैन्शन एक्ट
त्सकरी बंधुआ मज़दूरी	51	*	*		
त्सकरी यौन तस्करी	53	*	*		
पहचान पत्र	55	*	*		
आधार कार्ड	56	*	*		
जन्म प्रमाण पत्र	57	*	*		
अन्य पिछड़ी जाति प्रमाण	58	*	*		
बैंक खाता	59	*	*		
पैन कार्ड	60	*	*		

3. अतिरिक्ति – अधिकार मिलने के लिए आवेदन पत्र

कुछ आवेदन विशेष फ़ार्म की आवश्यकता होती है जोकि दफ़्तरों में उपलभ होते हैं।
अगर फ़ॉम न मिल तो, खाली कागज़ पर अपना आवेदन लिखे और सही दफ़्तर को दे।
उसके अलावा निमलिखित 4 बातों ज़रुर लिखें :

1 अपनी समस्या को साफ़ बताइए। जैसेः आपके गॉव तक पक्की सड़क नहीं है, इस लिए बरसात में आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता हैं। अगर समस्या का फोटो भी हो (जेसे कीचड़ भरी सड़क) तो चिपका दीजिए, इससे आवेदन और भी अच्छा बनेगा ।

2 अपने अधिकार , और किस कनून या योजना से यह अधिकार मिलता है। जैसेः प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा सरकार ने वादा किया है कि हर गॉव जिस की आबादी 500 से ज़्यादा हैं उसको पक्की सड़क मिलेगी ।

3 आवेदन साफ़ बताइए । आपको क्या चाहिए और कब तक ? जेसेः 1 साल के अंदर, 31 दिसंबर 2017 तक, हमें अपने गाँव तक पक्की सड़क चाहिए।

4 दबाव। साफ़ बताइए कि अगर आपका काम पूरा ना हो तो आप क्या दबाव डालेंगे । जैसेः अगर 30 जून 2017 तक सड़क बनने की शुरुआत न हो, तो हम आर टी आई डालेंगे । अपने आवेदन की एक कॉपी मुख्य कार्यालय (बड़े अफ़सर)को भी भेज देना । फ़िर शायद छोटा अफ़सर बात मान कर जल्दी काम कर लेगा ।

आवेदन का नमूना

सेवा में
लोक निर्माण विभाग,
ज़िला फ़तेपुर
उत्तर प्रदेश
1 अक्टूबर 2016

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा शिवारामपुर के लिए पक्की सड़क

महोदय,
मैं शिवारामपुर, ज़िला फ़तेपुर का निवासी हूँ । इस गॉव की आबादी 2011 जनगणना में लगभग 2,350 थी।

1 हमारे गॉव तक पक्की सड़क नहीं है, इस लिए बरसात में आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता हैं, जैसे कि इस फ़ोटो में दिख रहा हैं ।
2 मैंने देखा हैं कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा http://pmgsy.nic.in/pmg61.asp सरकार ने वादा किया है कि हर गाँव जिस की आबादी 500 से ज़्यादा हैं उस गाँव को पक्की सड़क मिलेगी ।
3 क्योंकि मेरे गाँव की आबादी 2,350 हैं, मैं इस योजना के द्वारा अपने गॉव के लिए पक्की सड़क मांगता हूँ । इस सड़क को 31 दिसंबर 2017 तक पूरी होनी चाहिए ।
4 अगर 30 जून 2017 तक सड़क बनने की शुरुआत न हो, तो मैं आर टी आई डालूंगा, मालुम करने के लिए कि मेरा आवेदन को क्या हुआ ।

रामेश कुमार, घर न 6, गली न 7,
शिवारामपुर गॉव,
ज़िला अहमेदनगर,
महाराष्ट
टेलीफोन 9750 478 598
हम ने यह आवेदन महाराष्ट लोक निर्माण विभाग को भी भेजा हैं ।

4. अतिरिक्ति – सही सरकारी दफ़्तर के कर्मचारी को आवेदन पत्र दे

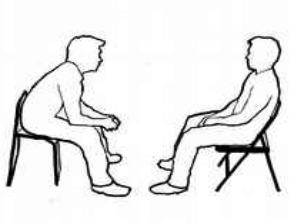

आवेदन लिख कर आप सही सरकारी दफ़्तर को डाक से भेज सकते हैं। अगर आप यह करें तो, रेजिस्टरड पोस्ट के द्वारा ही अपना आवेदन भेजें, और रीसीट सुरक्षित रख ले, ताकि आप दिखा सकते हैं कि किस दिन यह भेजा गया था। मगर कुछ आवेदन के लिए बेहतर होता है कि आप खुद दफ़्तर जा कर कर्मचारी को जमा करे। यदि आप खुद आवेदन पत्र जमा करने जा रहे है तो निचे लिखी गई निमलिखित बाते का अवश्य ध्यान रखे :

मीटिंग से पहले तैयारी करना

- अपने साथ किसी आस पड़ोस के व्यक्ति को साथ ले कर जाए। यदि वह अफ़सर घूस मॉगता हैं तो वह साथी चश्मदीत गवाह बन सकता है।
- मन में साफ़ होना चाहिए कि मीटिंग का उद्देश्य क्या है।
- मिलने का समय तय करने के लिए, जाने से पहले फोन करे ताकि आपके समाय बर्बाद न हो।
- अच्छे कपड़े भी पहनना ताकि दिखा सकते है कि आप कोई है ।
- अगर हो, तो अपनी अई कार्ड साथ ले जाए।
- डायरी या कॉपी और पेन साथ ले जाए, ताकि आप काम के तारीख लिख सकते हैं ।
- हर कागज़ की 2 फोटोकॉपी ले जाए, एक अफ़सर को देने के लिए व एक साइन करके वापस आपे पास रखने के लिए।
- जो भी कागज़ात, दस्तावेज़ या चिट्ठी हो, उसकी असली वाला और उसके 2 फ़ोटोकापी ले जाए ताकि आप असली वाली अफ़सर को दिखा सके लेकिन उसे असली कॉपी मत दे।
- दफ़्तर का नाम और पता जान लीजिए, ताकि समय पर पहुंचें ।
- ऑटो के लिए पैसे ले लो ताकि अगर देर हो रहा है, आप अभी भी समय पर पहुॅच सकते है।
- अपने अधिकार को जान ले। अगर अधिकार मिलने के लिए कोई फीस, लगती है, तो उस के लिए पैसे ले कर जाए।
- पहले से ही सोच कर जाइए कि अगर हमारी बात नहीं मुनी जाए तो हम और किस किस तरह दबाव दाल सकते है। इसलिए बड़ा अफ़सर का नाम जान ले ।
- पहले से सोच ले कि कौन क्या बात करेगा, ताकि सब लोग एक साथ न बोलने लगे ।

मीटिंग के दौरान

- अपना परिचय देना। अगर हो सके, उनका नाम, पद और फोन नम्बर भी पूछ कर लिख लेना।
- अपना आने का कारण साफ़ शब्दों में बताए और उन्हें पहले ही बोल दे कि आप उनका ज़्यादा समास नहीं लेंगे।
- यदि अफ़सर बहाने बनाए तो खामोश रहे, ऊची आवाज़ में न बोले। अगर झगड़ा होता है तो इसमें आपका ही नुक्सान होगा।
- जो कुछ भी अफ़सर आपसे कहते हैं, उसको दोहराना। उम्मीद हैं कि फिर वो अपनी अकारण प्रतिक्रियाए खुद महसूस करेगा।
- जो भी कागज़ात या आवेदन देना है तो अपनी एक कॉपी पर "रीसीव्ड" मोहर ज़रुर लगवाए।
- अगर कर्मचारी कहते है कि **बाद में देखेंगे** तो तारीख ज़रुर तय कीजिए, और वह तारीख अपनी कॉपी में लिख लीजिए।
- साफ़ साफ बताए कि अगर अपका काम नहीं हाता है तो आप और क्या दबाव डालेंगे (6वी कदम देखो) और कब तक, मगर गुस्सा न हो।
- जाते समय शुक्रिया ज़रूर कहिये। एसे कहने से, उम्मीद है कि अगला बार वह अफ़सर अपकी मदद करेंगे।

डीब्रीफ

अगर कोई आप के साथ गया था, उससे पूछना मीटिंग आप के लिए कैसी थी।

मीटिंग के बाद, लिख लेना ताकि याद रहे:

- मीटिंग की तारीख और समय, किससे मिले, क्या नतीजा हुआ।
- जो भी कोई कागजात दिए या लिए है उसकी एक अलग फ़ाइल बना ले ।
- जो भी काम सरकारी कर्मचारी करेगा और कब तक। अगर वह न करे तो आप क्या करेंगे, और कब तक।

अगले कदम

- अगर आप ने कुछ करने को कहा, तो उसे करना।
- अगर अफसर ने कुछ करने का वादा किया, तो फोन करके मालूम करना कि होने वाला, हुआ या क्या हुआ।
- अगर सफलता हो तो जरूर आफ़सर को शुक्रिया कहना।

5. अतिरिक्त – भ्रष्टाचार का सामना कैसे कर सकते है?

कई बार सरकारी कर्मचारी आपके आवेदन पत्र को नहीं लेते या उन्हें नियत तरीके से आगे नहीं बढ़ाते जब तक उन्हें घूस नहीं मिल जाती। वो कभी सीधे तरीके से नहीं बोलते , चाय पानी या कुछ दे दो बोल के मांगते हैं। कभी कभी सीधे बोलने के बजाय वो दलाल द्वारा सेवा वेतन बोल के सरकारी काम कराते हैं, जिसमें से कुछ पैसा कर्मचारी को सरकारी काम करने के लिए दिया जाता है। जहाँ ज्यादा ज़रुरत है वहाँ ज्यादा की धुस होती है। ऐसे भुगतान या घूस की कोई रसीद भी नहीं होती हैं, जिससे यह साबित करना मुश्किल हो जाता है की किसी ने घूस ली हैं। कर्मचारी कहेगा कि उसने धुस नहीं ली है। ऐसी धुस काफी ज्यादा रूपयों में भी दी जाती है, कई बार इन स्थान पर आने के लिए (सरकारी नौकरियों) भी बहुत घूस दी जाती है इसलिए इन जगहों में धुस लेने की संभावना बहुत होती है। बहुत लोग राशन कार्ड या दुसरे दस्तावेज़ लेने में इतना बेताब हैं कि उन्हें घूस देने में मज़बूर है ।

<u>क्या समस्याएँ है इस संगठन में ?</u>

- जितना ज्यादा घूस दी जाएगी उतना ही ये संस्थान में उलझती चली जाएगी ।
- भ्रष्टाचार से गरीब बिलकुल बाहर हो जाएगा, क्योंकि वो घूस देने में सक्षम नहीं होते, वो उन्हीं सेवाओं से वंचित रह जाते हैं जिसके वो हकदार होते हैं। इसलिए कई विधवाओं को उनकी पेंशन नहीं मिलती, गरीबों को बी पी एल कार्ड नहीं मिलता क्योंकि वो घूस नहीं दे पाते।
- या तो फिर सच्चे कर्मचारी को यह कार्यालय भ्रष्ट बना देते हैं।
- यही घूस इन कार्यालयों को धीमें कर देती हैं जिन्हें कुशलतापूर्वक कार्य करना चाहिए।

<u>हम क्या कर सकते है अगर हमसे धुस मांगी जाये तो ?</u>

क) बात करने से पहले

- अपने अधिकार की जानकारी होनी चाहिए, कितना लागू भुगतान हैं, इस पुस्तिका को इस्तेमाल करके ताकि आपको बेवकूफ ना बनाया जाये।
- जहाँ भी मुमकिन हो, अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करें या चिठ्ठी लिखकर जिससे आप धुस देने से दूर रहें ।
- लिखित आवेदन के लिए अतिरिक्त 3 (65) को इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कर्मचारी को लगे की आप कितने गंभीर हैं अपने पत्र में ।
- अपने साथ किसी को साथ लेके जाएँ ताकि आपके पास गवाह हो अगर कोई आपसे धुस मांगे।

ख) बातचीत के दौरान अगर कोई कर्मचारी चाय पानी या कुछ देने को कहे तो

- उसे पूछे की उस भुगतान के बारे में कहाँ लिखा है (जिसके उसकी गलती पर रोशनी पड़े)
- उससे कहें की आप भुगतान देने को तैयार हैं अगर वो आपको लिखित पर्च्ची दे (इससे उसके गलत कामो की दिखा सकते है)
- उसकी मांग को ज़ोर से दोहराएँ ताकि आस पास के लोग सुन सकें और वो कर्मचारी शर्मिंदा हो जाए।
- अगर वो फिर भी ज़ीद करे तो उसे दिखा के उसके बारे में पूरी जानकारी लिखें और उसे पता चले की आप सब लिख कर ले जा रहें । दिन, समय, जगह और मांग को लिख लें। उस कर्मचारी का नाम और पद बताने में आना कानी करे तो उसके पहचान की जानकारी प्राप्त करें तो उसके बिले या मेंज़ पर रखी कोई चीज़ से।

ग) बातचीत के बाद आप निर्णय ले सकते हैं आप इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहते है या नहीं अगर उसके नियत कार्य करना चाहते हैं तो

- संचिप्त में सारा निवेदन लिखें की क्या हुआ था, दिन, समय, कर्मचारी और उसकी मांग के बारें में।
- उस कर्मचारी के मालिक का नाम पता लगवाएं (दुसरों से या वेबसाइट से या इस पुस्तिका से) ।
- अपनी लिखित शिकायत उस बड़े अफसर को दे (या फिर किसी सहायता संगठन जो सहायता के भाग में दी है इस पुस्तिका से)
- लिखित शिकायत देने के बाद, प्राप्त स्टाम्प ज़रूर से ले, उस अनुरोध में यह भी बताएं की वो कार्यालय क्या कदम उठाएगी उस कर्मचारी के विरोध और इस आशंका में की अगर दृढ कदम नहीं उठाए गए तो सुचना के अधिकार से शिकायत भी भेज सकते हैं
- अगर फिर भी कुछ न हो तो सी बी आई के **भ्रष्टाचार के विरोधी** का नंबर 9968 081216,7,8 को शिकायत दीजिए ।
- फिर भी कार्य न हो तो किसी संस्था जो वहां कार्य कर रहा हो मिले या उमकपं के पास जाएं अतिरिक्त 7 (70) ।

6. अतिरिक्त – सूचना के अधिकार के प्रभावी प्रयोग पर टिप्पणी

1. सूचना का अधिकार कब लाभदायक है?

क. व्यक्तिगत समस्याएं (जैसे पेंशन के आवेदन का आगे न बढ़ पाना)

- जबकि आपने किसी सरकारी लाभ के लिए आवेदन किया हो (इस पुस्तिक में दिए गए आवेदन प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए)
- सामान्य अवधि समाप्त हो गई हो; और
- वांछित पूछताछ (इस मैनुअल में दिए गए प्रथम मध्यस्थता का प्रयोग) से काम न बना हो।

ख. सामुदायिक समस्याएं (जैसे कूड़ा न उठाया जा रहा हो)

- जबकि एक जनसेवा जिसे होना चाहिए, न हो रही हो।

2. सूचना के अधिकार का आवेदन किस तरह लिखा जाए?

आवश्यक जानकारी

- जन सूचना अधिकारी के विभाग और पता;
- तिथि;
- ''सूचना का अधिकार अधिनियम 2005'' लिखें;
- क्या जानकारी चाहिए (देखें नमूना नीचे)
- शुल्क रू.10/– (रसीद लेना स्मरण रखें) (बीपीएल कार्डधारी को कोई शुल्क नहीं, कार्ड की प्रति संलग्न करें)
- आपका हस्ताक्षर (आवेदक का);
- आपका नाम; आपका पता; और आपका फोन नम्बर।

किस प्रकार प्रश्न पूछें (नमूना नीचे देखिए)

1. **पहले बताइए कि आपने अवेदन कब की और उसका प्रति लगाओ ।**
2. **पूछो कि उनके नियम या नागरिक चार्टर के अनूसार कितना समाय लगना चाहिए ।**
3. **पूछो कि किस अफ़सर ने क्या क्या काम किया है किस तारीख को।**
4. **पूछो कि क्या सज़ा हुई आफ़सर को जिसने ज्यादा समय लिया ।**
5. **पूछो कि आपका काम कब पूरा हो जाएगा ।**

3. किसको/कहां अपना आरटीआई दें

- आरटीआइ सम्बंधित सरकारी विभाग के लोक सूचना अधिकारी (पी आइ ओ) को सम्बोधित किय जाना चाहिए। पी.आइ.ओ. की सूची के लिए देखें: www.righttoinformation.org or www.rti.gov.in अगर आरटीआई सम्बंधित सरकारी विभाग तक नहीं पहुंचा है तो ये पीआइओ की जिम्मेदारी है कि सही विभाग को भेजे।

कहां देना है ?

- सीधा पी आइ ओ को: या
- अगर आप डरता है कि सरकारी अफसार आपको परिशन करेंगे, तो रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से भजें। उसकी पर्ची ध्यान से रखें। आरटीआई शुल्क के लिए पोस्टल आर्डर का उपयोग करें और पेयी लाइन खाली छोडो: या
- केन्दर सरकार विभाग या मंतरालयों के लिए, फ़ाइल ऑन लाइन https://rtionline.gov.in/
- कैसे भी आप आरटीआई फ़ाइल करते है, उत्तर 30 दिनों के अन्दर आ जाना चाहिए।

4. क्या नतीजा हो सकते है

नतीजा	आपका काम
1. जवाब नहीं मिला, पर अधिकार मिला	कुछ नहीं
2. सहीं जानकारी मिला	कुछ नहीं
3. सहीं जानकारी नहीं मिला	केंदरीय सूचना आयोग (सी आई सी) को शिकायत करें **यहां**
4. कुछ जानकारी मिला, पर पूरी नहीं	केंदरीय सूचना आयोग (सी आई सी) को शिकायत करें **यहां** या प्रथम अपील
5. आरटीआई डालना की इजाज़त नहीं मिला	केंदरीय सूचना आयोग (सी आई सी) को शिकायत करें **यहां** 90 दिन के अंदर

अगर आप अपील जीतते हैं तो पीआईआ को प्रती दिन रु 250/– और अधिक से अधिक रु 20000/– का जुर्माना लगाया किया जा सकता हैं जो फिर आरटीआई दर्ज करने के पार्टी को सम्मानित किया हैं।

(केवल बोल्ड को बदलना है)

जन सूचना अधिकारी
सब डिवीजनल मैजिस्ट्रट
उत्तर–पूर्व (शाहदरा) जिला
वीवर्स कॉलोनी,
उत्तर प्रदेश

10 दिसंबर 2016

विषय: आरटीआइ अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन
नजमा खातून के जन्म प्रमाण–पत्र के सम्बंध में जानकारी हेतु

महोदय,

1. मैंने **अपनी बेटी नजमा खातून के जन्म प्रमाण–पत्र (जन्म तिथि 2 अक्टूबर 2011) के लिए उत्तर–पूर्व (शाहदरा) जिला के एस.डी.एम कार्यालय में 1 जुलाई 2016** को आवेदन किया था। उस आवेदन की एक प्रति संलग्न है। मेरे आवेदन पर अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवही नहीं की गई है। इसलिए कृपया कर के निम्नलिखित जानकारी देने की अनुकम्पा प्रदान की जाए:

2. आपके विभाग के नियम और उपनियम के अनुसार, एक **जन्म प्रमाण–पत्र** जारी करने हेतु कितनी अवधि का समय दरकार होता है। क्या उस समय सीमा का पालन किया गया?

3. मेरे आवेदन पर हुई दैनिक प्रगति उपलब्ध कराई जाए। इस अवधि में मेरा आवेदन जिसे अधिकारी के पास था उसका नाम और पद उपलब्ध कराया जाए। उस अधिकारी के पास कितने समय तक मेरा आवेदन रहा और उस अवधि में उसने उस पर क्या कार्यवही की।

4. जिस अधिकारी/कर्मचारी ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया और देरी का कारण बना, उसके विरूद्ध क्या कार्यवही की जाएगी? ये कार्यवही कब की जाएगी?

5. **मैं अपनी बेटी का जन्म प्रमाण–पत्र कब तक प्राप्त कर पाऊंगा?**

मैं इस आरटीआइ के साथ आवेदन शुल्क (रू. 10) अलग से जमा कर रहा हूं।

अगर आप महसूस करते हैं कि ये सूचना आपके विभाग से सम्बंधित नहीं है तो कृपया आरटीआई अधिनियम 2005 के अनुच्छेद का 6(3) अनुपालन करें। आरटीआई अधिनियम 2005 के अनुसार कृपया अपने विभाग प्रथम अपील अधिकारी का विवरण (नाम व पद) अनुरोध किए गए उक्त जवाब के साथ हमें प्रदान करने की अनुकम्पा प्रदान करें ताकि मैं जरूरत पड़ने पर प्रथम अपील दायर कर सकूं।

धन्यवाद

शाज़िया खातून
शाज़िया गुप्ता
125 गली न0–12,
जाफराबाद,
उत्तर प्रदेश
फोनः 9856 478345

7. अतिरिक्त – मीडिया को इसतेमाल करना

<u>सशक्तिकरण के लिए मीडिया का इस्तेमाल कब काम का हैं ?</u>

- समाजिक बदलाव को बढ़ाने के लिए;
- जनता में जागरुकता फेलाने के लिए;
- सरकारी फेसलों पर प्रभाव डालने के लिए;
- जनता को फंकश्न, हर्ताल वगैरा के बारे में जानकारी देने के लिए ।

1. *<u>मीडिया को क्या व कैसै जानकारी दें :</u>*

- पहले जानकारी का मक्सद स्थापित करो (जैसे कानून बदलने के लिए डबाव डालना, समाजिक जागरुकता फेलाना, आदि।)
- संदेश की योजना करो व सोचो के यह संदेश किस को पहुंचना हैं (जैसे महिला, जवानों, आदि) ;
- उपाय बनाने के लिय ज़रूरी सवालें:
  - किस समस्य को स्पष्ट करना हैं?
  - स्मस्य का कोई हल हैं?
  - कोनसी सरकारी/गैर सरकारी समुदाय स्मस्य का हल कर सकता हैं ?
  - डस समुदाय का ध्यान कैसा पकड़ें ?
- संदेश को अप्रतिरोध्य, प्रभावशाली व संक्षिप्त बनाओ ।

2. *<u>मीडिया से समपर्क करना :</u>*

- खुद अखबार में देखकर पता करो कि कोन्से रिपार्टर इस समस्य के बारे में लिखते है;
- समस्य के अनुसार, स्थानीय/राष्ट्रीय, अखबार/टी वी इस्तिमाल करो।
- सूची बनाओ जिस मे रिपार्टर, चैनल आदि की फोन, ईमेल एड्रेस आदि है ।
- मीडिया से अच्छे ताल्लुक रखो.

3- *<u>मीडिया के इस्तेमाल के तरीके</u>*

- स्माचार निमीचन;
- संपादक को चिटठी;
- ओप एद;
- मीडिया वर्कशाप (मीडिया को किसी समस्य के बारे में बताना);
- इंतरव्यू;
- प्रैस कांफ्रेस

जब संदेश मीडिया में आ गया, कहानी की कटिंग (अगर अखबार में हो) या ब्रादकास्ट की कापी (अगर टी वी हा) रख लो। यह बाद में काम आ सकता है ।

4- *<u>ओर जानकारी के लिए देखिए:</u>*

Media Advocacy Manual, American Public Health Association (APHA)
Web site: www.apha.org

8. अतिरिक्त – प्रयोग किए गए संक्षिप्त रूप

संक्षेप	पूरा नाम	अर्थ / मतलब	पृष्ठ
ए.ए.वाई	अंत्योदय अन्न योजना	असहायों के लिए राशन कार्ड	8
ए.एन.एम	असिस्टैंट नर्स मिडवाइफ़	प्रसव हेतु प्रशिक्षित नर्स	20,21
ए.पी.एल	गरीबी रेखा से ऊपर	स्थायी निवासियों के लिए राशन कार्ड	8
ए.आर.टी	एन्अी रेट्रो वाइरल थेरापी	एच आई वी – एडज़ का मरीज़ का इलाज	30
आशा	एक्रिडेटेड सोशल हेल्थ एडवोकेट	प्रसव मामले में प्रशिक्षित स्थानीय महिला	21,22
बी.डि.ओ	ब्लोक डिवेलपमेंट ओफिसर	जनपद अधिकारी	4
बी.पी.एल	गरीबी रेखा से नीचे	भारत सरकार द्वारा गरीबी का निर्धारण	8,12,20
बी.एस.ए.	बेसिक शक्षा आधिकारी	ज़िला का प्राथमिक शक्षा का ज़िमेदार आधिकारी	31
सी.एच.सी.	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की तुलना में अधिक बेहतर स्वास्थ्य केंद्र	20
सी.एम.ओ.	मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी	जिला स्तर पर स्वास्थ्य	20
डी.एम	डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रट	जिला का मुखिया	4,57
डी.पी.औ.	डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन आफ़िसर	भ्ंवउम चवूमते पद कवउमेजपब अपवसमदबम	45
डी.आर.डी.ए.	डिसट्रिक्ट रूरल डिवेलोपमेंट औथोरिटी	ज़िला का ग्रामीण विकास का ज़िमेदार आधिकारी	11
ई.आर.ओ	मतदाता पंजीकरण अधिकारी	मतदाता सूची में नाम हेतु आवेदन प्राप्त करने वाला अधिकारी	4,55
एफ.आई.आर	फ़र्स्ट इंफ़र्मेशन रिपर्ट	पुलिस को पहले रिपर्ट जब अप्राध होता है	45
एफ.एस.ओ	फूड एंड सप्लाई ओफ़िसर	राशन काड का आधिकारी	8
आइ.ए.वाइ.	इंदिरा आवास योजना	गरीबों के लिए आवास की योजना	39
आई.सी.डी.एस	सम्पूर्ण बाल विकास योजना	योजना जिसके अन्दर आंगनवाडी आता है	9,21
जे.एस.वाई	जन सुरक्षा योजना	अस्पताल में जन्म पर आर्थिक मदद	22
एम.एल.ए	विधान सभा का सदस्य विधायक	राज्य विधान सभा का सदस्य	4,8,12
एम.ओ.आइ.सी.	मेडिकल आफ़सर इन चार्ज	पी.एच.सी या सी.एच.सी. का ज़िमेदार आधिकारी	20,21
एम.पी	लोक सभा सदस्य	राष्ट्रीय पार्लियामेंट लोक सभा का सदस्य	4
ओ.बी.सी	अन्य पिछड़ी जाति	कुछ लाभ प्राप्त करने योग्य पिछड़ी जातियां	58
पी.एच.सी	पब्लिक हेल्थ सेंटर	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तुलना में कम सुसज्जित स्वास्थ्य केंद्र	20
पी.आई.ओ	लोक सूचना अधिकारी	वह अधिकारी जिसके पास आर.टी.आई दिया जाता है	67
पी.डबलयू.डी.	पीपल विथ डिसबिलिटी	विकलाँग से आच्छा शब्द	41
आर.एस.बी.वाई	राष्ट्री स्वास्थ्य बीमा योजना	बी.पी.एल नागरिकों के लिए स्वास्थ्य योजना	20
आर.टी.आई	सूचना का अधिकार	सूचना पाने के अधिकार का कानून	67
एस.सी / एस.टी	अनुसूचित जाति / जनजाति	कुछ लाभों को पाने योग्य अत्यन्त पिछड़ी जाति	58
एस.डी.एम	सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सब डिवीजन का मुखिया	57,58
एस.एच.ओ	स्अेशन हाउस आफ़िसर	पुलीस स्अेशन का मुखिया	45,47
एस.पी	सूपर इंटेंडंट आफ़ पुलीस	पुलीस जिला का मुखिया	45,47

12. आवेदन पत्र

1. आवेदन पत्र – पेंशन (कृपया पृष्ठ 12 देखें)

APPLICATION FORM FOR IGNOAPS / IGNWPS / IGNDPS

(To be filled in BLOCK Letters)

Application Form No.

Date of Application [DD/MM/YYYY]

Photo of Applicant

1. Scheme Name (Please √) : **IGNOAPS** ☐ **IGNWPS** ☐ **IGNDPS** ☐
2. State :
3. District :
4. Area : **Rural** ☐ **Urban** ☐
5. Block/Sub District/Municipal:
6. Gram Panchayat / Ward :
7. Village :
8. Habitation Name :
9. **Name of Applicant**
   - First Name :
   - Middle Name :
   - Last Name :
10. Father / Husband Name :
11. Nominee Name :
12. **Address of Applicant**
    - House No :
    - Street :
    - Locality :
    - Pin Code :
13. **BPL Details**
    - Year :
    - Location :
    - Family ID No. :
    - Member ID No.

14. Sex : Male ☐ Female ☐

15. Date of Birth : ☐☐☐☐☐☐☐☐ [DD / MM / YYYY]

16. Age : ☐☐☐☐☐☐ [Year/Months/Days]

17. Applicant Annual Income : ☐☐☐☐☐☐

18. Category : SC ☐ ST ☐ OBC ☐ Others ☐

Minority : Yes ☐ No ☐

19. Widow : Yes ☐ No ☐

20. Disabled : Yes ☐ No ☐

21. Type of Disability - I : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

22. Percentage of Disability : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

23. Type of Disability - II : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

24. Percentage of Disability : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

25. EPIC No. : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

26. Ration Card No. : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

27. Mode of Payment : Bank ☐ Post Office ☐ Cash ☐ Money Order ☐

Bank / P.O. Name : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Name of the Branch : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Account No. : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

28. Attested by : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

29. Required Documents :

Sl. No.	Documents	Date of Issue	Issuing Authority Name
1.	AGE CERTIFICATE		
2.	INCOME CERTIFICATE		
3.	RESIDENCE CERTIFICATE		
4.	DISABILITY CERTIFICATE		
5.	DEATH CERTIFICATE (For Widow only)		

(Signature / Left Thumb Impression of the applicant)

30. Approve Application : Accept ☐ Reject ☐

Reasons with Remarks : _____

_____

Verification Remark by Verifying Authority :

_____

_____

(Signature, Full Name & Designation of Verifying Authority)

Name :
Designation :

Remarks by Scrutinizing Authority :

_____

_____

(Signature, Full Name & Designation of Scrutinizing Authority)

Name :
Designation :

Remarks by Approving Authority :

_____

_____

(Signature, Full Name & Designation of Approving Authority)

Name :
Designation :

2. आवेदन पत्र – राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (कृपया पृष्ठ 12 देखें)

FORM

APPLICATION FORM FOR FAMILY BENEFIT SCHEME

I (To be filled up by the Applicant)

District : ..... Block/Municipality/Panchayat Samiti.

Village/Panchayat/Mohilla/Ward/House No.

1. Name of the Applicant : .....
2. Father's/Husband's name : .....
3. Full Address : .....
4. Category : SC/ST/women/Landless/Handicapped/General .....
5. Age on the date of application : .....
6. Identification mark of the applicant : .....
7. Name of deceased bread winner : .....
8. Age of the deceased : .....
9. Date of death : .....
10. Cause of death : .....
11. I solemnly affirm that :-
    (1) The total income of my family does not exceed Rs. 5,000/- per annum or more.
    (2) I have not applied previously for grant of Family Benefit.
    (3) I declare that the information furnished in this application is true and correct to the best of my knowledge and belief.

Place : .....

Date : ..... Signature or Thump impression of the Applicant.

II (To be filled up by the Enquiry Team)

Result of Preliminary Enquiry by the Village Panchayat Level team.

1. Age : .....
2. Income : .....
3. Category, domicile : .....
4. Whether applying for the first time? If not, the decision on the last application : .....

Contd. 2

……..

5. Recommendation :

Date : ……..

Signature of verifying persons at the Village Level Panchayat/Urban Local Body.

Full Address : ……

……..

Note : This application should be sent with full particulars to the B.D.O./Municipal Commissioner concerned.

RECOMMENDATION OF THE B.D.O./MUNICIPAL COMMISSIONER

Date : ……..

Signature of B.D.O./Municipal Commissioner.

FORM MB - II

Municipality/Gram Panchayat-wise list of application for Family Benefit.

1. Sl. No. : ……..
2. Date of receipt from Gram Panchayat : ……..
3. Name of the applicant with father's/husband's name : ……

……

4. Full Address : Town/Village/Post Office/Taluk ……
5. Recommendation to the Pension Sanctioning Authority : ……..
6. Date of sending of application form : ……..
7. Orders of the Sanctioning Authority : ……..

3. आवेदन पत्र – ड्राइवर लाइसैंस (कृपया पृष्ठ 16 देखें)

FORM 2

FORM OF APPLICATION FOR THE GRANT OR RENEWAL OF LEANER'S LICENCE

[See rule 10]

To

The Licensing Authority,

.....

.....

I hereby apply for a licence authorising me to drive as a learner, the following motor vehicles (s) :

(a) Motor cycle without gear
(b) Motor cycle with gear
(c) Invalid carriage
(d) Light motor vehicle
(e) Medium goods vehicle
(f) Medium passenger motor vehicle
(h) Heavy goods vehicle
(i) Road roller
(j) Motor vehicle of the following description : _____

PARTICULARS TO BE FURNISHED BY APPLICANT

1.	Full Name (in Capital	.....
2.	Son/Wife/Daughter of	.....
3.	Permanent of address	.....
	(Proof to be enclosed)	.....
4.	Temporary/Official address	.....
	Official address (if any)	.....
5.	Date of Birth	Day.....Month.....Year.....
	(Proof of age to be enclosed	
6.	Education qualification	.....
7.	Identification mark (s)	1.....
		2.....
8.	Optional	Blood Group.....
		RH Factor.....

9. I hold an effective driving licence to drive
   (a) Motor cycle/light motor vehicle/medium passenger motor vehicle/medium goods vehicle with effect from
10. Particulars of any driving licence previously held by applicant. Whether it was cancelled and if so, for what reason :.....
11. Particulars of any learners licence previously held up applicant in respect of the description of vehicle to which the applicant has applied .....

12. Have you been disqualified for holding or obtaining driving licence or learner's licence if so, for what reasons.

13. I enclose 3 copies of my recent photograph [passport size photograph][52] .....

14. I enclose medical fitness certificate dated issued by (doctor).....

15. I have submitted along with my earlier application for Learner's Licence/I enclose the written consent of parent/guardian (in the case of applicant being a minor).....

16. I enclose driving certificate dated.....issued by.....
..... (Name and address of the driving school)

17. I have paid fee of Rs. .....

18. I am exempted from the Medical Test rule 6 of Centre Motor Vehicle Rules, 1989.

19. I am exempted from the preliminary test under Rule 11 (2) of Central Motor Vehicle Rules, 1989

Date : _____

Place : _____

Specimen signatures or thumb impression of the applicant

Specimen signatures or thumb impression of the applicant

1 .....

2. .....

DECLARATION UNDER SUB-SECTION (2) OF SECTION 7 OF THE MV ACT, 1988

Shri/Kumari .....son/daughter of.....who is a minor is under my care and I accept responsibility for his/her driving. If at a later date I decide not to accept responsibility for his/her driving I shall intimate the licensing authority in writing for the cancellation of the licence. I give my consent for his/her obtaining learner's licence.

Signature .....

Name and full address of the Parent/guardian

.....

Relationship .....

(To be signed in the presence of the Licensing Authority or person authorised in this behalf by the Licensing Authority)

For Office Use

* The applicant is exempted from the medical test under rule 6 and the preliminary text under rule 11 (2) of the Central Motor Vehicle Rules. 1989 Learner's Licence may be issued
* The applicant was tested with reference to rule 11 (1) of the Central Motor Vehicle Rules, 1989. He has passed the test. Learner's Licence may be issued.
* He has failed in the test (Reason should be specified). Learner's Licence may be refused.
* Strike out whichever is inapplicable.

or other person authorised in this behalf

4. आवेदन पत्र – सूक्ष्म उद्योगों के लिये वित्त (कृपया पृष्ठ 18 देखें)

Application No. :	Date :

Photo
(Signature across photo)

प्रधानमंत्री mudra योजना
पूंजी. सफलता की कुंजी

Name of Bank

Application Form for Loan under Pradhan Mantri MudraYojana (PMMY)
(For Loan upto Rs.50000/- underShishu)

Name of Bank & Branch from where Loan is required__________________________________

I hereby apply for Cash Credit / Over Draft / Term Loan of Rs.________________ for ________________

Name of Applicant(s)	1. 2.		Father's/ Husband's Name	1.Sh. 2.Sh.		
Constitution (√)	Individual	Joint	Proprietor	Partnership	Other	
Residential Address						
	Rented/Owned					
Business Address						
	Rented/Owned					
Date of Birth		Age		Sex : Male / Female		
Education Qualification(√)	Illiterate	Upto 10th	12th	Graduate	Professional	others
KYC Document(s)	Voter ID No.	Aadhaar No.	Driving License No.	Any Others		
ID proof(pl. specify)						
Address Proof(pl. specify)						
Telephone No. :		Mobile No. :		E-mail :		
Line of Business	Existing		Period			
Activity (Purpose)	Proposed					
Annual Sales (Rs. in lakh)	Existing :		Proposed :			
Experience, if any						
Social Category (Pls. tick √)	General	SC	ST	OBC	Minority Community	
If Minority(√)	Buddhists	Muslims	Christians	Sikhs	Jains	Zoroastrians	Others
Loan Amount Required	CC / OD–Rs____________		Term Loan – Rs.______________			
Detail of Existing Account(s), if any	Type (Pls. tick √) (Deposit/Loan)		Name of Bank & Branch			
A/c. No.		If Loan A/c, amount of loan taken		Rs.		

Declaration:
I/We hereby certify that all information furnished by me/us is true, correct and complete. I/We have no borrowing arrangements for the unit except as indicated in the application form. I/We have not applied to any Bank. There is/are no overdue / statutory dueowed by me/us. I/We shall furnish all other information that may be required by Bank in connection with my/our application. The information may also be exchanged by you with any agency you may deem fit. You, your representatives or Reserve Bank of India or MUDRA Ltd., or any other agency as authorised by you, may at any time, inspect/ verify my/our assets, books of accounts etc. in our factory/business premises as given above. You may take appropriate safeguards/action for recovery of bank's dues.

Date : __________________
Place : _________________

Thumb impression/Signature of Applicant(s)

(For Office use only)
Acknowledgement Slip No......................... loan Application No. __________dated ______________
Received by____________________

Place and Date **Authorized Signatory (Branch Seal and sign)**

--Cut here --

Acknowledgment slip no. ___________ for loan application under PMMY (Applicants copy)
Received with thanks from Sh./Smt._________________ loan application dated __________for Rs______

Place and Date **Authorized Signatory (Branch Seal and sign)**

5- आवेदन पत्र – रेलवे छुट आवेदन फार्म (कृपया पृष्ठ 25 देखें)

Paste Passport size Photograph duly signed & stamped by the issuing Doctor.

Appendix 1/36

CONCESSION CERTIFICATE

Form for the purpose of grant of rail concession to orthopaedically Handicapped / Paraplegic persons / patients to be used by the Government Doctor

This is to certify that Km./Shri/Smt....., Whose Particulars are furnished below, is a bonafide "Orthopaedically /Handicapped / Paraplegic person / patient and CANNOT TRAVEL WITHOUT THE ASSISTANCE OF AN ESCORT.

Particulars of the Orthopaedically Handicapped / paraplegic person / patient:

(a) Address : .....
(b) Father's / Husband's Name :.....
(c) Age:..... (d) Sex:.....
(e) Nature of Handicap: (To be written by doctor whether the disability is Temporary or Permanent)
(f) Causes of loss of Functional capacity : .....
(g) Signature or Thumb impression of Orthopaedically handicapped / paraplegic person / patient : (not necessary for those whose both hands are missing..... or non-funtional).

.....
(Signature of Government Doctor)

Place .....
Date .....

....
Clear seal of Government Hospital/Clinic Seal containing full name and Regd.No. Of the Doctor

* Strike out where not applicable.

Note : -

(1)This certificate should be issued only to those Orthopaedically Handicapped / paraplegic persons / patients WHO CANNOT TRAVEL WITHOUT THE ASSISTANCE OF AN ESCORT. The photo must be signed and stamped in such a way that Doctor's signature and stamp appears partly on the certificate.

(2)In the case of temporary disability, the certificate will be valid for five years from the date of issue. In the case of permanent disability, the certificate will remain valid for (1) five years, in case of persons upto the age of 25 years, in case of persons in the age group of 26 to 35 years and (3) in the case of persons above the age of 35 years, the certificate will remain valid for whole life of the concerned person. After expiry of the period of the validity of the certificate, the person is required to obtain a fresh certificate is accepted for the purpose of grant on concession. The original certificate will have to be produced for instruction at the time of purchase of concessional ticket and during the journey, if demanded

(3)No alteration in the form is permitted.

6- आवेदन पत्र – मतदाता पहचान पत्र (कृपया पृष्ठ 55 देखें)

FORM 6

[See rules 13(1) and 26]

Application for inclusion of name in electoral roll

To

The Electoral Registration Officer

……Assembly/ Parliamentary £ Constituency.

Sir,

I request that my name be included in the electoral roll for the above Constituency. Particulars in support of my claim for inclusion in the electoral roll are given below:

SPACE FOR PASTING ONE RECENT PASSPORT SIZE PHOTOGRAPH (3.5 CM X 3.5 CM) SHOWING FRONTAL VIEW OF FULL FACE WITHIN THIS BOX

I. Applicant's details	Name			Surname (if any)
Age as on 1st January ……..#		Years:	Months:	Sex (male/female/others):
Date of birth, if known:	Day:		Month:	Year:
Place of birth:	Village/ Town:			
	District:			State:
* Father's/ Mother's/ Husband's Name	Name			Surname (if any)

II. Particulars of place of present ordinary Residence (Full address)
House/ Door number:
Street/ Area/Locality/ Mohalla/Road:
Town/ Village:
Post Office: Pin Code:
Tehsil/ Taluka/ Mandal/ Thana:
District:

III. Details of member(s) of applicant's family already included in the current electoral roll of the Constituency:

Name	Relationship with applicant	Part number of the roll of the Constituency	Serial number in that Part	Elector's Photo Identity Card Number
1.				
2.				

£ In case of Union territories having no Legislative Assembly and the State of Jammu & Kashmir.

\# Please give the year i.e. 2007, 2008, etc.

* Strike out the inappropriate alternative

IV. Declaration

I hereby declare that to the best of my knowledge and belief: -

(i) I am a citizen of India;

(ii) I am ordinarily resident at the address given in para II above since .....(date, month, year)

(iii) I have not applied for the inclusion of my name in the electoral roll for any other constituency;

(iv) *My name has not already been included in the electoral roll for this or any other assembly constituency;

Or

*My name may have been included in the electoral roll for_____ Constituency in _____State in which I was ordinarily resident earlier at the address mentioned below and if so, I request that the same may be deleted from that electoral roll.

Full Address (Earlier Place of ordinary residence)	Electors Photo Identity Card number (if already issued)_____
_____ _____ _____ _____	Date of issue _____
Place: Date:	Signature or thumb impression of the applicant

A) **Note –** ***Any person who makes a statement or declaration which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, is punishable under Section 31 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950).***

* Strike out the inappropriate alternative.

Details of action taken
(To be filled by Electoral Registration Officer of the constituency)

The application of Shri/Smt./Km.....for inclusion of name in the electoral roll in Form 6 has been accepted*/rejected*.

Detailed reasons for *acceptance [under or in pursuance of rule 18*/20*/26(4)][£] or* rejection [under or in pursuance of rule 17/20*/26(4)[£]]:

Place: Date	Signature of Electoral Registration Officer	(Seal of the Electoral Registration Officer)

£ During continuous updating after final publication of electoral roll.

* Strike out the inappropriate alternative.

Remarks of Field Level Officers (e.g BLO, Designated Officer, Supervisory Officer)

[FORM 6 Contd.....]

Receipt for application

Received the application in Form 6 of ** Shri/Shrimati/Kumari……..
**Address……

Date……

Signature of the officer receiving the application on behalf of the Electoral Registration Officer (Address) ……

** To be filled in by the applicant.

GUIDELINES FOR FILLING UP THE APPLICATION FORM-6
General Instructions

Who can file Form-6

1. First time applicant on attaining age of 18years or more on the first day of January of the year with reference to which the electoral roll is being revised.

2. Person shifting his / her place of ordinary residence outside the constituency in which he / she is already registered.

When Form-6 can be filed

1. The application can be filed after draft publication of electoral roll of the constituency. The application is to be filed within the specific days provided for the purpose. Due publicity is given about the above period when the revision programme is announced.

2. Only one copy of the application is to be filed.

3. Application for inclusion of name can be filed through out the year even when the revision programme is not going on. During non-revision period, application must be filed in duplicate.

Where to file Form-6

1. During revision period, the application can be filed at the designated locations where the draft electoral roll is displayed (mostly polling station locations) as well as the Electoral Registration Officer and Assistant Electoral Registration Officer of the constituency.

2. During other period of the year when revision programme is not going on, the application can be filed only with the Electoral Registration Officer.

How to Fill the Form-6

1. The application should be addressed to the Electoral Registration Officer of the constituency in which you seek registration. The name of the constituency should be mentioned in the blank space.

2. Name (With Documentary Proof)
The name as it should appear in the electoral roll and Electors Photo Identity Card (EPIC) should be furnished. The full name except the surname should be written in the first box and surname should be written in the second box. In case you do not have a surname, just write the given name. Caste should not be mentioned except where the caste name is used as part of the elector's name or a surname. Honorific appellations like Shri, Smt. Kumari, Khan, Begum, Pandit etc. should not be mentioned.

3. Age (With Documentary Proof)
The age of the applicant should be eighteen or more on 1st January of the year with reference to which the electoral roll is being revised. The age should be indicated in years and months.

e.g. A person born on or upto 1/1/1991 will be eligible for inclusion in the electoral roll which is being revised with reference to 1/1/2009. Persons born on 2/1/1991 or thereafter upto 1/1/1992 shall be eligible for inclusion during the next revision with reference to 1/1/2010.

4. Sex
   Write your sex in full in the space provided e.g. Male / Female/Others. Applicants may indicate their sex as "Other" where they do not want to be described as male or female.

5. Date of Birth (With Documentary Proof)
   Fill up the date of birth in figures in the space provided in dd/mm/yyyy.
   Proof of date of birth to be attached are as under:
   - (i) Birth certificate issued by a Municipal Authorities or district office of the Registrar of Births & Deaths or Baptism certificate; or
   - (ii) Birth certificate from the school (Govt. / Recognised) last attended by the applicant or any other recognised educational institution; or
   - (iii) Illiterate or semi-illiterate applicant who is not in possession of any of the above document are required to attach a declaration in prescribed format by either of the parents already included in the electoral roll in support of the applicants age. The format will be supplied on demand.

N.B. In the case of applicants born on or after 26.01.1989, only birth certificate issued by the Municipal Authorities or district office of the Registrar of Births & Deaths is acceptable.

6. Place of Birth
   In case born in India, please mention name of place like Village / Town, District, State.

7. Relation's Name:
   In case of unmarried female applicant, name of Father / Mother is to be mentioned. In case of married female applicant, name of Husband is to be mentioned. Strike out the inapplicable options in the column.

8. Place of Ordinary Residence
   Fill up the full and complete postal address including PIN code where you are ordinarily residing and want to get registered, in the space provided.
   Proof of ordinary residence to be attached are as under:
   - (i) Bank / Kisan / Post Office current Pass Book, or
   - (ii) Applicants Ration Card / Passport / Driving License / Income Tax Assessment Order, or
   - (iii) Latest Water / Telephone / Electricity / Gas Connection Bill for that address, either in the name of the applicant or that of his / her immediate relation like parents etc., or
   - (iv) Postal department's posts received / delivered in the applicant's name at the given address.

NOTE: If any applicant submits only ration card as proof of address, it should be accompanied by one more proof of address out of the above categories.

9. Details of Family Members Already Included in the Electoral Roll
   Please fill up name and other particulars of immediate family members i.e. Father / Mother / Brother / Sister / Spouse included in the current electoral roll of the constituency. Name of any other relation like uncle, aunt, cousin brother / sisters etc. not to be mentioned.

10. Declaration
    Please indicate date from which you are residing in the given address. In case the exact date is not known, fill-up month and year.
    If your name is already included in the electoral roll of any other constituency, please write legibly the full previous address with PIN code.

If you already have been issued with a Photo Identity Card by the Election Commission, please mention the card number (printed on the front side) and date of issue (printed on the back side) of the card in the space provided. Please attach a self-attested photocopy of both sides of the card.

Miscellaneous

In many places the photograph of the elector is also printed in the electoral roll. You have the option to submit one recent coloured passport-size photograph alongwith the form. The photograph will be used to print your image in the electoral roll and issue of identity card, if required.

7. आवेदन पत्र – आधार कार्ड (कृपया पृष्ठ 56 देखें)

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
भारत सरकार

आधार

ENROLMENT FORM (आवेदन पत्र)

Please use CAPITAL letters (कृपया स्पष्ट अक्षरो में भरें)
Date (दिनांक): _ _ / _ _ / _ _ _ _

Part A – Primary Details / (क) प्राथमिक जानकारी

Name:
(नाम):_____

☐ Mother माता ☐ Father पिता ☐ Husband पति ☐ Guardian's Name अभिभावक का नाम _____

(Name of Mother/Father/Guardian is must for children below 5 years of age)
(5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिये माता/पिता/अभिभावक का नाम अनिवार्य है)

Date of Birth:
जन्म तिथि: _ _ / _ _ / _ _ _ _

If not known, Age: _ _ _
यदि नहीं पता, उम्र: _ _ _

Gender: लिंग: ☐ Male पुरुष ☐ Female स्त्री ☐ Transgender अन्य

Residential address: आवासीय पता:

c/o:_____

House No. and name: घर का नम्बर और नाम:_____

_____

Street No. and name: मोहल्ला/गली नम्बर और नाम: _____

_____

Landmark: मुख्य पहचान: _____

Village / City: ग्राम/शहर:_____

District: ज़िला: _____

State: राज्य:_____ Pin code: पिन कोड: ☐☐☐☐☐☐

Part B - Additional Information / (ख) (अन्य जानकारी)

Phone No. / Mobile No. (optional): फोन नम्बर / मोबाइल नम्बर (इच्छाधीन): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Email (optional): ईमेल (इच्छाधीन): _____

NPR Receipt No.: (एन.पी.आर. रसीद नंबर):_____

Part C - Financial Information / (ग) वित्तीय जानकारी)

☐ I want to open UID enabled bank A/c
मैं आधार नंबर से जुडा बैंक खाता खोलना चाहता/चाहती हूँ।

☐ I want to link my existing bank A/c to Aadhaar number and I have no objection on this issue.
मैं चाहता/चाहती हूँ कि मेरे वर्तमान बैंक खाते को आधार नंबर के साथ जोड़ दिया जाए एवं इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

Bank name and Branch (बैंक का नाम व शाखा) _____

A/c No. (खाता संख्या)_____

For more info visit: uidnumber.org

8- आवेदन पत्र – पैन कार्ड (कृपया पृष्ठ 60 देखें)

Application for Allotment of Permanent Account Number

Under Section 139A of the Income Tax Act, 1961

(To avoid mistake(s), please follow the accompanying instructions and examples carefully before filling up the form)

To

The Assessing Officer

		Area Code	AO Type	Range Code	AO No.
Ward/ Circle					
Range					
Commissioner					

Only 'Individuals' to affix recent photograph (3.5 cm x 2.5 cm)

Signature/ Left Thumb Impression

Sir,

I/We hereby request that a permanent account number be allotted to me/us.
I/We give below necessary particulars :

1. Full Name (Full expanded name : initials are not permitted)

Please Tick ☑ as applicable Shri ☐ Smt. ☐ Kumari ☐ M/s ☐

Last Name / Surname | First Name

Middle Name

2 Name you would like printed on the card

3 Have you ever been known by any other name? Please Tick ☑ as applicable Yes ☐ No ☐

If yes, please give that other name

(Full expanded name : initials are not permitted) Shri ☐ Smt. ☐ Kumari ☐ M/s ☐

Last Name / Surname | First Name

Middle Name

4. Father's Name (Only 'Individual' applicants : Even married women should give father's name only)

Last Name / Surname | First Name

Middle Name

5. Address

R. Residential Address

Flat/Door/Block No.

Name of Premises / Building / Village

Road / Street / Lane / Post Office

Area / Locality / Taluka / Sub - Division

Town / City / District | State / Union Territory | Pin

(Indicating PIN is mandatory)

O. Office Address (Name of Office)

Flat/Door/Block No.

Name of Premises / Building / Village

Road / Street / Lane / Post Office

Area / Locality / Taluka / Sub - Division

Town / City / District | State / Union Territory | Pin

(Indicating PIN is mandatory)

6. Address for communication Please Tick ☑ as applicable R ☐ or O ☐

STD Code Tel. No.

7. Tel. No. email ID

8. Sex (For 'Individual' Applicants only) Please Tick √ as applicable Male Female

9. Status of the Applicant Please Tick √ as applicable

Individual P Firm F Body of Individuals B

Hindu Undivided Family H Association of Person A Local Authority L

Company C Association of Persons (Trusts) T Aritificial Juridical Person J

10. Date of Birth / Incorporation / Agreement / Partnership or Trust Deed / Formation of Body of Individuals/ Associastions of Persons D D M M Y Y Y Y

11. Registration Number (In case of Firms, Companies etc.)

12. Whether citizen of India ? Please Tick √ as applicable Yes No

13(a) Are you a salaried employee ? If yes, indicate Government Others

Name of the Organisation where working

(b) If you are enganged in a business/ profession, indicate nature of business or profession and fill the relevant code

(c) If you are not covered by (a) or (b) above, indicate sources of income, if any

14. Full name, address of the Representative Assessee, who is assessable under the Income Tax Act in respect of the person, whose particulars have been given in column 1 to 13.

Full Name(Full expanded name : initials are not permitted) Please tick √ as applicable Shri Smt. Kumari M/s

Last Name / Surname First Name

Middle Name

Address

Flat/Door/Block No.

Name of Premises / Building / Village

Road / Street / Lane / Post Office

Area / Locality / Taluka / Sub - Division

Town / City / District State / Union Territory Pin

(Indicating PIN is mandatory)

15. I/We have enclosed proof of address as proof of idenity and as

I/We , the applicant, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my/our information and belief.

Verified today, the D D M M Y Y Y Y

Signature / Left Thumb Impression of Applicant (inside the box)